लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES
तृतीय माला
Third Series

खण्ड ३०, १९६४/१८८६ (शक)

Volume XXX, 1964 / 1886 (Saka)

[१५ से २८ अप्रैल, १९६४/२६ चैत्र से ८ वैशाख, १८८६ (शक)]

15th to 28th April, 1964/ Chaitra 26 to Vaisakha 8, 1886 (Saka)

सातवां सत्र, १९६४/१८८६ (शक)

Seventh Session, 1964/1886 (Saka)

(खण्ड ३० में अंक ५१ से ६० तक हैं)

(Volume XXX contains Nos. 51 to 60)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची

अंक ५५--मंगलवार, २१ अप्रैल, १९६४/१ वैशाख १८८६ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित

प्रश्न संख्या

	विषय	पृष्ठ
१११०	अन्तर्राज्यिक सड़क परिवहन एकक . .	४१६३–६४
१११२	गुड़ में मुनाफाखोरी . . .	४१६५–६६
१११४	नैमित्तिक श्रमिक .	४१६६–६७
१११५	सियालदह एक्सप्रैस में पाई गई लाश . .	४१६७—७३
१११६	"एयर इंडिया" के विमान चालकों द्वारा हड़ताल की धमकी .	४१७३—७४
१११७	राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् . . .	४१७४—७६
१११८	"रायल नेपाल एयरलाइन्स" के लिए प्रशिक्षण सुविधायें .	४१७६–७७
१११९	दिल्ली की सहकारी समितियां . .	४१७८—८१
११२३	चीनी का निर्यात	४१८१—८३
११२५	गेहूं को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने, ले जाने पर रोक .	४१८३—८६

अल्प सूचना

प्रश्न संख्या

२०	राणा प्रताप सागर बांध . . .	४१८६—८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित

प्रश्न संख्या

११०९	हवाई जहाज़ों पर होने वाले अपराध . . .	४१८९
१११९	ग्राम्य पुनर्निर्माण .	४१९०
१११३	जल ससाधनों का सर्वेक्षण	४१९०
११२०	भाटकित "डकोटा" विमान का दमदम से बागडोगरा ले जाया जाना . . .	४१९१
११२१	पोलैंड से मालवाही जहाज़ .	४१९१
११२२	आलू की फसल . .	४१९१–९२
११२४	बर्मा के चावल का आयात	४१९२

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 55—Tuesday, April 21, 1964/ Vaisakha 1, 1886 (Saka)

Oral Answers to Questions

**Starred Questions Nos.*	Subject	Page
1110	Inter-State Road Transport Units	4163–64
1112	Profiteering in Gur	4165–66
1114	Casual Labour	4166–67
1115	Body found in Sealdah Express	4167–73
1116	Strike Threat by pilots of Air India	4173–74
1117	National Road Safety Council	4174–76
1118	Training Facilities for Royal Nepal Airlines	4176–77
1119	Co-operative Societies of Delhi	4178–81
1123	Export of Sugar	4181–83
1125	Restrictions on Movement of Wheat	4183–86
Short Notice Question No.		
20	Rana Pratap Sagar Dam	4186–89

Written Answers to Questions

Starred Questions Nos.		
1109	Crimes in Aeroplanes	4189–90
1111	Rural Reconstruction	4190
1113	Survey of Water Resources	4190
1120	Diversion of a Chartered Dakota Plane from Dum Dum to Bagdogra	4191
1121	Cargo Vessels from Poland	4191
1122	Potato Crop	4191–92
1124	Import of Burmese Rice	4192

*To sign +marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
११२६	छिड़काव सिंचाई . .	४१९२–९३
११२७	कृषि उत्पादन	४१९३
११२८	टूंडला जंक्शन के निकट मालगाड़ी का लूटा जाना . .	४१९३–९४
११२९	सहकारी समितियों द्वारा खाद्यान्न व्यापार .	४१९४
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२२८७	होशंगाबाद के निकट पुल .	४१९४
२२८८	इटारसी रेलवे स्टेशन .	४१९५
२२८९	केन्द्रीय सहकारी बैंक . .	४१९५
२२९०	टाटानगर के पास रेल की टक्कर .	४१९६
२२९१	ओलावाक्कोट डिवीज़न में ऊसरी पुल . . .	४१९६
२२९२	केन्द्रीय सहकारी बैंकों का वैज्ञानिकन . . .	४१९६–९७
२२९३	महाराष्ट्र से खाद्यान्न का ले जाया जाना . . .	४१९७
२२९४	महाराष्ट्र की चीनी की आवश्यकता . . .	४१९७
२२९५	टेलीफोन राजस्व . . .	४१९७–९८
२२९६	पूर्वोत्तर रेलवे में पंजीकृत दावे . .	४१९८
२२९७	उत्तर प्रदेश में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये मकान .	४१९९
२२९८	डाक तथा तार कर्मचारी . . .	४१९९
२२९९	शीत के कारण पशुओं की मृत्यु .	४१९९—४२००
२३००	बूचड़खाने . . .	४२००
२३०१	राष्ट्रीय पशुधन समिति . .	४२००–०१
२३०२	पर्यटन	४२०१
२३०३	बंगलौर हवाई अड्डे पर तूफान का पता लगाने वाला राडार	४२०१–०२
२३०४	खाद्य ज़ोन	४२०२
२३०५	दिल्ली में सड़कें .	४२०२
२३०६	पटना जंक्शन	४२०३
२३०७	उर्वरकों का स्टाक . . .	४२०३
२३०८	डांगोपोसी अनुभाग में आकस्मिक श्रमिक . .	४२०३
२३०९	गोआ में मंडोवी पुल . .	४२०४

Starred Questions Nos.	Subject	PAGE
1126	Sprary Irrigation . .	4192–93
1127	Agricultural Production	4193
1128	Looting of a Goods Train near Tundla Junction .	4193–94
1129	Foodgrain Trade by Co-operatives	4194
Unstarred Questions Nos.		
2287	Bridge near Hoshangabad	4194
2288	Itarsi Railway Station	4195
2289	Central Co-operative Bank	4195
2290	Train Collision near Tatanagar	4196
2291	Over-bridge in Olavakkot Division	4196
2292	Rationalisation of Central Co-operative Banks . .	4196–97
2293	Movement of Foodgrains from Maharashtra . .	4197
2294	Sugar Requirement of Maharashtra . . .	4197
2295	Telephone Revenue	4197–98
2296	Claims registered in N.E. Railway	4198
2297	Houses for P & T Employees, U.P. . . .	4199
2298	P. & T. Employees	4199
2299	Death of Animals due to cold	4199–4200
2300	Slaughter Houses	4200
2301	National Livestock Committee	4200–01
2302	Tourism	4201
2303	Storm-detecting Radar at Bangalore Airport . .	4201–02
2304	Food Zones	4202
2305	Roads in Delhi	4202
2306	Patna Junction	4203
2307	Stocks of Fertilisers	4203
2308	Casual Labourers in Dangoaposi Section . . .	4203
2309	Mandovi Bridge in Goa	4204

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२३१०	फ़ीरोज़ाबाद स्टेशन	४२०४
२३११	गन्ने के लिये वेगन	४२०४
२३१२	राष्ट्रीय राजपथ	४२०५
२३१३	खाद्य विभाग कैफेटेरिया सहकारी स्टोर लिमिटेड	४२०५–०६
२३१४	दिल्ली केन्द्रीय सहकारी स्टोर, लिमिटेड, दिल्ली	४२०६–०७
२३१५	सीमेंट की बोरियों की चोरी	४२०७
२३१७	सहकारी खेती	४२०७–०८
२३१८	कोट्टावासला-बेलाडिल्ला परियोजना	४२०८–०९
२३१९	गैर-सरकारी विमान समवाय	४२०९
२३२०	उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ	४२०९–१०
२३२१	उत्तर प्रदेश में खण्ड मुख्यालयों में तार की व्यवस्था	४२१०
२३२२	एक पी० डब्ल्यू० आई० की मृत्यु	४२११
२३२३	हावड़ा एक्सप्रेस गाड़ी	४२११
२३२४	कछार जिला में चीनी फैक्टरी	४२११–१२
२३२५	समस्तीपुर समपार पर ऊपर का पुल	४२१२
२३२६	मनी आर्डर	४२१२
२३२७	चीनी मिलें	४२१२–१३
२३२८	मलान पुल	४२१३
२३२९	बिहार राज्य को सहायता	४२१३–१४
२३३०	निर्माण भत्ता	४२१४
२३३१	मालगाड़ी का पटरी से उतरना	४२१४–१५
२३३२	कृषि उत्पादन	४२१५
२३३३	दिल्ली में स्कूटर रिक्शा	४२१५–१६
२३३४	दक्षिण रेलवे की निर्माण शाखा	४२१६
२३३५	सूरतगढ़ फार्म	४२१६
२३३६	रेलवे कर्मचारी	४२१६–१७
२३३७	उड़ीसा में रेलवे स्टेशन	४२१७–१८
२३३८	लघु बचत आन्दोलन के अधीन डाकखानों में जमा राशि	४२१८
२३३९	किसानों को ट्रैक्टरों का संभरण	४२१८–१९

Written Answers to Questions—*contd.*

Unstarred

Questions Nos.

	Subject	PAGE
2310	Ferozabad Station	4204
2311	Wagons for Sugarcane . .	4204
2312	National Highways	4205
2313	Food Department Cafeteria Co-operative Stores Ltd.	4205–06
2314	Delhi Central Co-operative Stores Ltd., Delhi .	4206–07
2315	Theft of Cement Bags . .	4207
2317	Co-operative Farming	4207–08
2318	Kottavalasa-Bailadilla Project	3208–09
2319	Private Air Companies	4209
2320	National Highways in U.P.	4209–10
2321	Telegraph Facilities at Block Headquarters, U.P. .	4210
2322	Death of a P.W.I.	4211
2323	Howrah Express Train . . .	4211
2324	Sugar Factory in Cachar Distt . .	4211–12
2325	Over-Bridge at Samastipur Level Crossing .	4212
2326	Money Orders	4212
2327	Sugar Mills	4212–13
2328	Malan Bridge	4213
2329	Assistance to Bihar State	4213–14
2330	Construction Allowance	4214
2331	Derailment of Goods Train	4214–15
2332	Agricultural Production	4215
2333	Scooter-Rickshaws in Delhi	4215–16
2334	Works Branch of Southern Railway . . .	4216
2335	Suratgarh Farm	4216
2336	Railway Employees	4216–17
2337	Railway Stations in Orissa	4217–18
2338	Post Office Deposits under Small Savings Drive .	4218
2339	Supply of Tractors to Farmers	4218–19

अतारांकित

प्रश्न संख्या

	विषय	पृष्ठ
२३४०	दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन	४२१९
२३४१	फ्लाइंग क्लब विमान की दुर्घटना	४२१९
२३४२	भोपाल रेलवे स्टेशन	४२२०
२३४३	डाक-घर	४२२०–२१
२३४४	एयर-इंडिया के कर्मचारी	४२२१
२३४५	ग्वालियर-भिन्ड रेलवे लाइन	४२२१–२२
२३४६	दिल्ली में गलत टेलीफोन कॉल्स	४२२२
२३४७	पंचायती राज	४२२२–२३
२३४८	बीज फार्म	४२२३
२३४९	दक्षिण-पूर्व रेलवे पर स्टेशनों का विद्युतीकरण	४२२४
२३५०	केन्द्रीय पहाड़ी विकास बोर्ड	४२२४

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

	कार्यवाही-सारांश और तीसरा प्रतिवेदन	४२२४

वित्त विधेयक ४२२४—७७

	खण्ड ३४ से ६५ और १	४२२४—७७
	पारित करने का प्रस्ताव	४२२४
	श्री ति० त० कृष्णमाचारी	४२२५—७६
	श्री रंगा	४२७६–७७
	श्री उ० मू० त्रिवेदी	४२७७

कार्य मंत्रणा समिति

	छब्बीसवां प्रतिवेदन	४२७७

Written Answers to Questions--*contd.*

Unstarred Questions Nos.	Subject	Pages
2340	Delhi and New Delhi Railway Stations	4219
2341	Accident to Flying Club Aircraft	4219
2342	Bhopal Railway Station	4220
2343	Post Offices	4220-21
2344	Air India Employees	4221
2345	Gwalior-Bhind Railway Line	4221-22
2346	Wrong Telephones Calls in Delhi	4222
2347	Panchayati Raj	4222-23
2348	Seed Farms	4223
2349	Electrification of Stations on S.E. Railway	4224
2350	Central Hill Development Board	4224
Committee on Subordinate Legislation		
	Minutes and Third Report	4224
Finance Bill		4224-77
	Clauses 34 to 65 snd 1—	
	Motion to pass	4224
	Shri T.T. Krishnamachari	4225-76
	Shri Ranga	4276-77
	Shri U.M. Trivedi	4277
Business Advisory Committee		4277
	Twenty-sixth Report	4277

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, २१ अप्रैल, १९६४/१ वैशाख, १८८६ (शक)
Tuesday, April 21, 1964/ Vaisakha 1, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अन्तर्राज्यिक सड़क परिवहन एकक

+

*१११०. { **श्री सुबोध हंसदा**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक दूरी के अन्तर्राज्यिक सड़क परिवहन के लिये एककों की संख्या में वृद्धि करने के हेतु कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) इस समय जो एकक कार्य कर रहे हैं वे सभी के सभी गैर-सरकारी एकक हैं;

(ग) क्या परिवहन सहकारी समितियों को कोई प्रोत्साहन दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे जिन अन्तर्राज्यिक एककों को अब तक सहायता दी गई है उन की संख्या कितनी है ?

परिवहन मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी प्रदान कर ने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी० २७४८/६४]

श्री सुबोध हंसदा : विवरण से पता चलता है कि अनेक प्रकार की मोटरगाड़ियों के लिये विभिन्न सड़क परिवहन संगठनों को परमिट दिये गये हैं। क्या इन संगठनों को मोटरगाड़ियों का संभरण करने के लिये कोई प्रबन्ध है अथवा क्या सरकार इस के लिये वित्त की व्यवस्था करती है ?

श्री राज बहादुर : जहां तक मोटरगाड़ियों के संभरण का संबन्ध है, इन संगठनों को सीध व्यापारियों को आवेदन करना पड़ता है और इस के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस सम्बन्ध में इस्पात, खान और भारी इजीनियरिंग मंत्रालय द्वारा बनाये गये कुछ नियम हैं। उस के अतिरिक्त जहां तक इन मोटरगाड़ियों की खरीद के लिये वित्त की व्यवस्था करने का सम्बंध है, ऋण सम्बन्धी कुछ

सुविधाओं का उपबंध करने के लिये कुछ दिन पहिले राज्य वित्तीय निगम अधिनियम में संशोधन करके उस प्रयोजन के लिये सड़क परिवहन को एक उद्योग के रूप में शामिल किया गया था ।

श्री सुबोध हंसदा : वे मुख्य मार्ग कौन से हैं जिन पर केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम अपनी मोटर-गाड़ियां चला रहा है ?

श्री राज बहादुर : कलकत्ता सिलागुड़ी गोहाटी मार्ग ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या इस बात की जांच करने के लिये सरकार का कोई अभिकरण हैं कि क्या ये संगठन सामान्य किराया ही लेते हैं अथवा अतिरिक्त किराया और या बहुत अधिक किराया लेते हैं ?

श्री र ज बहादुर : किराये की दरें मोटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत सम्बन्धित राज्य सरकारों अथवा राज्य परिवहन प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित की जाती है । गाड़ियों के मालिकों को यही किराये की दरें लेनी चाहिये ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : अन्तर्राज्यिक मार्गों के बारे में क्या स्थिति हैं ?

श्री राज बहादुर : उस के बारे में मैं तत्काल निश्चित रूप से नहीं बता सकता ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि ऐसे अनेक उपेक्षित मार्ग हैं जिन पर चालक गाड़ियां चलाना लाभदायक नहीं समझते हैं जिस के कारण यात्रियों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्री राज बहादुर : राज्य परिवहन प्राधिकारियों द्वारा समय समय पर परिवहन सम्बधी की व्यवस्था सुविधाओं की आवश्यकता का पुनर्विलोकन किया जाता है तथा वही यह निश्किंत करते हैं कि कितने परमिट दिये जायें । मेरा विचार है कि वे क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : यदि आप सभा पटल पर रखे गये विवरण को देखें तो आप को पता चलेगा कि परिवहन सहकारी समितियों का बहुत ही नगण्य अनुपात में परमिट दिये गये हैं । क्या माननीय मत्री जी को इस बात का पता है कि प्राधिकारियों द्वारा परमिट देने के मामले में परिवहन सहकारी समितियों के साथ भेद भाव का तथा गैर सरकारी क्षेत्र के व्यक्तियों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है? यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिये क्या कुछ करने का विचार है ?

श्री राज बहादुर : हम ने यह नियम बना दिया है कि परिवहन सहकारी समितियों को अधिमान दिया जाना चाहिये । कुछ राज्य सरकारों ने इस नियम का पालन किया है । एक प्रकार से यह एक स्थानीय प्रश्न है और इसको उस स्तर पर सुलझाया जाता है ।

श्री ब० कु० दास : दण्डकारण्य क्षेत्र में एक परिवहन सहकारी समिति है । इस समिति को स्थायी रूप से परमिट क्यों नहीं दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य विशेष एककों के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं । इन के बारे में उत्तर नहीं दिया जा सकता ।

गुड़ में मुनाफाखोरी

+

*१११२. श्री ओंकार लाल बैरवा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री यशपालसिंह :
श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली केन्द्रीय सहकारी स्टोर के द्वारा गुड़ के मुनाफाखोरी किये जाने के आरोप के सम्बन्ध में जांच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो जिन व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये हैं, उन की संख्या कितनी है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन जारी किये गये दिल्ली खंडसारी तथा गुड़ व्यापारी लाइसेंस आदेश, १९६३ का उल्लंघन करने के कारण २ मार्च, १९६४ को २ व्यक्तियों पर आरोप लगाये गये हैं ।

Shri Onkar Lal Berwa: What are the names of the officers against whom cases have been instituted? Is it also a fact that no action has been taken against a Memeber of Parliament who was involved in this case?

श्री शिन्दे : इस उक्त स्टोर के जिन व्यक्तियों पर आरोप लगाये गये हैं, उन के नाम ये हैं : श्री राम लाल, मैनेजिंग डायरेक्टर तथा कुमारी शकुन्तला सलहन, सचिव ।

Shri Onkar Lal Berwa: Is it also a fact that the report has been changed at the instance of the director?

Mr. Speaker: Order, order.

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : कुछ दिन पहिले इस बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हो चुकी है और मेरे विचार से उस के बाद, जहां तक तथ्यों का सम्बन्ध है, कोई और विशेष बात पैदा नहीं हुई है जिस को कि बताया जाय ।

Shri Yashpal Singh: In that context an hon. Member had alleged that illegal gratification had to be given to the Railway Staff for making available the wagon for the movement of gur. Have any charges been since framed against the giver or the receiver of the bribe?

Shri Swaran Singh: On account of want of proof, no charges have been framed.

Shri Yashpal Singh: Was the statement of an hon. Member not sufficient for the purpose?

Mr. Speaker: Order, order.

Shri Prakash Vir Shastri: Has the Chairman of the Co-operative Store also been found guilty as a result of the enquiry held directly or indirectly and as such do the Ministry of Food and Agriculture propose to revoke the licence issued to this store or take some other action?

Shri Swaran Singh: So far as the Chairman of the Co-operative store is concerned, no *prima facie* case was established against him. As regards the second part of the question, I may submit that the Minister of Home Affairs had asserted in the House that further enquiries were being conducted into this case and I think no final decision has yet been taken in this regard.

Shri Kishen Pattnayak: The hon. Minister of Law had told the House that investigations were being conducted in regard to the irregularities in the Accounts of the Society as well. What has been revealed by these investigations so far?

Shri Swaran Singh: As far as I know, nothing has come out so far.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने उस भाग का कोई उत्तर नहीं दिया जो कि सहकारी समिति को, जिस पर कि मुनाफाखोरी किये जाने का आरोप है, दंड देने से सम्बन्धित था।

श्री स्वर्ण सिंह : वह अग्रेतर जांच पड़ताल पर निर्भर करेगा जिस के बारे में गृह मंत्री जी ने कुछ दिन पहिले हुए वाद-विवाद के दौरान बताया था।

नैमित्तिक श्रमिक

*१११४. **श्री प्र० प्र० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री १० दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे पर अंडाल में और दक्षिण पूर्व रेलवे पर रूरकेला, भिलाई और रांची में रेलवे विभाग द्वारा नियोजित नैमित्तिक श्रमिकों को दुर्गापुर, रूरकेला, भिलाई और रांची के केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों द्वारा नियोजित उसी प्रकार के श्रमिकों को दी जाने वाली मजूरी की अपेक्षा कम मजूरी दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायगी।

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या माननीय मंत्री जी को यह भी पता है कि स्थायी कर्मचारियों के स्थान पर जो व्यक्ति रखे जाते हैं उन तक को भी औसतन ३ रुपये प्रति दिन दिये जाते हैं और नैमित्तिक श्रमिकों को कम दिया जाता है ?

श्री शाहनवाज खां : हम जानकारी एकत्र कर रहे हैं।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या सरकार ने समस्त रेलों में काम करने वाले नैमित्तिक श्रमिकों के लिए एक समान मजूरी की दर निश्चित कर रखी है अथवा यह भिन्न भिन्न रेलवे में अलग अलग है ?

श्री शाहनवाज खां : सामान्यतया नैमित्तिक श्रमिकों को उसी दर से मजूरी दी जाती है जो कि उस स्थान पर प्रचलित होती है।

श्री प० ना० कु ाल : रेलों में नैमित्तिक श्रमिक अधिक से अधिक कितनी अवधि तक काम करते हैं ?

श्री शाहन ाज खां: सामान्यतया वे बहुत लम्बी अवधि तक काम नहीं करते हैं। वह एक समय में कुछ महीनों तक ही काम करते हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम: क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि नैमित्तिक श्रमिकों में भी स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा कम दिया जाता है ?

श्री शाहनवाज खां : दरें उस स्थान में प्रचलित दरों के बराबर ही होती हैं।

Shri H. C. Soy: Is the Hon. Minister aware that the casual labourers are; by and large, employed every month and after keeping them in service for one month they are retrenched at the end of the next month and again employed at any time in the third month ?

Shri Shahnawaz Khan: They are employed when called for. After the work for which they are engaged has finished, they are turned out.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या उन नैमित्तिक श्रमिकों को, जो कि पहिले कभी काम कर चुके हों पुनः काम पर लगाने में अधिमान दिया जायेगा ?

श्री शाहनवाज खां : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि इन श्रमिकों ने पहिले कुछ दिन रेलों में काम किया है, उन के मामलों पर अन्य श्रमिकों के साथ साथ विचार किया जाता है।

Body Found In Sealdah Express

+

*1115. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the dead body of a young man was found in a first class compartment of the Sealdah Express on the 27th March, 1964 when it arrieved at Delhi at 11 A.M.;

(b) whether it is also a fact that the said young man was working in the Diesel Engine Workshop, Varanasi and he boarded the train at Varanasi along with a high railway official; and

(c) if so, whether Government have established the identity of the officer and the purpose behind the murder of the young man ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं ।

(ग) शिनाख्त से पता चला कि मृत व्यक्ति पूर्वोत्तर रेलवे अस्पताल, वाराणसी के सहायक सर्जन श्री केवल किशोर सेठ थे। जान पड़ता है कि लूटने के लिये उन की हत्या की गयी ।

Shri Onkar Lal Berwa: Is it a fact that that Railway officer is still on duty and he has not been arrested ? what is the reason therefor ?

अध्यक्ष महोदय : क्या वह अफसर अब भी ड्यूटी पर काम कर रहा है? उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है?

श्री सें० वें० रामस्वामी : हमें इसका पता नहीं है कि उसको किसने मारा।

रेलवे मन्त्री (श्री दासप्पा) : इसमें किसी भी अधिकारी के अन्तर्ग्रस्त होने का प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उनका अनुमान है कि कोई अधिकारी यात्रा कर रहा था।

Shri Onkar Lal Berwa: In answer to this question whether he was travelling along with a railway official, the hon. Minister said "yes".

Mr. Speaker: "Yes" has been said in reply to part (a) of the question. This thing of travelling along with a railway official has been asked in part (b) to which the hon. Minister said "No".

Shri Onkar Lal Berwa: Sir, that Railway official is being shielded.

Mr. Speaker: What can I do in this regard?

Shri Onkar Lal Berwa: Has this fact been ascertained as to who was that fellow who had been travelling along with the deceased?

श्री दासप्पा : वस्तुतः बात यह है कि जिस व्यक्ति की उस दिन हत्या हुई है वह वाराणसी से गाड़ी में नहीं चढ़ा। जानकारी तो यह है कि डी० एल० डब्लू० के एक कर्मचारी, श्री भट्टाचार्जी, के लिये एक स्थान सुरक्षित किया गया था परन्तु वह नहीं आया ऐसा जान पड़ता है कि यह व्यक्ति वाराणसी से गाड़ी के निकल जाने के बाद इसमें चढ़ा और कोई अन्य व्यक्ति भी इसमें वहां चढ़ा और यह घटना हुई। उसके साथ अन्य कोई व्यक्ति नहीं था।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उसके साथ कौन यात्रा कर रहा था?

श्री दासप्पा : कोई अन्य व्यक्ति। जिस व्यक्ति ने स्थान सुरक्षित कराया था वह उस समय नहीं आया। माननीय सदस्य यह अनुमान लगा रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने स्थान सुरक्षित कराया था वही उसके साथ यात्रा कर रहा था।

Shri Onkar Lal Berwa: That railway officer is definitely being shielded. He is a Muslim.

Shri Yashpal Singh: Has this enquiry revealed as to who is, in fact, the murderer?

श्री दासप्पा : जैसा कि मैं पहिले ही बता चुका हूं, जिस व्यक्ति की हत्या की गई है उसका नाम कंवल किशोर सेठ है।

श्री यशपाल सिंह : हत्यारा कौन है?

श्री दासप्पा : प्राप्त सूचना यह है कि वे व्यक्ति गाड़ी से कूद गये थे और पटरी पर जा रहे थे। पुलिस को यह सन्देह हुआ कि बिना किसी स्पष्ट कारण के ये व्यक्ति

वहां कैसे जा रहे हैं । अतः उनको पकड़ लिया गया । उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वे चोरी करने के बाद गाड़ी से कूदे हैं । कुछ चीजें भी वहां से मिली बतायी जाती हैं । इन सब बातों का सत्यापन किया जाना है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या मामला अभी भी चल रहा है ?

श्री दासप्पा : मामला अभी भी चल रहा है । उनमें से दो आदमियों को पकड़ लिया गया है ।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : हत्या के कितनी देर बाद लोगों को यह पता चला कि हत्या की एक घटना हो गई है ? पुलिस ने इन व्यक्तियों को किस समय पटरी पर जाते हुए देखा ?

श्री दासप्पा : मैं यह बता दूं कि उस समय बिल्कुल भी यह पता नहीं था कि हत्या हो गई है । इसका तो पता केवल तब चला जब कि गाड़ी दिल्ली स्टेशन पहुंची तथा ड्यूटी वाले व्यक्ति ने प्रथम श्रेणी के डिब्बे का निरीक्षण किया और यह लाश शौचागार में मिली । अतः समय के अन्तर का कोई प्रश्न नहीं है । क्योंकि तथ्य यह है कि इन व्यक्तियों को पकड़ लिया गया था और ये वे व्यक्ति हैं जिन पर कि उस स्थान पर यह हत्या करने का सन्देह है ।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : परन्तु पुलिस ने इन व्यक्तियों को कब देखा ?

श्री दासप्पा : उसी समय और उसी स्थान पर ।

Shri Sheo Narain: Has the post mortem been conducted ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : जी, हां ।

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या यह दो बर्थ वाला डिब्बा था अथवा चार बर्थ वाला तथा वह कौन सा स्टेशन है जहां से इस बात का वस्तुतः संदेह किया जाता है कि हत्यारा डिब्बे में घुसा ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : डिब्बे का ब्योरा उपलब्ध नहीं है परन्तु स्पष्टतया हत्या कानपुर तथा फफूंद के बीच हुई ।

श्री शिंकरे : क्या पकड़े गये ये दो व्यक्ति अभी भी नज़रबन्द हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जांच चल रही है । वे अभी भी नज़रबन्द हैं ।

श्री शिंकरे : क्या उनके पास उन व्यक्तियों की सूची है जिन्होंने डिब्बे में स्थान सुरक्षित कराये थे ?

अध्यक्ष महोदय : वह पहिले ही बताया जा चुका है ।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : यह किस प्रकार हुआ कि हत्या के समय पुलिस ने इन दो व्यक्तियों को जाते हुए देखा ? यदि पुलिस को हत्या की जानकारी नहीं थी, तो फिर उसने उन पर कैसे संदेह किया ? मैं यह जानना चाहती हूं कि पुलिस के दिमाग में यह बात किस समय आई कि ये व्यक्ति खूनी हो सकते हैं ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : इन व्यक्तियों ने फफूद स्टेशन पर उतरने की योजना बनाई थी । हुआ यह कि फंफूद स्टेशन से पहिले गाड़ी बहुत धीमी हो गई क्योंकि वहां एक पुल का निर्माण किया जा रहा था । ऐसा जान पड़ता है कि इन व्यक्तियों ने यह समझा कि फंफूद का स्टेशन आ गया है और वे गाड़ी से उतर गये । जब वे दो मील चल चुके, तो भोर हो गई । पटरी पर गश्त लगाने वाली पुलिस को उनकी गति-विधि से यह संदेह हुआ कि कुछ गड़बड़ है । पुलिस ने उनसे पूछताछ की और यह कहा जाता है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया ?

अध्यक्ष महोदय : क्या स्वीकार कर लिया ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : हत्या तथा चोरी ।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने यह बात स्वीकार कर ली कि उन्होंने ही उस आदमी की हत्या की ?

श्री दासप्पा : मैं इस बात को स्पष्ट करूंगा । जानकारी यह है कि पुलिस स्टेशन पर पूछताछ किये जाने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने चलती गाड़ी में चोरी की थी और चलती गाड़ी से कूदते समय उनमें से एक को चोट लगी ..... (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : पुलिस का ब्यान होना चाहिये । श्रीमन्, हम स्पष्टीकरण चाहते हैं । उपमंत्री जी ने बताया कि उन व्यक्तियों ने इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने ही यह हत्या की है । हम यह जानना चाहते हैं कि क्या उपमंत्री जी के पास ऐसे तथ्य नहीं हैं जिनसे यह पता चले कि क्या उन्होंने स्वीकार किया है ...

अध्यक्ष महोदय : माननीय उपमंत्री जी के पास इस बात का क्या प्रमाण है कि उन व्यक्तियों ने हत्या की बात को स्वीकार किया था ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : पुलिस ने अभी तक दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है । मैं उनके नाम बताने की आवश्यकता नहीं समझता । पूछताछ करने पर इन्होंने यह स्वीकार किया कि उन्होंने कानपुर और फफूंद स्टेशनों के बीच यह हत्या की ।

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री जी तथा उपमंत्री जी के पास भिन्न भिन्न जानकारी है ? मुझे इस पर आश्चर्य है । क्या उनको अलग अलग व्यक्तियों द्वारा जानकारी प्रदान की जाती है ..... (**अन्तर्बाधा**) शान्ति, शान्ति । इस प्रकार से अन्तर्बाधा उपस्थित नहीं की जानी चाहिये । माननीय उपमंत्री जी ने अपने कागजात से निश्चित रूप से यह पढ़कर बताया है कि इन व्यक्तियों ने हत्या किये जाने की बात से स्वीकार किया । माननीय मंत्री जी कहते हैं कि उन्होंने केवल चोरी की बात को स्वीकार किया । क्या वे दोनों अपने अपने कागजात के भिन्न भिन्न अंशों से पढ़ रहे हैं ?

श्री दासप्पा : वे भिन्न भिन्न अंश हैं । मैं समूचा भाग पढ़ कर सुनाऊंगा । पुलिस ने अभी तक दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है । पूछताछ करने पर इन अभियुक्तों ने यह स्वीकार किया कि कानपुर और फफूंद रेलवे स्टेशनों के बीच इन्होंने यह हत्या की । बदमाशों ने आगे यह बताया कि वे दूसरी तरफ (आफ-साइड) से उक्त डिब्बे में चढ़े और उसको खोलने की कोशिश की परन्तु वह अन्दर से बन्द था । उन्होंने कुछ जोरों की आवाज़ें लगाई जिसके उपरान्त जिस व्यक्ति की हत्या की गई उसने उठकर दरवाजा खोल दिया । वे किसी व्यक्ति को लूटने के उद्देश्य से आये थे । एक व्यक्ति के पास खंजर था । जब गाड़ी की रफ्तार तेज हो गई, तो दूसरे आदमी ने, जो कि उसके साथ था, मारे गये व्यक्ति की गर्दन पकड़ ली और पहिले आदमी ने अपने खंजर से वार करने शुरू कर दिये । उनमें से एक के द्वारा मृत व्यक्ति पर वार किये जाने के दौरान दूसरे व्यक्ति की बायें हाथ की हथेली में गहरा घाव लगा । जब गाड़ी कंचौसी के रेलवे स्टेशन के पास, जहां कि पुल के निर्माण का कार्य चालू था बहुत ही धीमी हो गई, तो अभियुक्तों ने सोचा कि फफूंद रेलवे स्टेशन आ गया है और वे उतर गये । यह जानकर कि उन्होंने उतरने में गलती की है, उन्होंने रेल की पटरी के साथ साथ फफूंद स्टेशन की ओर पैदल ही चलना शुरू किया । वे मुश्किल से २–३ मील ही चले होंगे कि भोर हो गई । दिबियापुर पुलिस स्टेशन के दो पुलिस कांस्टेबलों को जो कि पटरी पर गश्त लगा रहे थे, उनको संदिग्ध तरीके में चलते देखकर कुछ गड़बड़ का संदेह हुआ और वे उनको पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आये...... (**अन्तर्बाधा**) । पुलिस स्टेशन पर की गई पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने चलती गाड़ी में चोरी की और चलती गाड़ी से कूदते समय मुबारक को चोट आई ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : श्रीमान्, दोनों उत्तरों से यह पता चलता है कि समन्वय का पूर्ण अभाव है....... (**अन्तर्बाधा**) सबसे पहिले तो हम यह जानना चाहते हैं कि इन संदिग्ध व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बाद भी गाड़ी के प्राधिकारियों को सूचना क्यों नहीं भेजी गई ताकि इस हत्या का पता चल जाता और दूसरे चोट करने वाले हथियारों तथा लाश की जांच क्यों नहीं की गई जिसके कारण मंत्री जी आज भी यह कहते हैं कि मृत्यु का समय नहीं बताया जा सकता? यदि हथियार तथा लाश की जांच की गई होती, तो मंत्री जी मृत्यु का समय बता सकते थे ।

अध्यक्ष महोदय : क्या जांच अब भी चल रही है ?

श्री दासप्पा : स्पष्टतया जांच पड़ताल अभी पूरी नहीं हो पाई है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : जांच पूरी हो जाने के बाद, मंत्री जी इन प्रश्नों का उत्तर दें ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उनको इस प्रकार से उत्तर नहीं देना चाहिये .... (**अन्तर्बाधा**)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिये ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यदि आपकी अनुमति हो, तो मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं बारी से ही पुकारूंगा ।

श्री नाथ पाई : यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि दोनों मंत्रियों द्वारा सभा में एक के बाद एक इस प्रकार स्पष्टतया भिन्न भिन्न बातें कही गई हैं। प्रश्नों के जो उत्तर उनको सभा में देने होते हैं, क्या वे उनको पहले पढ़ने का कष्ट करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह एक भिन्न बात है। श्री उ० मू० त्रिवेदी।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : गत ३ वर्षों के दौरान चलती गाड़ियों में इस प्रकार की हत्याओं की की कितनी घटनायें हुई हैं तथा कितने मामलों में सम्बन्धित व्यक्तियों को दोषी पाया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : इस समय हमारा सम्बन्ध केवल इस घटना से है।

श्री अ० प्र० शर्मा : इस बात को देखते हुए कि प्रथम श्रेणी के डिब्बों में इस प्रकार के अपराध प्रायः होते रहते हैं, क्या रेलवे अधिकारी यात्रियों की सुरक्षा के लिये नये तरीकों पर विचार कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह एक भिन्न प्रश्न है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : स्वीकारोक्ति भी, जो कि पुलिस के सामने की गई बताते हैं, सभा में पूरी की पूरी सुना दी गई है। मंत्री जी मेरे इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं कि इन व्यक्तियों को किस समय पकड़ा गया और किस समय चोट पहुंचाने वाले हथियार तथा शव की जांच की गई, यदि कोई की गई है तो ?

अध्यक्ष महोदय : यदि उनके पास जानकारी नहीं है तो फिर वे कैसे बता सकते हैं ?

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : यह तो केवल जानकारी का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या हथियारों की जांच की गई है अथवा नहीं ?

श्री दासप्पा : मैं समय बता चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि जिन हथियारों से हत्या की गई क्या उनकी पुलिस ने जांच की है ? क्या मंत्री जी के पास इस बारे में कोई जानकारी है ?

श्री दासप्पा : वे पुलिस को सौंप दिये गये थे। शेष काम पुलिस के द्वारा किया जाता है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता है। जब मंत्री जी पुलिस के सामने की गई स्वीकारोक्ति के बारे में उत्तर दे चके हैं, तो फिर यह कैसे कह सकते हैं कि "पुलिस को सौंप दिये गये"?

अध्यक्ष महोदय : जांच चल रही है। एक गण्यमान्य वकील के नाते उन्हें यह मालूम होना चाहिये।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : यह भी स्पष्ट नहीं है कि जांच चल रही है अथवा नहीं।

'एयर इण्डिया' के विमान चालकों द्वारा हड़ताल की धमकी

+

*१११६. { **श्री यशपाल सिंह :**
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री तन सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद : }

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'एयर इण्डिया' के विमान चालकों ने यह धमकी दी है कि यदि प्रबन्धकों ने अपने अन्तरमहाद्वीपीय 'बोइंग' ७०७ जेट विमानों के लिये विदेशी विमान चालकों को भरती किया तो वे अनिश्चित काल के लिए हड़ताल कर देंगे ; और

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क). और (ख). 'एयर इंडिया के विमान चालकों से हड़ताल का कोई भी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि यह बताया जाता है कि सम्वाददाताओं से भेंट के दौरान कुछ जूनियर विमान चालकों ने एक ऐसे अस्थायी प्रस्ताव पर आपत्ति की थी जिसके अनुसार "एयर इंडिया" के प्रबन्धक उन दो विमान चालकों को ६ महीने की अवधि के लिये ठेके के आधार पर भरती करने की सोच रहे हैं जो पहले काफी समय तक निगम की सेवा में रह चुके हैं। कुछ वर्तमान कमांडरों को नये ३२०-बी 'बोइंग' विमान के प्रशिक्षण पर लगा दिये जाने के कारण कमांडरों के अस्थायी अभाव को पूरा करने के लिये ऐसा करना आवश्यक समझा जाता है। निगम को ये विमान मई, १९६४ में प्राप्त होने वाले हैं। तथापि, निगम ने "पायलट्स गिल्ड" को यह आश्वासन दिया है कि कोई निर्णय करने के पहले उनके साथ मामले पर पूरी तरह से विचार विमर्श किया जायेगा।

Shri Yashpal Singh: Has the Government really deemed it necessary to recruit foreigners?

Shri Mohiuddin: There is no question of recruiting foreigners. The hon. Members probably might know that these two pilots were Indians who had earlier been in the service of Air-India for a long time and had resigned in 1963.

Shri Yashpal Singh: Is the Government dead sure that there would be no strike now?

Shri Mohiuddin: How can I give an assurance to this effect? However as stated by me, the Management have assured them that the matter will be fully discussed with them before any decision is taken.

Shri Tan Singh: Is the hon. Minister in a position to state the number of those pilots who are of foreign origin and are working in this country?

Shri Mohiuddin : As far as I know there are no foreign pilots in Air-India .But I would make definite enquiries about it.

श्री नाथ पाई : क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि उन्होंने अपने उत्तर में दो विपरीत बातें कही हैं ? मूल प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उन्होंने कहा कि जहां तक उन्हें पता है, पायलट्स गिल्ड ऑफ इण्डिया के कुछ जूनियर सदस्यों ने शिकायतें की हैं और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि फिर भी वे पायलट्स गिल्ड के साथ बातचीत करेंगे। यदि पायलटस गिल्ड ने कोई शिकायत

नहीं की, तो फिर इसकी आवश्यकता क्यों है ? यह एक विपरीत बात है । दूसरे, क्या भारत सरकार की इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के बारे में यह सामान्य नीति नहीं है कि जिन विमान चालकों ने कारपोरेशन की नौकरी छोड़ कर अन्य समवायों में नौकरी कर ली हो, जैसा कि इन दो विमान चालकों ने इस मामले में किया है, उनको फिर न रखा जाय ? फिर भी उत्तर के अनुसार उनको पुनः नौकरी पर रखा जा रहा है । केवल इन दो विमान चालकों के लिये इस नियम का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है ?

श्री मुहीउद्दीन : मुझे किसी ऐसे नीति विनिश्चय का पता नहीं है तथा मेरे विचार से दो विपरीत बातें कहने का भी कोई प्रश्न नहीं है । मैंने तथ्य बताये हैं ।

श्री नाथ पाई : 'गिल्ड' के जनरल सेक्रेटरी तथा प्रेसीडेंट ने शिकायत की है ।

श्री मुहीउद्दीन : तथ्य यह है कि प्रेस भेंट के दौरान कुछ जूनियर विमान चालकों ने यह कहा था कि उन विमान चालकों को भर्ती करने सम्बन्धी जो अस्थायी प्रस्ताव प्रबन्धकों के विचाराधीन हैं, वे उसको ठीक नहीं समझते । परन्तु विचार विमर्श विशेष विमान चालकों के साथ नहीं अपितु गिल्ड के साथ किया जाना चाहिये । इसलिये तो मैंने बताया है कि कोई निर्णय करने से पहले गिल्ड के साथ विचार-विमर्श किया जायेगा ।

श्री जोकीम आल्वा : 'एयर इंडिया' के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्रायः हड़ताल की धमकियां सुनने में क्यों आती रहती हैं ? क्या इसका कारण यह है कि वे अपने वेतनों से असन्तुष्ट हैं और यदि हां, तो क्या उनको यह बता दिया गया है कि भारतीय वायु सेना के विमान चालकों को, अधिक जोखिम होते हुए भी, कम वेतन मिलता है ? अथवा क्या यह इसलिये है कि अपंग हो जाने पर उनको बेरोजगारी का खतरा है ? अथवा इसका कारण यह है कि हम उनके साथ मानवीय आधार पर, शान्तिपूर्वक तथा उचित ढंग से व्यवहार नहीं करते हैं ?

श्री मुहीउद्दीन : मेरे विचार से माननीय सदस्य एयर इंडिया के प्रश्न को इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन के प्रश्न के साथ जोड़ रहे हैं । अंगहानि के बारे में हड़ताल की धमकी इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में दी गई थी, एयर इंडिया में नहीं । जहां तक एयर इंडिया का सम्बन्ध है, जो कुछ मैंने कहा है उसको छोड़ कर कोई भी हड़ताल की धमकी नहीं दी गई ।

Shri Sheo Narain: Have these two pilots, who have been re-employed, been offered their old grade or a fresh appointment has been made?

Shri Mohiuddin: They have not been appointed as yet.

Shri Tulshidas Jadhav: What is the minimum and the maximum pay drawn by a pilot?

Shri Mohiuddin: I do not have details about their pay at the moment.

National Road Safety Council

1117. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a National Road Safety Council; and

(b) if so, the broad features of its constitution?

The Minister of Shipping in the Ministry of Transport (Shri Raj Bahadur): (a) Yes.

(b) A statement showing the broad features of the draft constitution of the proposed National Road Safety Council is laid on the Table of the House. **[Placed in the Library. Please see No. LT-2749/64]** This draft constitution is likely to be modified in the light of the views now received from the State Governments and the Motor Vehicles Insurance Committee and which are under examination.

Shri Onkar Lal Berwa: The statement reveals that the members would not be paid any allowance and the Chairman would donate Rs. 3 to 5 lakhs while the members would subscribe Rs. 300 or Rs. 25. May I know the purpose for which this amount shall be spent while the members would not be paid any allowance etc.?

Shri Raj Bahadur: It would be spent for road safety propaganda and and other essential things.

Shri Onkar Lal Berwa: Would the representatives of State Governments be included in the total membership numbering 40? Would the Committee be under the Centre or shall have some concern with the States as well?

Shri Raj Bahadur: It is there in the statement. It is under consideration.

Shri Onkar Lal Berwa: It has not be given in the statement whether this Committee shall have any concern with the State Governments and whether the total membership of 40 includes representatives of all the States.

Shri Raj Bahadur: The State Governments have been consulted. They have suggested some modifications. I have already stated it.

Shri A. P. Sharma: Which interests would be represented in it? Would the labour representatives be included or not?

Shri Raj Bahadur: Details about its organisation are given in the statement.

संघ सरकार के प्रतिनिधि--यह सब विवरण में दिया गया है ।

Shri A. P. Sharma: Would there be any labour representative?

Shri Raj Bahadur: The question of labour representative is not probably involved in it.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : जो प्रारम्भिक प्रस्ताव सभा-पटल पर रखे गये हैं उनमें इस परिषद् के प्रतिनिधियों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि क्या सिफारिशें अनिवार्य होंगी या केवल सुझाव मात्र । क्या मैं इस बारे में स्थिति जान सकता हूं ?

श्री राज बहादुर : परिवहन ऐसा विषय है जो राज्य सरकार के कार्यपालिका उत्तरदायित्व में आता है । सड़क सुरक्षा परिषद् ऐसा निकाय है जो कतिपय उपायों को अपना कर सहायता तथा परामर्श देगा । इस विशेष सम्बन्ध में इसे एक मंत्रणाकारी निकाय के रूप में काम करना है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या कुछ विधियां बनाने की हिदायतें दी गई हैं ताकि ये चीजें लोगों, गाड़ियों के मालिकों तथा संगठनों के लिये आभार्य बनाया जा सके ?

श्री राज बहादुर : इसके लिये विधान बनाना आवश्यक हो सकता है । कुछ भी हो, तीसरे पक्ष के बीच के मामलों के प्रशासन के लिये एक संविधि आवश्यक होगी ।

श्री प० ना० कमाल : क्या मैं जान सकता हूं कि इसमें श्रमिकों का कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं रखा गया है ?

श्री राज बहादुर : यह सड़क सुरक्षा का मामला है जिसमें कोई एक वर्ग या तत्व नहीं बल्कि सारे नागरिक रुचि रखते हैं ।

श्री तुलशीदास जाधव : क्या सरकार सड़कों पर मोड़ों को हटाने के कोई आदेश दिये हैं जहां सदा दुर्घटनायें होती हैं ?

श्री राज बहादुर : इस बारे में सड़क प्राधिकार सतत ध्यान दे रहे हैं ।

'रायल नेपाल एयर लाइंस' के लिए प्रशिक्षण सुविधायें

+

*१११८. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'रायल नेपाल एयरलाइन्स कारपोरेशन' ने विमान चालकों, इंजीनियरों तथा टेक्निशियनों के लिये प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए तकनीकी सहायता देने के लिये भारत सरकार से कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) रायल नेपाल एयरलाइन्स ने अपने विमान चालकों, इंजीनियरों तथा टेक्निशियनों को तकनीकी सहायता तथा प्रशिक्षण देने के लिये इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन से कहा है ।

(ख) रायल नेपाल एयरलाइन्स कारपोरेशन को प्रत्येक संभव तकनीकी सहायता दी जायेगी ।

Shri Yashpal Singh : Will this training be imparted here or our trainers would go to Nepal?

Shri Mohiuddin : Mostly training is given here.

Shri Yashpal Singh : Will the expenditure on training be met by the Govt. of Nepal or by us?

Shri Mohiuddin : It is a question of details. There are several things on which we shall bear the expenses but details are yet to be finalised.

Shri M. L. Dwivedi : I want to know how many pilots would be trained at a time and what the duration of training is going to be.

Shri Mohiuddin : The question here is not about the number of pilots to be trained. As an when they need pilots, they would be trained.

Shri M. L. Dwivedi : The question is how many pilots would be trained at a time.

Shri Mohiuddin : It depends upon the Govt. of Nepal as to how many pilots are to be sent.

Shri A. P. Sharma : May I know whether training would be imparted to others, to the Nepalese, despite lack of training facilities here or adequate facilities would first be provided in our own country?

Shri Mohiuddin : Training is not wanting here.

Shri Tan Singh : May I know the conditions on which this assistance would be given?

Shri Mohiuddin : There are no conditions for it.

Shri Sheo Narain : May I know the duration of the training given to pilots?

Shri Mohiuddin : Training to pilots is given in a number of stages. The training of a new lad who is 18, 19 or 20 years old, takes at least three years.....

Mr. Speaker : How many days it would take if Shri Sheo Naraini if to be trained.

Shri Mohiuddin : If after completing the pilot training somebody wants to have further training or training of some other aircraft it takes a little more time.

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या नेपाली विमान चालकों तथा टेक्नीशियनों को प्रशिक्षण देने की बात मानने से पहले सरकार ने नेपाल सरकार से यह नहीं पूछा था कि कितने व्यक्ति प्रशिक्षण के लिये भेजे जायेंगे ?

श्री मुहीउद्दीन : हमारे जनरल मैनेजर को नेपाल बुलाया गया था और वह मार्च में वहां गये थे ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या यह कोरा चैक है ?

श्री मुहीउद्दीन : वह मार्च, १९६४ में वहां गये थे और प्रारम्भिक बातचीत की । अब हमारे जनरल मैनेजर ने नेपाल एयरलाइन्स के प्रशासनिक अधिकारी को ब्यौरे के बारे में अग्रेतर बातचीत के लिये दिल्ली आमंत्रित किया है । सारी चीज़ को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

श्री नि० रं० लास्कर : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस योजना की अवधि के बारे में कोई फैसला कर लिया गया है ?

श्री मुहीउद्दीन : यह जारी रहने वाला सिलसिला है ।

Shrimati Johraben Chavda : What would the percentage of women pilots to be trained?

Shri Mohiuddin : If women come from Nepal, they would also be given training.

डा० सरोजिनी महिषी :१९६४–६५ में नेपाल एयरलाइन्स के विमान चालकों, इंजीनियरों तथा टेक्निशियनों को प्रशिक्षण सुविधायें देने के लिये तकनी की सहायता की वित्तीय उपलक्षतायें क्या हैं ?

श्री मुहीउद्दीन : यह तो विमान चालकों की संख्या पर निर्भर करेगा ।

दिल्ली की सहकारी समितियां

+

*१११९. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री काशी राम गुप्त :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में कुछ सहकारी समितियों की जांच शुरू कर दी है या शुरू करने के इरादे की सूचना दी है ;

(ख) यदि हां, तो ये सहकारी समितियां कौन कौन सी हैं ;

(ग) क्या संघ राज्य-क्षेत्र की कुछ अन्य सहकारी समितियों को शामिल नहीं किया गया है, और

(घ) यदि हां, तो कौन कौन सी समितियों को शामिल नहीं किया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ). दिल्ली प्रशासन दिल्ली-संघ राज्य क्षेत्र में कुछ सहकारी समितियों के कार्यकरण की जांच करवाने के बारे में सोच रहा है। इस बारे में अभी कोई सूचना नहीं दी गई है। संविहित जांच का क्षेत्र क्या हो और उसके अन्तर्गत कौन सी विशेष सहकारी समितियां आयें यह अभी विचाराधीन है ।

Shri Prakash Vir Shastri : I want to know whether some M. Ps. and big political leaders of Delhi are closely associated with those Co-oprative stores or societies of Delhi State in regard to which enquiry has been instituted and if so, whether you have a list of such persons.

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या दिल्ली में चल रही इन सहकारी समितियों के साथ कुछ संसद्-सदस्यों तथा अन्य राजनैतिक नेताओं का सम्बन्ध है।

श्री ब० सू० मूर्ति : दिल्ली में ही नहीं, प्रत्येक स्थान पर ऐसा होता है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : प्रश्न विशेषत: दिल्ली के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : इसका अर्थ है कि उनका सम्बन्ध है।

Shri Prakash Vir Shastri : Had he replied in clear words it would have been better.

Mr. Speaker : All the same it means that they are associated.

Shri Prakash Vir Shastri : What is the mode and terms of reference of the enquiry which you have instituted in regard to Co-operative societies ?

श्री ब० सू० मूर्ति : दिल्ली क्षेत्र में लगभग २००० समितियां हैं । कुछ चुनी हुई समितियों में हम इस बात की जांच करवा रहे हैं कि इन समितियों के दैनिक कार्यकलापों में सहकारी सिद्धान्त कैसे काम कर रहे हैं ताकि हम यह निष्कर्ष निकाल सकें कि क्या दिल्ली क्षेत्र में, जहां माननीय सदस्य के कथनानुसार राजनैतिक नेतागण काफी रुचि ले रहे हैं, वे अच्छी तरह काम कर रही हैं या नहीं ।

श्री नाथ पाई : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि कुछ चुनी हुई सहकारी समितियों के कार्यकरण की जांच की जायेगी । इस जांच के लिये चुने जाने या न चुने जाने का मान देने की कसौटी क्या है ?

श्री ब० सू० मूर्ति : कसौटी यह है कि प्राप्त जानकारी के अनुसार कतिपय समितियां सहकार के सिद्धान्तों पर नहीं चल रही हैं ।

श्री रंगा : इस बात को देखते हुए कि इन अनुपयुक्त कामों में जो कि सार्वजनिक सम्पत्ति है बहुत बड़े बड़े लोग अन्तर्ग्रस्त हैं जिन में भूतपूर्व दिल्ली राज्य के भूतपूर्व मुख्य मंत्री भी हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : उस पर हम चर्चा कर चुके हैं । यह तो एक सामान्य प्रश्न है ।

श्री रंगा : इसे देखते हुए क्या सरकार ने केवल एक विभागीय समिति नियुक्त करने की बजाय एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित करने का विचार किया है जो इस छोटे से क्षेत्र में इन सहकारी समितियों के कामों की जांच करे और उनमें सुधार लाने के लिये मार्गो पाय बताये ?

श्री ब० सू० मूर्ति : माननीय सदस्य जानते हैं कि माननीय सदस्य द्वारा लगाये गये आरोप की जांच पिछले महीने की ११ तारीख को ही शुरू की गई है । अब लेखापरीक्षा दल खातों की जांच कर रहा है और जिस विशेष समिति का उल्लेख किया गया है उसकी रिपोर्ट कुछ महीनों में तैयार हो जायेगी । उसके बाद ही उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त करने या न करने पर विचार किया जा सकता है ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या यह जांच किन्हीं शिकायतों के आधार पर की जा रही है या यह नेमी जांच है ? यदि कोई शिकायतें मिली हैं तो वे क्या हैं ?

श्री ब० सू० मूर्ति : मैं नहीं जानता हूं कि यह प्रश्न पिछले प्रश्न से सम्बन्धित है या नहीं . . . .

अध्यक्ष महोदय : यदि उससे सम्बन्धित है तो उत्तर दे दिया जाये अन्यथा नहीं ।

श्री ब० सू० मूर्ति : जिन १० समितियों की जांच होने की संभावना है उनके बारे में कोई जानकारी देना इस समय सम्भव नहीं है ।

श्री रे० जी० नायक : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय राज्य सरकारों को अपने अपने राज्य में ऐसी जांच करने की सलाह देगा ?

श्री ब० सू० मूर्ति : जब भी राज्य सरकारों के ध्यान में कोई मामला लाया जाता है उसकी जांच के लिए सभी राज्य सरकारों के नियम हैं । ऐसी चीजों में राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिये किसी तदर्थ अथवा सामान्य नियम की आवश्यकता नहीं है ।

डा० सरोजिनी महिषी : क्या मैं १९६३-६४ में ऐसी जांच के लिये चुनी गई सहकारी समितियों की संख्या जान सकती हूं और क्या इस चयन का देश में सहकारी समितियों के कार्य-करण की सफलता या असफलता पर कोई प्रभाव है ?

श्री ब० सू० मूर्ति : ऐसी जांच के लिये कोई वर्षवार व्यवस्था नहीं है ।

Shri Achal Singh : Is the hon. Minister aware of the fact that there is lot of misappropriation in these societies because there is no timely enquiry ?

Mr. Speaker : Let the report come.

श्रीमती यशोदा रेड्डी : क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकती हूं कि इन थोड़ी सी सहकारी समितियों ने सहकार के किन महत्वपूर्ण सिद्धान्तों का अनुसरण नहीं किया है जिनकी कि जांच हो रही है ?

श्री ब० सू० मूर्ति: जैसा कि मैंने पहले बताया है यह अभी अनिश्चित अवस्था में है और सिद्धान्त तथा स्वरूप के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा सकती ।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : यही तो मेरा प्रश्न है । किन बातों के कारण सरकार इन सहकारी समितियों की जांच करने के लिये तैयार हुई है ?

श्री ब० सू० मूर्ति : इसका उत्तर मैं दे चुका हूं ।

Shri M. L. Dwivedi : There are certain Co-operative societies in Delhi which are not under the Co-operation Ministry but under the Home Ministry, *e.g.*, the Central Employees Co-operative Store. Who will look into the misappropriation, if any, in these societies ?

श्री ब० सू० मूर्ति : मैं नहीं समझता कि कोई सहकारी समिति सहकार प्रशासन के क्षेत्राधिकार से बाहर है ।

श्री हेम बरुआ : कुछ सहकारी समितियों के साथ, जिनकी हाल ही में जांच हो रही है, क्योंकि कुछ बड़े विख्यात राजनैतिक नेताओं का सम्बन्ध है जिनमें संसद्-सदस्य भी हैं, क्या यह सच है कि ये राजनैतिक नेता सरकार पर, और विशेषत: गृह-कार्य मंत्री पर, दबाव डाल रहे हैं कि मुख्य आयुक्त को यहां से स्थानान्तरित कर दिया जाये ?

श्री ब० सू० मूर्ति : यही प्रश्न श्री रंगा पहले पूछ चुके हैं और मैंने इसका उत्तर दे दिया है ।

श्री रंगा : मैंने मुख्य आयुक्त के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा था ।

श्री हेम बरुआ : क्या मैं निवेदन कर सकता हूं कि उन्होंने क्योंकि प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है और उन्होंने सभा को गुमराह करने की कोशिश की है तथा आप . . .

अध्यक्ष महोदय : मैंने भी सभा को गुमराह करने की कोशिश की है ?

श्री हेम बरुआ : आपने नहीं, श्रीमान् । उन्होंने सभा को गुमराह करने की कोशिश की और आप को भी गुमराह करने का प्रयत्न किया ।

अध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरुआ को महसूस करना चाहिये कि यदि यह ठीक भी हो कि मुख्य आयुक्त को स्थानान्तरित करने के लिए दबाव डाला जाता है परन्तु मंत्री महोदय स्वीकार नहीं करेंगे । तो फायदा क्या है ?

श्री हेम बरुआ : उन्हें उत्तर तो देने दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

चीनी का निर्यात

*११२३. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में उत्पादित चीनी के समस्त स्टाक को ले लेने तथा देश में वितरण का तथा निर्यात करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) चीनी किस मूल्य पर खरीदी तथा बेची जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे) : (क) और (ख). प्रस्तावित चीनी निगम देश में उत्पादित चीनी का देश में वितरण तथा निर्यात करेगा ।

(ग) निगम जब स्थापित हो जायेगा तब चीनी के विक्रय मूल्य का फैसला करेगा । कारखाने पर चीनी प्राप्त करने का जो मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है वही चीनी का क्रय मूल्य होगा ।

श्री सुबोध हंसदा : क्या सरकार ने कारखानों से चीनी प्राप्त करने के लिये कोई नीति रखी हुई है, और क्या चीनी के प्राप्त करने के मूल्य और निर्यात मूल्य में कोई अन्तर है ?

श्री शिन्दे : जहां तक कारखानों से चीनी प्राप्त करने का सम्बन्ध है, सरकार प्रशुल्क आयोग द्वारा तैयार की गई अनुसूचियों के अनुसार कार्य करती है । जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में विक्रय मूल्य का सम्बन्ध है, वह अन्तर्राष्ट्रीय मंडी की चालू दरों और मुख्यत: लन्दन मूल्य के अनुसार होता है ।

श्री सुबोध हंसदा : मिल मालिकों के मुनाफे की दर क्या है ?

श्री शिन्दे : प्रशुल्क आयोग की सिफारिश है कि मिल मालिकों को विनियोजित पूंजी पर १२ प्रतिशत मुनाफा दिया जाये, और सरकार उस आधार पर काम करती है ।

श्री रंगा : बहुत समय की बात नहीं है, जब कि माननीय मंत्री ने कहा था कि उन्होंने समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह सिफारिश की है कि गन्ना उत्पादकों को २ रु० प्रति मन के हिसाब से भुगतान किया जाना चाहिये । क्या मैं जान सकता हूं कि नवीनतम स्थिति क्या है ? क्या भारत सरकार को उनका अभ्यावेदन प्राप्त हो गया है और क्या सरकार उस सिफारिश को स्वीकार करने के लिये सहमत हो गई है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अ० म० थामस) : इस प्रश्न का मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है जो कि चीनी विपणन बोर्ड के गठन के बारे में है, न कि गन्ने के मूल्यों के बारे में ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या प्रस्तावित निगम अथवा बोर्ड चीनी का वितरण अपनी दुकानों द्वारा अथवा सहकारी समितियों द्वारा अथवा गैर-सरकारी दुकानदारों द्वारा करेगा ?

श्री शिन्दे : जहां तक खुदरा बिक्री का सम्बन्ध है, निगम खुदरा व्यापार करने का इरादा नहीं रखता। परन्तु ऐसा विचार है कि यह कार्य विभिन्न सहकारी अभिकरणों और शायद वर्तमान छोटे खुदरा अभिकरणों को दिया जायेगा।

श्री माल सिंह० पृ० पटेल : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि थोक और खुदरा दोनों के वितरण का वर्तमान तरीका अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, क्या सरकार इस नीति के द्वारा सभी राज्यों में सहकारी समितियों द्वारा वितरण का एक सामान्य और एक सामान तरीका क्रियान्वित कराना चाहती है ?

श्री अ० म० थामस : वितरण के एक समान तरीके की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में बोर्ड थोक व्यापारियों को नियुक्त करेगी जो इस कार्य को करेंगे, और जहां भी संभव होगा हम सहकारी संगठनों को अधिमान देने का प्रयत्न करेंगे। हमारी यह भी कोशिश होगी कि बड़े से बड़े क्षेत्र में जहां तक संभव हो एक समान मूल्य हो।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : चीनी विपणन बोर्ड किस प्रकार का है तथा इसमें कौन कौन व्यक्ति हैं, और क्या इसमें सहकारी चीनी मिलों के प्रतिनिधि होंगे ?

श्री अ० म० थामस : आरम्भ में, इस बोर्ड में केवल विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों को प्रतिनिधान मिलेगा। इसमें एक पूर्णकालिक चेयरमन एवम् प्रबन्ध निदेशक होगा और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होगा।

श्री विश्वनाथ राय : चीनी के अनुकूल अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार चीनी की निर्यात की मात्रा में वृद्धि करना चाहती है, और यदि हां, तो १९६४-६५ में क्या वास्तविक मात्रा निर्यात की जायेगी ?

श्री अ० म० थामस : इस सभा में बताया जा चुका है कि हमारा मूल विचार ३ लाख टन निर्यात करने का था, परन्तु इस समय हम केवल लगभग २½ लाख टन निर्यात करेंगे।

श्री जसवन्त मेहता : क्या सरकार ने प्रशासनिक प्रभार का हिसाब फैला लिया है और यदि हां, तो केन्द्रीय वितरण संगठन स्तर पर और निम्नतर स्तर पर क्या प्रभाव होंगे ? प्रतिशतता क्या होगी ?

श्री अ० म० थामस : प्रशासनिक प्रभार का हिसाब लगाया जा रहा है। वास्तव में बोर्ड के गठन पर भी विचार किया जायेगा। हमारा विचार यह है कि बोर्ड के खर्चों को कारखानों द्वारा चीनी की बिक्री पर कमीशन लेकर पूरा किया जाये।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : क्या नया बिचौलिया बनाने से चीनी के मूल्य बढ़ नहीं जायेंगे ? जबकि मंत्रालय द्वारा यह मान लिया गया है कि वे वितरण की एक समान नीति अथवा सब स्थानों पर निर्धारित मूल्यों के रखने के लिये एक समान नीति का अनुसरण नहीं करेंगे, तो इस नये बिचोलिये को रखने से क्या आशय है ? क्या यह मूल्यों को बढ़ाने अथवा सरकार के लिये अधिक मुनाफा प्राप्त करने के लिये है ?

श्री अ० म० थामस: नया बिचोलिया बिलकुल नहीं होगा। हम इस निगम को देश में वितरण और निर्यात करने के लिये स्थापित करना चाहते हैं। एक अर्धस्वायत्तशासी निकाय अपने कार्यों में लचीला होगा।

श्री ह्रेडा : क्या सरकार को इस समय तक यह पता लग गया है कि देश में कुल उत्पादन कितना है ? यदि हां, तो क्या सरकार देश में चीनी के मूल्यों पर प्रभाव डालने का विचार कर रही है, यदि हां, तो किस प्रकार ?

श्री अ० म० थामस : : हमारा अनुमान है कि उत्पादन लगभग २६ लाख मीट्रिक टन है।

श्री कृ० चं० पन्त : : यदि बोर्ड निर्यात व्यापार पर लाभ अर्जित करता है तो क्या उसे उपभोक्ताओं के लिये देश के भीतर चीनी की लागत कम करने के लिये उपयोग में लाया जायेगा ?

श्री अ० म० थामस : जी, नहीं।

श्री रंगा : इस लचीलेपन से क्या अर्थ है जिसे कि वे, अतिरिक्त निकाय, जिसे कि अर्ध-स्वायत्तशासी निकाय कहा जाता है, को बना कर देना चाहते हैं ? जैसाकि प्रशुल्क आयोग ने पहले से ही मिलमालिकों के लिये अधिकतम मुनाफे की एक निश्चित प्रतिशतता निर्धारित कर दी है, क्या सरकार यह देखने का यत्न करेगी कि यह अर्धस्वायत्तशासी निकाय तथाकथित लचीलेपन से फायदा उठा कर लाभ तो अर्जित नहीं करता अपितु इन सभी थोक व्यापारियों को बिना-लाभ-बिना-हानि के आधार पर चीनी देता है ?

श्री अ० म० थामस : यह बिना-लाभ-बिना-हानि के आधार पर नहीं होगा। जैसाकि मैंने पहले बताया बिक्री पर कमीशन लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त, सभी चीनी पैदा करने वाले देशों में इस प्रकार के विपणन संगठन हैं। आस्ट्रेलिया, इन्डोनेशिया, अर्जेन्टाइना, ब्राजील, चेकोस्लोवाकिया, क्यूबा, फ्रांस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन और मेक्सिको सभी देशों में ऐसे संगठन हैं। यह आवश्यक भी है। वास्तव में इस सभा में यह राय प्रकट की गई है कि समस्त देश में उपभोक्ताओं द्वारा दिये जाने वाले मूल्य में समानता होनी चाहिये। वास्तव में हम यथासंभव बड़े क्षेत्र में एक समान मूल्य रखने का प्रयत्न करते हैं।

Restrictions on Movement of Wheat

***1125. Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have banned the movement of wheat and wheat products from one State to another;

(b) if so, the measures proposed to be taken with regard to the famine stricken areas; and

(c) whether Government themselves would make necessary arrangements ?

The Parliamentary Secretary to the Minister of Food and Agriculture (Shri Shinde): (a) The Government of India promulgated on the 23rd March, 1964, the Inter-Zonal Wheat and Wheat Products (Movement Control) Order, 1964, prohibiting the movement of wheat and wheat products from one zone to another.

(b) and (c). Government of India are supplying the quantities of imported wheat required by the State Governments for distribution within their respective States. In addition, the requirement on all the roller flour mills in the country is also being met by supplies of imported wheat from Central Government's stocks.

Shri Onkar Lal Berwa : Has the Government conducted a survey of the famine stricken areas of Rajasthan to assess the requirement of foodgrains and the quantity permitted to be brought by the traders ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अ० म० थामस) : जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है, राजस्थान ने भी यह मांग की है कि राजस्थान से गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई जानी चाहिये। वास्तव में, क्षेत्रों के बनाने में सामान्य विचार जो हम ने ध्यान में रखा है, उसके अतिरिक्त राज्य सरकार से भी प्रार्थना प्राप्त हुई है।

जहां तक राजस्थान को आयातित गेहूं की सप्लाई का सम्बन्ध है, १९६३ में वितरण की सम्पूर्ण मात्रा २६,००० मीट्रिक टन थी, परन्तु पिछले तीन महीनों में हम ने राजस्थान को ११९,००० मीट्रिक टन गेहूं दिया है। अतः उन की मांग कितनी भी हो हम उसे पूरा कर रहे हैं।

Shri Onkar Lal Berwa : I would like to know the number of traders who have been issued perm its or licences for bringing wheat to the famine stricken areas of Rajasthan; the names of the States from which the wheat would be brought and the time by which it would start reaching Rajasthan.

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : जहां तक राजस्थान राज्य का सम्बन्ध है, इस का गठन, राजस्थान सरकार की प्रार्थना और सुझाव पर, पृथक ज़ोन में किया गया है। यह आशा की जाती है कि वहां पर जो गेहूं पैदा किया जाता है वह उन की आवश्यकताओं के लिये काफी होगा। इसके होते हुए भी, हम बेलन आटा मिलों को और उचित मूल्य वाली दुकानों के द्वारा वितरण के लिये भी आयातित गेहूं बराबर दे रहे हैं। राजस्थान में अन्य राज्य से गेहूं लाने के लिये किसी व्यापारी को परमिट देने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री कृष्णपाल सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि यह आदेश और इसी प्रकार के नियन्त्रण आदेश, जैसेकि गुड़ नियंत्रण आदेश, को उस समय क्यों जारी किया जाता है जिस समय कि काश्तकार अपनी फसल को मंडी में लाने वाला होता है। उन्हें उस समय क्यों जारी नहीं किया जाता जिस समय कि स्टाक स्टाकिस्ट के पास होता है ? यह आदेश के सम्बन्ध में बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब काश्तकार अपनी फसल मंडी में लाने वाला होता है तो मूल्य को नीचे गिरा दिया जायेगा।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। गुड़ नियंत्रण आदेश उस समय लागू किया गया था जब गुड़ पैदा किया जाने वाला था, और यह आदेश अब भी जारी है, यद्यपि उत्पादन अब बन्द हो गया है, और हमारा अभिप्राय इस को जारी रखने का है। हमें किसी न किसी समय पर तो आरम्भ करना ही पड़ता है, और हम ने गुड़ के सम्बन्ध में उपयुक्त समय पर आदेश जारी किया।

गहूं के सम्बन्ध में भी, इस के लाने ले जाने पर ऐसे समय पर नियंत्रण लगाना जबकि मूल्य बहुत ऊंचे थे और स्टाक बहुत कम था कोई बुरी बात नहीं थी। अतः हम अतिरेक मात्रा वाले क्षेत्रों

को उनकी आवश्यकताएं पूरा करने के लिये आयातित गेहूं बराबर दे रहे हैं, और केवल यही उपयुक्त समय था जबकि हम अनाज के लाने ले जाने पर नियंत्रण सम्बन्धी आदेश लागू करने के बारे में सोच सकते थे।

श्री कपूर सिंह : क्या यह सच है कि विनियामक उपायों द्वारा सरकार पंजाबियों को देसी गेहूं का उपभोग करने से रोकना चाहती है और उन्हें आयातित गेहूं खिलाना चाहती है ?

श्री स्वर्ण सिंह : बात इस के विपरीत है। पंजाब का पृथक खंड बनने से, पंजाबी अब अपने गेहूं का उपभोग कर सकते हैं।

श्री कपूर सिंह : पूर्णतया ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस के अतिरिक्त, बेलन आटा मिलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये हम आयातित गहूं भी देते रहेंगे।

Shri Bade : Do Government propose to ban the movement of wheat from one district to another as they have banned its movement from one State to another ?

Shri Swaran Singh : Now the restriction order has been imposed on the movement of wheat from one State to another; at present there is no proposal to impose such a ban on the districts but if need be, it can be considered.

Shri Tulshi Das Jadhav : We spend a lot of money on the import of foodgrains, but when the cultivator brings his produce to the market innumerable restrictions are imposed upon it. Instead of spending money on the import of foodgrains, Government should pay fair price to the cultivator for his produce and side by side grant subsidy for the benefit of the consumers so that farmers may get impetus for growing more foodgrains.

Shri Swaran Singh : It is only a suggestion. It is a general thing on which lot of discussion has already taken place.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : सरकार इन गेहूं के ज़ोनों अथवा चावल के ज़ोनों का गठन केवल राज्य सरकारों के सुझावों पर करती रही है, और मैं देखता हूं कि खंडों के गठन के पीछे कोई मूल कारण नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप . . . . .

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पूछना चाहिये न कि देखना चाहिये।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार फालतू आनाज वाले और कमी वाले क्षेत्रों को मिला कर ज़ोनों के गठन करने की वांछनीयता पर विचार कर रही है जिस से कि मूल्यों को नीचा रखा जाये ?

श्री स्वर्ण सिंह : चावल ज़ोन उसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर बनाये गये हैं और निस्सन्देह सभा इस से अवगत है कि दक्षिणी क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, मद्रास और केरल हैं। केरल में चावल की बहुत कमी है, आन्ध्र प्रदेश में चावल बहुत ज्यादा है, मद्रास में सीमांत रूप से फालतू मात्रा है, मैसूर में सीमांत रूप से कमी है। पूर्वी ज़ोन में भी उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल एक खंड में हैं, उड़ीसा अतिरेक मात्रा वाला और पश्चिमी बंगाल कुछ कमी वाला क्षेत्र है। अतः ज़ोन बनाते समय इस बात को सदैव ध्यान में रखा जाता है।

जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है, अनुमान यह है कि इन गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों में भी कुल उत्पादन से कोई बड़ी मात्रा फालतू नहीं बचेगी। दिल्ली, जोकि बड़ी मात्रा में उपभोग करने वाला

केन्द्र है, पंजाब के साथ मिलाया गया है जहां गेहूं फालतू है। इसी प्रकार जम्मू तथा काश्मीर और हिमाचल प्रदेश को पंजाब के साथ मिला दिया गया है। अत: गेहूं के लिये ज़ोन बनाने में भी फालतू मात्रा वाले क्षेत्रों और उपभोग क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है।

प्रश्नों की समय-सीमा के बारे में

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल समाप्त हो गया है।

श्री अ० प्र० शर्मा : श्रीमन्, मेरा एक औचित्य प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : अब जबकि प्रश्न-काल समाप्त हो गया है ?

श्री अ० प्र० शर्मा : इस प्रश्न-काल के सम्बन्ध में। इस सभा में प्रश्नों के पूछने के लिये समय सीमा निर्धारित की हुई है और प्राय हम यह देखते हैं कि जब हम प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर संतोषजनक नहीं होते। मैंने दिसम्बर के महीने में एक प्रश्न पूछा था . . .

अध्यक्ष महोदय : यदि उन्हें किसी विशेष प्रश्न के बारे में शिकायत है तो वह मेरे पास आकर बता सकते हैं। मैं उसकी फाइल मंगा लूंगा। अब मैं उसका जबानी जवाब कैसे दे सकता हूं ? अल्प सूचना प्रश्न।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर
SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWER

राणा प्रताप सागर बांध

\+

अल्प सूचन प्रश्न संख्या २०. { **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** / **श्री उ० मू० त्रिवेदी :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राणा प्रताप सागर बांध में कई दरारें पड़ गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन त्रुटियों को दूर करने के लिये भारत सरकार ने यदि कोई कदम उठाये हैं तो वे क्या हैं ; और

(घ) क्या यह जानने का कोई प्रयत्न किया गया है कि इसके लिये कौन जिम्मेदार है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस का क्या परिणाम रहा ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) पक्के बांधों का निर्माण 'ब्लाक्स' में होता है। इन 'ब्लाक्स' की चौडाई ५० से १०० फुट तक होती है। राणा प्रताप सागर बान्ध में लगभग ७०, ७० फुट के ५० 'ब्लाक्स' हैं। ब्लाक संख्या ७ में, जिसकी कि चिनाई नींव से केवल ८ फुट ऊंची रखी गई थी, ३१ मार्च, १९६४ को लगभग एक से दो मिलीमीटर चौड़ी आड़ी दरार देखी गई थी। दरार की गहराई सतह से २ फुट नीचे तक थी।

स्पिलवे ब्लाक २१ और २५ में चिनाई नींव से लगभग ७० फुट ऊंची बनाई गई है और नीचे की ओर कंक्रीट कवर जो कि ५ फुट मोटा है उसकी ऊंचाई लगभग १० फुट कम बनाई गई है। दरारें कंक्रीट के सब से ऊंचे वाले भाग की सतह पर देखी गई थीं। इनकी गहराई अथवा लम्बाई कुछ नहीं है और ये दरारें केवल ऊपरी हैं।

(ग) ब्लाक ७ में दरार की गहराई का पता लगाने के लिये, दरार की दोनों ओर से चिनाई लगभग ३, ३ फुट हटा दी गई थी। दरार की गहरई लगभग २ फुट है। जिस स्थान से चिनाई हटाई गई है उसे फिर से भर दिया जायेगा।

ब्लाक २१ और २५ में दरारें कंक्रीट के सिकुड़न के कारण हुई प्रतीत होती हैं और इन में किसी शीघ्र मरम्मत की आवश्यकता नहीं है। कुछ समय बाद यदि आवश्यक समझा गया तो मरम्मत का कार्य, जैसे कंक्रीट को काटने और बदलने का काम आरम्भ किया जायेगा।

(घ) ब्लाक संख्या ७ में दरार पड़ने के कारणों की जांच की जा रही है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : इन दरारों की मरम्मत की कुल लागत क्या होगी?

डा० कु० ल० राव : जैसा कि मैं ने बताया, ब्लाक २१ और २५ में दरारों के बारे में चिंता की कोई बात नहीं है। वे ऊपरी हैं और उनमें कुछ ही रु० खर्च आयेंगे। यदि हम ब्लाक ७ में प्रवलन (रिइनफोर्समेंट) का प्रयोग करेंगे तो इसमें लगभग १०० रु० खर्च हो जायेंगे।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या दरारें, जिस समय काम चल रहा था, काम के पर्यवेक्षण में कमी के कारण पड़ी हैं अथवा घटिया सामान के इस्तेमाल के कारण? क्या अभी तक इस बात का पता लगाया गया ?

डा० कु० ल० राव : : ब्लाक २१ और २५ में दरारें ऊपरी हैं और ये कंक्रीट के निर्माणों में सामान्य रूप से पड़ जाती हैं। ब्लाक ७ में दरार के सम्बंध में जांच की जा रही है; अतः मैं इस समय इस सम्बंध में कोई निश्चित उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : मैं अन्य दरारों का जिक्र नहीं करता, परन्तु स्तम्भ ७ में दरार के सम्बंध में कुछ पूछना चाहूंगा। क्या इस बात का पता लगा है कि इस निर्माण के लिये जो ठेकेदार और सहायक इंजीनियर और कार्यकारी इंजीनियर जिम्मेदार थे, इससे पहले जिन निर्माणों में दरारें देखी गई हैं क्या उनके लिये भी वे ही व्यक्ति जिम्मेदार थे?

डा० कु० ल० राव : : राणा प्रताप सागर बांध में इससे पहले कोई दरार नहीं थी। केवल ब्लाक ७ में यह अब देखी गई है।

अध्यक्ष महोदय : उनका तात्पर्य अन्य कार्यों से है जो इन ठेकेदारों ने किये हों।

डा० कु० ल० राव : वे मेरी जानकारी में नहीं आये हैं।

श्री रंगा : यदि उन्हें इसका पता नहीं है अथवा उनको जानकारी नहीं दी गई है तो उन्हें इसकी जांच करनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय : अब उनके पास कोई जानकारी नहीं है। वे इसका पता लगाने का प्रयत्न करेंगे ..... (**अन्तर्बाधायें**)

डा० कु० ल० राव : जहां तक मैं जानता हूं जिन स्थानों पर ये व्यक्ति काम करते रहे हैं वहां कोई दरार नहीं पाई गई है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि श्री त्रिवेदी ये बता सकें कि इन ठेकेदारों द्वारा अमुक ठेके का काम किया गया और वहां दरार पाई गई, तो मंत्री उसका पता लगा सकते हैं।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : क्या मंत्रालय की जानकारी में इन दरारों के संबंध में कोई शिकायत लाई गई थी जब कि काम चल रहा था और समाप्त नहीं हुआ था?

डा० कु० ल० राव : जैसा कि मैं ने बताया ब्लाक ७ में काम भूमि से केवल ८ फुट ऊंचाई तक किया गया था, जब कि यह १४० फुट की ऊंचाई तक किया जाना था । यह बिलकुल प्रारम्भिक अवस्था थी । ज्यों ही दरार दिखाई दी कार्यवाही की गई यद्यपि यह दरार बहुत छोटी और मामूली थी ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच कोई समन्वय है--क्योंकि ये बहुत बड़े बांध हैं--ताकि वर्ष में २ या ३ बार २४ घंटे का निरीक्षण किया जा सके जिससे कि दुर्घटनाओं, जैसी कि एक पंशेत बांध में हुई, को रोका जा सके?

डा० कु० ल० राव : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इससे अवगत हैं कि इन परियोजनाओं का काम परियोजन अधिकारियों के अधीन राज्यों द्वारा किया जाता है । मैं कुछ समय से बांध निरीक्षण सेवा स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रहा हूं जिससे कि परियोजनाओं के निर्माण और चालू होने के दौरान में कठिनाइयों को दूर करने और किस्म नियन्त्रण स्थापित करने में परियोजना अधिकारियों को सहायता मिलेगी।

श्री नाथ पाई : क्या यह सच नहीं है कि यदि सभी नहीं तो कुछ ठेकेदारों ने, जो बांधों का निर्माण कर रहे हैं, बांधों के निर्माण की अपेक्षा दरारों में ज्यादा नाम कमाया है?

अध्यक्ष महोदय : श्री ओंकार लाल बेरवा ।

Shri Onkar Lal Berwa : Is it a fact that the Irrigation Minister visited the Rana Pratap Sagar Dam and pointed out that the design of 20-30 feet deep channels was wrong, but inspite of that the work on the channels continued and due to its explosion these cracks have appeared which are now beyond repairs?

डा० कु० ल० राव : मैं ने पिछले कुछ महीनों से इस बांध का दौरा नहीं किया है । ये दरार--मेरा अर्थ इस विशेष दरार से है--दो सप्ताह पहले पड़ी थी । जैसा कि मैं ने निवेदन किया मैं इस समय निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि इसका क्या कारण है । कारणों की जांच हो रही है । बहुत सी बातें हैं जिनकी जांच की जायेगी, और मेरे लिये इस समय विशिष्ट कारण बताना संभव नहीं है ।

श्री बड़े : क्या यह सच नहीं है कि यह ठेकेदार जिसे इस बांध का काम सौंपा गया है वही ठेकेदार है जिसने अन्य बांधों का भी निर्माण किया है, और क्या आप ने ठेकेदार से कोई गारन्टी ली है?

डा० कु० ल० राव : जिस समय तक दरार के सही कारण का पता नहीं चलता—क्या यह दरार ठेकेदार की गलती के कारण पड़ी है अथवा पतली भराई के कारण जिसका काम दूसरी कम्पनी द्वारा किया जा रहा है—तब तक हम किसी पार्टी को इसके लिये जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ।

श्री बड़े : ठेकेदार कौन है? मैं ठेकेदार का नाम जानना चाहता हूं। क्योंकि यह बांध मध्य प्रदेश में है । मैं जानता हूं कि कई ऐसे ठेकेदार हैं जिनका नाम "ब्लैक लिस्ट" में है । अतः मैं इस ठेकेदार का नाम जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति ।

श्री बड़े : ठेकेदार का क्या नाम है?

अध्यक्ष महोदय : वह पहले बैठ जायें । यदि वह खड़े रहेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता है ।

श्री बड़े : आपने कहा है 'शांति, शांति" । इस लिये मैं अपने प्रश्न का उत्तर चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : जब मैं "शांति, शांति" कहता हूं, क्या वह फिर भी बोलते चले जायेंगे? ये अजीब रवैया है ।

श्री बड़े : मैं केवल ठेकेदार का नाम जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : ठेकेदार का क्या नाम है? क्या उन्हें पता है?

डा० कु० ल० राव : इस काम पर अनेक ठेकेदार लगे हुए हैं । चिनाई मैसर्स माडर्न कांस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा की जा रही है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

हवाई जहाजों पर होने वाले अपराध

***११०९. श्री श्रीनारायण दास** : : क्या **परिवहन** मंत्री दिनांक २६ नवम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हवाई जहाजों पर होने वाले अपराधों सम्बन्धी एक अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय का अध्ययन कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने उस अभिसमय पर हस्ताक्षर करने का निर्णय किया है ; और

(ग) उक्त कथित अभिसमय की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं?

परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री महीउद्दीन) : (क) से (ग). जी नहीं, अभिसमय अभी भी सरकार के विचाराधीन है ।

ग्राम्य पुनर्निर्माण

*१११११. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, १९६४ के तृतीय सप्ताह में कुआलालम्पुर में ग्राम्य पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में हुए अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन में क्या विचार व्यक्त किये गये और क्या मुख्य सिफारिशें की गईं ; और

(ख) उनको दृष्टिगत रखते हुए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय राज्य मन्त्री (डा० राम सुभगसिंह): (क) और (ख). सम्मेलन का प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है। आवश्यक कार्यवाही प्रतिवेदन के प्राप्त होने और उस पर जांच करने के पश्चात् की जायेगी।

जल संसाधनों का सर्वेक्षण

*१११३. **श्री महेश्वर नायक** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस देश के भूमि तथा जल संसाधनों का सर्वेक्षण करने के लिए अमरीकी विशेषज्ञों का एक दल भारत पहुंच गया है;

(ख) यह दल जो सर्वेक्षण करेगा उसका निश्चित उद्देश्य क्या है; और

(ग) इस सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्य का प्रारम्भ करने वाले प्राधिकार का नाम क्या है और विशेषज्ञ दल किन शर्तों पर इस सर्वेक्षण को करेगा ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) विशेषज्ञ दल के निर्देश पद निम्न हैं :

(१) जल विभाजन विभाग में जल विभाजन सम्बन्धी प्रबंध, बांध निर्माण और वर्तमान जल वितरण और जल निस्सारण पद्धति को प्रभावित करने वाली वर्तमान नीतियों का पुनर्विलोकन;

(२) जल विभाजन और उपवाद क्षेत्रों में वर्तमान नीति और प्रबन्ध के अन्तर्गत आयोजन और क्रियान्वयता निश्चित करना;

(३) एक जल विभाजन के भीतर परियोजनाएं पूरी करने के लिये आयोजन क्रियान्वयन के लिये वर्तमान संगठनों की योग्यता का पता लगाना;

(४) जल तथा भूमि संसाधनों के अधिकतम लाभ के लिये व्यापक भूमि तथा जल प्रबन्ध आवश्यकताओं के बारे में सिफारिश करना।

(ग) इस दल को भारत में संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ने अपने खर्चे पर बनाया है।

भाटकित[1] 'डकोटा' विमान का दमदम से बागडोगरा ले जाया जाना

*११२०. **श्री स्वैन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है दिल्ली से समाचारपत्रों के संवाददाताओं को गोरा पहाड़ियों को ले जाने वाला 'भाटकित' डकोटा विमान २७ मार्च, १९६४ को दमदम हवाई अड्डे से बागडोगरा ले जाया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री नूहीउद्दीन) : : (क) जी, हां ।

(ख) पाकिस्तानी प्रदेश के ऊपर से भाटकित उड़ान केवल पाकिस्तानी अधिकारियों की पूर्व अनुमति से ही की जा सकती है । क्योंकि यह उड़ान अल्प सूचना पर की गई थी, इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने यह महसूस किया कि पाकिस्तान के असैनिक उड्डयन अधिकारियों की पूर्व अनुमति प्राप्त करना सम्भव नहीं होगा । अतः यह उड़ान दिल्ली से गोहाटी तक बागडोगरा के रास्ते की गई थी ।

पोलैण्ड से मालवाही जहाज

*११२१. **श्री प्र० ब० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राजदेव सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैंड के 'सैंट्रोमोर' संगठन से चार आधुनिक मालवाही जहाज खरीदने के बारे में भारत के नौवहन निगम के साथ करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो जहाज कब तक मिल जायेंगे ?

परिवहन मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) जहाज ३१-३-१९६६, ३१-५-१९६६, १५-७-१९६६ और ३१-८-१९६६ को आ जायेंगे ।

आलू की फसल

*११२२. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक व्यापक फसल रोग के कारण पश्चिम बंगाल की आलू की लगभग आधी फसल नष्ट हो गई है;

(ख) क्या फसल खराब हो जाने के कारण लगभग २० करोड़ रुपये का नुकसान हो जाने का अनुमान है;

[1]Chartered.

(ग) क्या पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा है कि उपयुक्त रसायनों का आयात करे जिससे खड़ी फसल बचाई जा सके; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की सहायता करने से इंकार कर दिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) राज्य सरकार से कोई सरकारी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) नुकसान के सम्बन्ध में कोई अनुमान प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ). जी, नहीं। हां, १९६३ में राज्य सरकार ने आयातित फफूंदनाशी सामान के सम्भरण के लिये प्रार्थना की थी, और १९६२–६३ के मुकाबिले में १९६३–६४ में इस व्यापार को अपेक्षित रसायन बनाने के लिये विदेशी मुद्रा की एक बड़ी राशि दी गई थी। पश्चिमी बंगाल सरकार की तत्कालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकार को विदेशी मुद्रा आबंटित की गई है और अतिरिक्त राशि देने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

बर्मा के चावल का आयात

*११२४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २४ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ७३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा का १,५०,००० टन चावल किस मूल्य पर खरीदा जा रहा है;

(ख) इस आयात के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी; और

(ग) बर्मा से तथा अन्य देशों से रुपया भुगतान पर चावल लेने के क्या प्रयत्न किये गये हैं और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). यह बताना कि चावल किस मूल्य पर खरीदा गया लोक हित में नहीं है।

(ग) अमेरिका और संयुक्त अरब गणराज्य से आयात किये गये चावल के लिये भारतीय रुपयों में भुगतान के लिये व्यवस्था है। अन्य किसी देश—जिसमें बर्मा भी शामिल है—से चावल के आयात के लिये रुपये में भुगतान करने की हमारे पास व्यवस्था नहीं है, ना ही बर्मा अपने चावल के निर्यात के लिये अपरिवर्तीय भारतीय रुपयों में भुगतान प्राप्त करने में रुचि रखता होगा।

छिड़काव सिंचाई[1]

*११२६. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राजदेव सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पानी का अधिकतम उपयोग करने के लिये प्रयोग तौर पर छिड़काव सिंचाई आरम्भ करने का विचार कर रही है;

[1]Spray irrigation.

(ख) यदि हां, तो इसके क्या मुख्य कारण हैं; और

(ग) एक एकड़ भूमि की सिंचाई करने में अनुमानतः कितना धन व्यय होगा ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) बौछारी सिंचाई के अध्ययन के लिये एक योजना भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था में २६ दिसम्बर, १९६३ से चालू की गई है।

(ख) यह योजना इस विचार से आरम्भ की गई है कि (१) छिड़काव उपकरणों सम्बन्धी तथ्य और खेती में कार्य की स्थिति के बारे में तथ्य इकट्ठे किये जायें जिससे ऐसे उपकरणों के नमूने, उनकी स्थापना और संचालन की व्यवस्था की जा सके; (२) अनुपूरक सिंचाई पद्धति से होने वाली जल की बचत का अनुमान लगाया जा सके और यह पता लगाया जा सके कि सिंचाई की सतही पद्धति की तुलना में इससे क्या बचत हो सकती है; और (३) भूमि की भौतिक स्थिति पर छिड़काव सिंचाई के प्रभाव का अध्ययन किया जा सके और यह अध्ययन किया जा सके कि सतही ढंग में पानी के इस्तेमाल की तुलना में इस ढंग से चुनी हुई फसलों की कितनी उपज होती है।

(ग) क्योंकि योजना को हाल ही में आरम्भ किया गया है इसलिए इस समय छिड़काव सिंचाई की लागत का अनुमान लगाना कठिन है।

कृषि उत्पादन

***११२७. श्री श्रीनारायण दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने तथा अन्य कृषि कार्यों के लिए देश में रेडियो आइसोटोप्स का उपयोग करना अब तक सम्भव हो सका है;

(ख) यदि हां, तो इनका अब तक किस सीमा तक उपयोग हो पाया है; और

(ग) ऐसे उपयोग के क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० २७५०/६४]**

Looting of a goods train near tundla Junction

***1128.** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shinkre :
Shri Y. S. Chaudhary :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that armed goondas stopped a goods train at a distance of 9 Kilometres east of Tundla Junction;

(b) whether it is also a fact that they held the Guard on the point of a pistol and looted wheat and rice bags after breaking seals of several wagons;

(c) if so, the value of loss incurred therein; and

(d) whether it is also a fact that by the time the driver returned after informing the authorities, at Tundla Station the goondas had fled?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Yes, goods train No. 180 Down was stopped by some goondas by disconnecting some vacuum hose pipes on 5/6-3-1964 between Burhan and Mitagli stations at a point about 9 Kilometres to the west of Tundla Junction and not to the east of it.

(b) 3 bags of wheat and 10 Kattas of Jagree were removed by the goondas from two wagons on the train after breaking their seals and opening them, but the Guard of the train was not held on the point of a pistol.

(c) The value of the loss is about Rs. 270/-.

(d) Yes.

सहकारी समितियों द्वारा खाद्यान्न व्यापार

*११२९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों का व्यापार करने के सम्बन्ध में सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). सरकार की यह नीति है कि सहकारी समितियों को खाद्यान्नों का व्यापार करने में प्रोत्साहन मिले, परन्तु इस प्रयोजन के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं बनाई गई है ।

होशंगाबाद के निकट पुल

२२८७. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होशंगाबाद के निकट नर्मदा पर सड़क के पुल का निर्माण निश्चित कार्यक्रम से बहुत पीछे है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मन्त्रालय में परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). होशंगाबाद के निकट नर्मदा नदी पर पुल का निर्माण एक राज्य परियोजना के अन्तर्गत है । परन्तु भारत सरकार ने इस पुल के लिए १३.३४ लाख रु० का सहायता अनुदान दिया है। पुल पर काम फरवरी १९६० में आरम्भ किया गया था और कार्यक्रम के अनुसार इसे फरवरी, १९६२ तक पूरा हो जाना चाहिये था। पुल की नींव और स्तम्भों में स्तम्भ के शिखर तक सारा काम पूरा हो गया है, परन्तु पुल का अग्रेतर कार्य, देश में ३ मिली मीटर के 'हाई टेन्साइल' इस्पात के तार की अपेक्षित मात्रा उपलब्ध न होने के कारण रुक गया है । इसलिए पुल के डिजाइन को बदलना पड़ा था जिससे ताकि ७ मिली मीटर के 'हाई टेन्साइल' इस्पात तार को उपयोग में लाया जा सके जिसका कि निर्माण हाल ही में देश में आरम्भ किया गया है । इस्पात की अपेक्षित मात्रा अब प्राप्त कर ली गई है । पुल के विस्तृत डिजाइन के राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित होते ही पुल का निर्माण कार्य आरम्भ हो जायेगा ।

इटारसी रेलवे स्टेशन

२२८८. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इससे अवगत है कि इटारसी स्टेशन के थोड़े से बाहर की ओर वाले रेलवे फाटक के द्वार एक समय पर आधे घंटे से अधिक के लिए बन्द रहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस स्थान पर भारी मोटर गाड़ी के यातायात को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). फाटकों को सामान्यतः खुला रखा जाता है सिवाय उस समय के जब कि गाड़ियां आ या जा रही हों। हिदायतें लागू कर दी गई हैं कि फाटकों को कम से कम समय के लिए बन्द किया जाना चाहिये और किसी भी स्थिति में एक समय पर १५ मिनट से अधिक के लिए नहीं। ऐसा समझा जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार उस स्थान पर एक सड़क के ऊपरी पुल के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

केन्द्रीय सहकारी बैंक

२२८९. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और बिहार में एक केन्द्रीय सहकारी बैंक औसत रूप से कितने क्षेत्र में काम करता है तथा उसके द्वारा कितने लोगों को फायदा पहुंचता है;

(ख) एक केन्द्रीय सहकारी बैंक के लिए क्षेत्र कितना बड़ा होना चाहिये तथा उसकी जनसंख्या क्या होनी चाहिये जिससे कि बैंक से अधिकतम लाभ उठाया जा सके; और

(ग) कमजोर बैंकों का विकास करने तथा उनकी दशा में सुधार कर के प्रत्येक बैंक के कार्य क्षेत्र और जन संख्या के संबंध में अधिकतम एक समानता लाने के लिए क्या विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) संलग्न विवरण में यह जानकारी दी हुई है कि महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और बिहार में ३०-६-१९६२ को कितने जिले थे तथा कितने केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्य कर रहे थे।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—२७५१/६४]

(ख) कोई निश्चित नियम निर्धारित नहीं किये हुए हैं। सामान्य नीति यह है कि प्रत्येक जिले में एक केन्द्रीय सहकारी बैंक होना चाहिये।

(ग) अन्य बातों के साथ साथ कमजोर बैंकों को भी आर्थिक स्वामित्व अथवा संचालन संबंधी कुशलता को सम्पन्न रखने की दृष्टि से विश्व बैंक ने सहकारी बैंकिंग ढांचे का वैज्ञानिकन करने का कार्यक्रम बनाया है। संबंधित पक्षों से अनुरोध तथा बातचीत के द्वारा कमजोर इकाइयों के स्वेच्छा-पूर्वक विलय के संबंध में विशेष प्रयास किया जा रहा है।

टाटानगर के पास रेल की टक्कर

२२९०. { श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राजदेव सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३ अप्रैल, १९६४ को ८४ डाउन रांची-हावड़ा एक्सप्रैस टाटानगर से ११ किलोमीटर दूर गोमहरिया पर एक हल्के इंजन से टकारा गई; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्यौरा क्या है और हताहतों की क्या संख्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) और (ख). २-४-६४ को २२·२५ बजे जब ८४ डाउन रांची-हावड़ा एक्सप्रैस गोमहरिया जंक्शन में प्रवेश कर रही थी, चकराधपुर से आ रहे टाटानगर जाते हुए एक हल्के इंजन के जो गोमहरिया स्टेशन में घुसा ही था पिछले भाग से टकरा गई। इस के फलस्वरूप २२ व्यक्तियों को मामूली चोटें आयीं।

ओलावाक्कोट डिवीजन में ऊपरी पुल

२२९१. { श्री अ० ब० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६४–६५ में दक्षिण रेलवे के ओलावाक्कोट डिवीजन में कितने ऊपरी पुल बनाये जायेंगे;

(ख) ये ऊपरी पुल कहां बनाये जायेंगे।

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामास्वामी): (क) और (ख). वर्ष १९६४-६५ में दो ऊपरी पुल बनाये जाने का प्रस्ताव था लेकिन क्योंकि राज्य सरकार दोनों कार्यों के लिए पर्याप्त निधि आवंटित नहीं कर सकी, इस वर्ष तीरूर-मालापुरम रोड के ०/१ मील पर केवल एक ही पुल का निर्माण किया जायेगा।

केन्द्रीय सहकारी बंकों का वैज्ञानिकन

२२९२. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में राज्य वार, केन्द्रीय सहकारी बैंकों के वैज्ञानिकन की योजना के अन्तर्गत कितनी प्रगति की गई है ;

(ख) प्रत्येक राज्य में बैंकों की क्या संख्या है ;

(ग) प्रत्येक राज्य में कितने बैंकों का विलय किया जायेगा; और

(घ) प्रत्येक राज्य में अब तक कितने बैंकों का विलय किया गया ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) से (घ). उन राज्यों का ब्यौरा, संलग्न विवरण में दिया गया है, जहां केन्द्रीय सहकारी बैंकों के वैज्ञानिकन की योजना आरम्भ की गई है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २७५२/६४]

महाराष्ट्र से खाद्यान्न का ले जाया जाना

२२९३. **श्री दे० शि० पाटिल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले ६ महीनों में महाराष्ट्र राज्य से बाहर कितना खाद्यान्न भेजा गया; और

(ख) यह खाद्यान्न कितने राज्यों को भेजा गया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) सितम्बर, १९६३ से फरवरी, १९६४ तक के छः महीनों में महाराष्ट्र से रेल द्वारा व्यापार खाते पर लगभग ३१,००० टन खाद्यान्न का निर्यात किया गया। सड़क द्वारा भेजे गये खाद्यान्न के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) खाद्यान्न १२ राज्यों को और दो संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा गया।

महाराष्ट्र को चीनी की आवश्यकता

२२९४. **श्री दे० शि० पाटिल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में चीनी की कुल वार्षिक आवश्यकता कितनी है ;

(ख) क्या राज्य में चीनी की कमी है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य को चीनी का पर्याप्त संभरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) चीनी की कुल आवश्यकता का कोई ठीक अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ख) और (ग). राज्य सरकार यह कहती रही है कि वर्तमान अभ्यंश अपर्याप्त हैं। उत्पादन में कमी के कारण वितरण को उपलब्धता के अनुसार समायोजित करना पड़ता है और फलस्वरूप जब तक उपलब्धता अधिक नहीं होती, इस कमी को पूरा करने के लिए कुछ नहीं दिया जा सकता।

टेलीफोन राजस्व

२२९५. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चार प्रमुख टेलीफोन जिलों, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में १ अप्रैल, १९६४ को टेलीफोन राजस्व की कितनी रकम बकाया थी; और

(ख) इस रकम को शीघ्र वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

डाक और तार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) जानकारी उपलब्ध नहीं है तथापि, १-१२-१९६३ को निम्नलिखित रकम बकाया थी :

मद्रास	बम्बई	कलकत्ता	दिल्ली	कुल
		(आंकड़े लाख रुपयों में)		
८.८	४०.१	९१.९	३१३.००	४५३.८

इस में से जो रकम १-१२-१९६३ को छः महीने से अधिक समय से बकाया थी वह निम्न प्रकार है :

मद्रास	बम्बई	कलकत्ता	दिल्ली	कुल
		(आंकड़े लाख रुपयों में)		
०.८	५.८	४४.४	११६.६	१६७.६

(ख) गैर-सरकारी ग्राहकों के बारे में हर टेलीफोन जिले में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध बकाया रकम की स्थिति की समय समय पर जांच करने के लिए बोर्ड बनाये गये हैं—इनके टेलीफोन कनेक्शन बन्द कर दिये गये हैं। ये बोर्ड तेजी से रकम वसूल कर और जहां आवश्यक हो, कानूनी कार्यवाही करने के लिए विशेष प्रयत्न कर रहे हैं सरकारी ग्राहकों को भी बकाया बिलों का शीघ्र भुगतान करने के लिए याद कराया जाता है और पदाधिकारी उन से उचित स्तर पर स्वयं भी मिलते हैं। टेलीफोन जिलों को यह आदेश दिये गये हैं कि भुगतान करने पर गैर-सरकारी और सरकारी ग्राहकों के टेलीफोन काटने में कड़ाई से काम लिया जाये। बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली-जिलों के लिए मुख्य लेखापाल पदाधिकारियों के पद बनाये गये हैं और पदाधिकारियों को हाल में ही नियुक्त किया गया है।

पूर्वोत्तर रेलवे में पंजीकृत दावे

२२९६. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६२ और १९६३ में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य कार्यालय, गोरखपुर में कितने दावे पंजीकृत कराये गये और इन दावों की कुल राशि कितनी है।

(ख) कितने दावों का निपटारा किया जा चुका है; और

(ग) क्रमशः दो वर्ष, एक वर्ष, छः महीने और तीन महीने से लम्बित पड़े दावों की क्या संख्या है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (ग). स्थिति बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

	१९६२ में	१९६३ में
(क) (१) पंजीकृत दावों की संख्या	२५,६०९	२२,८७८
(२) कुल रकम	७२,४०,९०५ रु०	९६,७९,८७० रु०
(ख) निबटाये गये दावों की संख्या	२६,५५९	२४,२२१
(ग) लम्बित मामले		
(१) दो वर्षों से	कोई नहीं	कोई नहीं
(२) एक वर्ष से	कोई नहीं	कोई नहीं
(३) छः महीनों से	३७	५३
(४) तीन महीनों से	२६२	२२७

उत्तर प्रदेश में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिए मकान

२२९७. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश में डाक कर्मचारियों के लिए मकान बनाने के लिए कितनी रकम मंजूर की गई; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए वास्तव में कितनी रकम खर्च की गयी ?

डाक और तार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) वर्ष १९६०-६१, १९६१-६२ और १९६२-६३ में उत्तर प्रदेश में डाक और तार कर्मचारियों के लिए मकानों के निर्माण के लिये लगभग १३ ६ लाख रुपये मंजूर किये गये ।

(ख) वर्ष १९६०-६१, १९६१-६२ और १९६२-६३ में इस पर वास्तव में ७.७ लाख रुपये व्यय हुए ।

डाक तथा तार कर्मचारी

२२९८. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सर्किल में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है; और

(ख) इन में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है ?

डाक और तार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क)

	प्रथम श्रेणी	२२
	द्वितीय श्रेणी	९५
	तृतीय श्रेणी	२२,००९
	चतुर्थ श्रेणी	६,७८१
(ख)	प्रथम श्रेणी	१
	द्वितीय श्रेणी	२
	तृतीय श्रेणी	२,२३२
	चतुर्थ श्रेणी	१,०६९

शीत के कारण पशुओं की मृत्यु

२२९९. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के चिड़ियाघर में जनवरी मास में शीत के कारण अनेक पशुओं की मृत्यु हुई;

(ख) क्या उन को इस कड़ी सर्दी से बचाने के लिए वहां कोई व्यवस्था नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में उन को बचाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जनवरी, १९६४ में दिल्ली के चिड़ियाघर में शीत से किसी भी पक्षी अथवा पशु की मृत्यु नहीं हुई।

(ख) सर्दी के मौसम में पशुओं और पक्षियों को तीव्र शीत से बचाने के लिए जो आवश्यक प्रबन्ध किये गये हैं उन में कुछ ये हैं पक्षियों के बाड़ों पर तिरपाल की पर्दी, छप्पर, गर्म बिस्तर के लिए सूखी घास, भोजन में परिवर्तन और पशुओं के बच्चों को ढके हुए स्थान में रखना आदि।

(ग) भविष्य में भी ऐसे उपाय किये जायेंगे।

बूचड़खाने

२३००. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान पशुओं पर निर्दयता निरोध रायल सोसायटी के डा० एच० ई० बाइवाटर भारत में बूचड़खानों के बारे में दिये गये वक्तव्य की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि बूचड़खानों में पशुओं के साथ बड़ा दयनीय व्यवहार किया जाता है;

(ग) भारत में पशुओं पर निर्दयता निरोध अधिनियम से स्थिति में कहां तक सुधार हुआ है; और

(घ) वर्तमान बूचड़खानों में आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जायेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, हां।

(ख) देश में अधिकांश बूचड़खाने काफी पहले बनाये गये थे और इसलिए बूचड़खानों में आये पशुओं को आधुनिक ढंग से रखने आदि की सुविधायें पर्याप्त नहीं हैं।

(ग) बूचड़खाने स्थानीय निकायों द्वारा चलाये जाते हैं। पशुओं पर निर्दयता निरोध अधिनियम १९६० के उपबन्धों के अन्तर्गत स्थापित किये गये पशु कल्याण बोर्ड का एक कार्य सरकार को अथवा किसी स्थानीय प्राधिकार को या किसी व्यक्ति को बूचड़खानों के नमूनों अथवा उन के संधारण या पशुओं के वध के बारे में परामर्श देना है जिस से वध के लिए आये पशुओं को अनावश्यक कष्ट न हों। बोर्ड ने खाने के लिए मारे गये पशुओं पर निर्दयता न बरतने के समूचे प्रश्न की जांच करने के लिए एक उपसमिति स्थापित की है।

(घ) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने अपनी तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में बूचड़खानों और मांस मार्केटों के सुधार के लिए योजनायें शामिल की हैं ? इन योजनाओं पर केन्द्रीय सरकार से शत प्रतिशत ऋण मिल सकता है।

राष्ट्रीय पशुधन समिति

२३०१. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन समिति का विघटन करने का फैसला किया है;

(ख) इस समिति द्वारा अब तक किये गये काम के लिये भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् किस हद तक सीधे जिम्मेदार है ;

(ग) क्या राज्य पशु पालन निदेशालयों को निर्यात के लिये पशु खरीदने के अधिकार दिये गये हैं; और

(घ) अखिल भारत और रीजनल पशु मेलों का आयोजन कौन करेगा ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, हां।

(ख) और (घ) अखिल भारत और रीजनल पशु और कुक्कुट मेलों के आयोजन के कार्य की देख भाल भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् करेगी।

(ग) जी, हां।

पर्यटन

२३०२. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका में विद्यार्थियों के लिये यात्रा को बढ़ाने के लिये महत्वपूर्ण कार्य करने वाले, श्री जान सी० डंगलर द्वारा नई दिल्ली में १३ फरवरी को एक संवाददाता सम्मेलन में व्यक्त किये गये विचारों पर विचार किया है;

(ख) क्या यह सच है कि भारत में पर्यटकों के आने में मुख्य कठिनाई अपर्याप्त परिवहन साधन और होटलों की कमी है;

(ग) अन्तर्देशीय एयरलाइनों की अनुसूची ने बार बार परिवर्तन करना विदेशों से पर्यटकों के आने में किस हद तक अतिरिक्त कठिनाई का कारण बना है ; और

(घ) असुविधा के इन कारणों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

परिवहन मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां। श्री जान सी० डंगलर द्वारा व्यक्त किये गये विचारों का सरकार को पता है।

(ख) कुछ हद तक यह बात सही है।

(ग) अन्तर्देशीय उड़ानों की अनुसूची में परिवर्तन नये किस्म के विमान लगाने और एक या दो दुर्घटनाओं के कारण कुछ विमान बेकार हो जाने के कारण करने पड़े यदि बेड़े में काफी गुंजाइश है तो विमानों की कमी से इतना फर्क नहीं पड़ता लेकिन इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में, जिस में पहले ही कमी है, इन का अधिकतम इस्तेमाल करना पड़ता है।

(घ) होटलों में स्थान और सड़क परिवहन के बारे में सुविधायें बढ़ाने के लिये फौरन कदम उठाये जा रहे हैं। जिन स्थानों पर पर्यटक अधिक जानते हैं, वहां होटल बनाने के लिये सरकारी क्षेत्र में एक उपक्रम स्थापित करने का प्रस्ताव है। परिवहन का काम संभालने के लिये भी एक समवार स्थापित करने का प्रस्ताव है जिस के लिये यह कारों का आयात करेगा। "कैरेवेल" विमान चलाने के बाद में विमान यातायात में काफी सुधार हुआ है।

बंगलौर हवाई अड्डे पर तूफान का पता लगाने वाला राडार

२३०३. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १२ फरवरी, १९६४ को बंगलोर हवाई अड्डे पर तूफान का पता लगाने वाला एक राडार लगाया गया;

(ख) तूफान का पता लगाने की नये राडार की क्या क्षमता है ; और

(ग) तृतीय योजना के अन्त तक देश में कितने राडार स्टेशन स्थापित किये जायेंगे ?

परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) जी, हां ।

(ख) राडार अपने केन्द्र के आसपास से २१० किलोमीटर (लगभग १५० मील) पर तूफान का पता लगा सकता है और उसकी दिशा और गति के बारे में जानकारी दे सकता है ।

(ग) अब तक नौ राडार केन्द्र स्थापित किये गये हैं ; और तीसरी योजना के अन्त तक छः और राडार स्थापित किये जाने की योजना है ।

खाद्य जोन

२३०४. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार को वर्तमान खाद्य जोनों को समाप्त करने के लिये किसी गैर-सरकारी अभिकरणों से कोई प्रस्ताव मिला है अथवा उन्होंने स्वयं कोई प्रस्ताव बनाया है ; और

(ख) क्या वर्तमान स्थिति में समूचे देश के लिए एक ही खाद्य जोन स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख) चावल और धान के जोन कुछ समय से चल रहे हैं । हाल में सरकार को गेहूं जोन भी बनाने पड़े जिसमें एक जोन से दूसरे में गेहूं और गेहूं से बनी वस्तुओं के लाने ले जाने पर रोक लगाई गई । अन्य खाद्यान्न के लिये कोई जोन नहीं है ।

चावल जोन के चलते रहने के विरुद्ध समय समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; गेहूं जोन बनाये जाने के विरुद्ध भी अभ्यावेदन मिले हैं । सरकार ने खाद्य जोन समाप्त करने की प्रतिक्रिया का परीक्षण किया है लेकिन उन को समाप्त करना ठीक नहीं समझा गया ।

दिल्ली में सड़कें

२३०५. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली में सड़कों का कुल मील योग कितना है ;

(ख) कुल कितने मील सड़क का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास किया गया है ; और

(ग) समूची सड़कों के संधारण पर कुल वार्षिक लागत क्या होती है ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय नमूने का कोई निर्धारित स्तर नहीं है । संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली में, नई दिल्ली नगर पालिका के प्रभार में शहरी क्षेत्र को छोड़ कर, सड़कों का कुल मील योग ११३० है । इन सड़कों के संधारण पर होने वाले व्यय में हर वर्ष भिन्नता होती है जो ३७ लाख रुपये से ४३ लाख रुपये तक होता है ।

पटना जंकशन

२३०६. **श्री अ० प्र० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना जंकशन स्टेशन के निर्माण का कार्य जो जनवरी, १९६४ में पूरा होना था, अभी तक पूरा नहीं हो पाया है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण-कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). जी, नहीं । पटना जंकशन स्टेशन का पुनर्निर्माण नहीं हो रहा है लेकिन उस की इमारत में कुछ परिवर्द्धन किया जा रहा है जैसे पुराने नालीदार लोहे की चादरों वाले प्रतीक्षालय के स्थान पर एक पक्का तृतीय श्रेणी प्रतीक्षालय एवं बुकिंग कार्यालय और रिटायरिंग कक्ष का निर्माण। तृतीय श्रेणी प्रतीक्षालय और बुकिंग कार्यालय का निर्माण गत दिसम्बर में पूरा हो गया था और रिटायरिंग कक्षों का निर्माण ३१-७-१९६४ तक पूरा हो जानेकी संभावना है ।

उर्वरकों का स्टाक

२३०७. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नंगल और रूरकेला संयंत्रों में उर्वरकों के स्टाक जमा हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन स्टाकों को उठाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

डोगोपोसी अनुभाग में आकस्मिक श्रमिक

२३०८. **श्री ह० च० सोय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में आकस्मिक श्रमिकों को रेलवे प्रशासन द्वारा दक्षिण-पूर्व रेलवे पर राजखरस्वान-गुआ शाखा लाइन पर डोगोपोसी अनुभाग में अधिकृत वेतन-मान हाल ही में दिये गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सही है कि राजखरस्वान-चक्रधरपुर तथा बोडामुंडा-रूरकेला अनुभाग में काम करने वाले इसी सेवा और अनुभव वाले आकस्मिक श्रमिकों को अभी प्राधिकृत वाले वेतन मान नहीं दिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस विषमता को दूर करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

गोआ में मंडोवी पुल

२३०९. **श्री यशपालसिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ में मंडोवी पुल पर निर्माण कार्य में विलम्ब हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) इसको दूर करने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है ?

परिवहन मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग). मंडोवी नदी के ऊपर पुल के निर्माण के प्रस्ताव की छानबीन करने में कोई सामान्य विलम्ब नहीं हुआ। यह प्रस्ताव जुलाई १९६२ में गोआ प्रशासन से प्राप्त हुआ था। भारत सरकार ने गोआ प्रशासन को स्थान चुनने, डिजाइन को अन्तिम रूप देने और पुल के बारे में टैंडर फार्म तैयार करने के लिये अपेक्षित प्रविधिक सहायता की पेशकश की। इस कारण कि जुलाई १९६३ में पहली बार आये काम के ३ टेंडर उपयुक्त नहीं पाये गये, अतः काम के लिये ठेका देने में कुछ विलम्ब हुआ अतः पुनः टैंडर मंगवाने पड़े और वे सितम्बर १९६३ में प्राप्त हुए। समुचित छानबीन के पश्चात् सब से कम टैंडर देने वाले मैसर्स पायोनियर इंजीनियरिंग सिंडिकेट, हैदराबाद को १२ मार्च १९६४ को काम दे दिया गया। पुल का काम, जिस पर ७९.२९ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है, अभी आरम्भ हुआ है और इसके तीन वर्षों के अन्दर पूरा हो जाने की आशा है।

Ferozabad Station

2310. Shri Ram Sewak Yadav : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the rules under which it has been made compulsory that delivery of consignments of coal at Ferozabad station can be obtained only after the Railway Receipts have been counter-signed by the Tehsildar, Ferozabad?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy) : No such rule has been framed by the Northern Railway. In terms of clause 5 of the U.P. Coal Control Order, 1959, however, the consignees of coal are required to get their Railway Receipts countersigned by the District Supply Officer before effecting delivery. In the case of Ferozabad, the power to countersign the Railway Receipt is vested with the Tehsildar as no District Supply Officer is posted at Ferozabad.

Wagons for Sugarcane

2311. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that sugarcane is produced in abundance in Lakhimpur, Sitamau, Khairabad and Bhairan districts in Uttar Pradesh ;

(b) if so, the number of wagons allotted for sugarcane of these districts; and

(c) the maximum quantity of sugarcane that can be loaded in one wagon?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas) : (a) to (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the Lok Sabha.

राष्ट्रीय राजपथ

२३१२ **श्री दलजीत सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २९ फरवरी १९६४ को पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजपथ कितने मील थे ; और

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत अन्य सड़कों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है ?

परिवहत मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ७८४ मील ।

(ख) जी, नहीं ।

खाद्य विभाग कैफीटेरिया सहकारी स्टोर लिमिटेड

२३१३. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ९ जनवरी १९६४ को खाद्य विभाग कैफेटेरिया सहकारी स्टोर लिमिटेड, नई दिल्ली के सेक्रेटरी द्वारा धन गबन और अन्य गन्दे तरीकों के विभिन्न आरोपों की जांच करने के लिये एक जांच अधिकारी नियुक्त किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस अफसर की उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) इस स्टोर के मंत्री के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

१. बम्बई सहकारी समितियां अधिनियम, १९२५, जो कि दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र में भी लागू कर दिया गया है, की धारा ४३ के अन्तर्गत ९ जनवरी, १९६४ को खाद्य विभाग केफेटेरिया सहकारी स्टोर लिमिटेड के गठन, कार्यकरण तथा उसकी वित्तीय स्थिति की जांच का आदेश दिया गया था । निम्नलिखित बातों के कारण इस जांच का आदेश दिया गया था :—

(क) स्टोर के लेखे उचित ढंग से नहीं रखे जा रहे थे ;

(ख) प्रबन्धक समिति आदि के चुनाव के प्रयोजनार्थ स्टोर की सामान्य बैठक को प्रति वर्ष बुलाया जाना था जो कि गत अनेक वर्षों से नहीं बुलाई गई थी ;

(ग) ३० जून, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष सम्बन्धी स्टोर के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन से यह पता चला कि स्टोर बहुत असन्तोषजनक स्थिति में है ; और

(घ) स्टोर का कार्यकरण दिन प्रति दिन बिगड़ता जा रहा था तथा प्रबन्धक इस के कार्यों में कोई भी दिलचस्पी नहीं ले रहे थे ।

जांच अधिकारी ने १८–३–६४ को अपना प्रतिवेदन दिया । सोसायटी के कुछ कागजातों तथा रिकार्ड के उपलब्ध न होने के कारण जांच अधिकारी विस्तृत रूप से

जांच पड़ताल नहीं कर सका । अपनी उपपत्तियों को उपलब्ध सामग्री के आधार पर तैयार करते हुए वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि १९५९ के बाद से उचित ढंग पर प्रबन्धक समिति का गठन नहीं हुआ, लेखे पूरे तैयार नहीं किये गये सोसाइटी के कुछ कागजात तथा रिकार्ड उपलब्ध नहीं हुए तथा इसकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं है । तदनुसार, जांच अधिकारी ने लिखा कि स्टोर की इसके सदस्यों के लिये विशेष रूप से तथा सहकारी आन्दोलन के लिये सामान्य रूप से उपयोगिता समाप्त हो गई है और उसने सिफारिश की इसको समाप्त कर दिया जाय । इसके अनुसार स्टोर के सभापति को १९-३-६४ को एक 'कारण दिखाओ' नोटिस जारी किया गया । स्टोर के सभापति ने २३-३-६४ को दिल्ली की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को एक उत्तर भेजा जिसमें अन्य बातों के साथ साथ उन्होंने यह लिखा कि स्टोर को समाप्त करने की कार्यवाही पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है । दिल्ली प्रशासन ने २-४-६४ को स्टोर के समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है ।

२. जांच अधिकारी के प्रतिवेदन में धन के गबन के आरोप को सत्य नहीं पाया गया है । तथापि सही स्थिति तब पता चलेगी जब कि कागजात तथा रिकार्ड उपलब्ध हो जायेंगे तथा उनकी जांच पड़ताल हो जायेगी ।

Delhi Central Cooperative Stores Ltd., Delhi

2314. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has been misappropriation of 66 tons of steel besides gur in the Delhi Central Co-operatives Stores Ltd., Delhi;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether there is any land in the possession of the said stores; and

(d) if so, the purpose for which it is being utilized ?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Cooperation (Shri B. S. Murthy) : (a) No such information has come to the notice of Delhi Administration.

(b) Question does not arise.

(c) Yes. The following lands are in the possession of the Delhi State Central Co-operative Stores Ltd. :—

(*i*) An area of 41 Bighas in Village Nangloi Saidan taken on lease with effect from December, 1961 for five years from agriculturists.

(*ii*) An area of 35-1 Bighas in Village Nangloi Saidan taken on lease in November, 1962 for 5 years from agriculturists.

(*iii*) Land measuring 127-6 Bighas in Village Satbari purchased in July, 1963 from private parties.

(*iv*) Land approximately 20,000 Sq. Yds. taken on rent from a private firm on Rohtak Road.

(*v*) Land measuring 500 Sq. Yds. taken on rent from the New Delhi Municipal Committee in Gole Market area.

(d) The land specified at serial No. (*i*) is being utilised for running a Brick Kiln. A portion of land at serial No. (*ii*) (4·8 acres) is being utilised for running a Brick Kiln. The land specified at serial No. (*iii*) is laying un-used. An application has been moved for utilising a portion of it (22 Bighas) for starting

a Brick Kiln. The land specified a serial No. (*iv*) is being used for dumping of Coal The land at serial No. (*v*) is being used for running a coal depot.

Theft of Cement Bags

2315. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an enquiry has been completed into the theft of 100 cement bags requisitioned for doubling the Rawanjna Dungar Bridge and Sawai Madhopur Railway station ;

(b) if so, whether any Railway employee is involved in the matter and if so, who is he ; and

(c) the action taken against him ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) The case is still under police investigation.

During the course of investigation the police suspected Shri A. K. Bhomic, Works Inspector, Western Railway, who has since been arrested.

सहकारी खेती

२३१७. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३-६४ में राज्यवार सहकारी खेती के सम्बन्ध में कितनी अग्रिम परियोजनाएं स्थापित की गईं ; और

(ख) १९६४-६५ में राज्यवार कितने सहकारी खेती कक्ष स्थापित किये जायेंगे ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) १९६३-६४ में अग्रिम परियोजनाएं स्थापित की गई थीं । राज्यवार स्थिति दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

क्रमांक	राज्य	चुनी गई परियोजनाओं की संख्या
१	आंध्र प्रदेश	*
२	असम	३
३	बिहार	*
४	गुजरात	३
५	जम्मू तथा काश्मीर	कोई नहीं
६	केरल	१२
७	मध्य प्रदेश	७
८	मद्रास	६

विवरण

क्रमांक	राज्य	चुनी गई परियोजनाओं की संख्या
९	महाराष्ट्र . . .	६
१०	मैसूर . . .	८
११	उड़ीसा . . .	*
१२	पंजाब . . .	५
१३	राजस्थान . . .	७
१४	उत्तर प्रदेश . . .	१३
१५	पश्चिम बंगाल . . .	४
	योग	७४

*कोई नई अग्रिम परियोजना नहीं चुनी गई । तथापि तीसरी योजना के पहले दो वर्षों में चुनी गई अग्रिम परियोजनाओं में संस्थाएं स्थापित की गई थीं ।

(ख) दो सहकारी खेती कक्ष १९६४–६५ में स्थापित किये जायेंगे महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में ।

कोट्टावासला––बैलाडिल्ला परियोजना

२३१८. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोट्टावासला-बैल्लाडिल्ला परियोजना निर्माण के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है, जिसे डी० बी० के० रेलवे परियोजना प्रशासन द्वारा बनाया जा रहा है ; और

(ख) कब तक कोरापूत में ऊपर के पुलों का निर्माण पूरा हो जाएगा ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) मार्च, १९६४ के अन्त तक ५३ प्रतिशत ।

(ख) स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

कोरापूत में कोई ऊपर का पुल नहीं है । तथापि कोरापूत में राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४३ पर एक सड़क का नीचे का पुल है, जिसका निर्माण पूरा हो चुका है, केवल गर्डर लगाने हैं । इस कार्य में एक सड़क मोड़ का प्रबन्ध भी करना है । इसकी ३०–९–६४ तक पूर्ण होने की आशा है ।

इसके अतिरिक्त कोरापूत राजस्व जिले में एक सड़क का ऊपरी पुल और तीन नीचे के पुल हैं । उनकी प्रगति नीचे दर्शाई गई है :—

१. **जैसोर (उड़ीसा) के समीप राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४३**—पर उमरी में सड़क का **ऊपरी पुल** ।

इस काम के लिये सड़क प्राधिकारियों का अनुमोदन अभी प्राप्त नहीं हुआ। ३१-१२-६५ तक इस काम के पूर्ण हो जाने की आशा है ।

२. कोरापूत-रामगाड़ा **सड़क पर सड़क** का नीचे का पुल

पुल का निर्माण पूरा हो चुका है। केवल गर्डर लगाने हैं। सड़क मोड़ का काम ३० जून, १९६४ तक पूरा होने की आशा है ।

३. कोरापूत-**बोरी गुआ सड़क** पर सड़क का नीचे का पुल

गर्डरों को छोड़ कर पुल का निर्माण १-५-६४ तक पूरा होने की आशा है। सड़क का मोड़ नहीं होगा ।

४. निम्बिलोमुड़ा-हड़ापूत **सड़क पर सड़क** का नीचे का पुल

रेलवे प्रशासन तथा सड़क प्राधिकारियों के बीच इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में बातचीत हो रही है। ३१-१२-६५ तक यह काम पूरा होने की आशा है ।

गैर-सरकारी विमान समवाय

२३१९. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार उन गैर-सरकारी विमान समवायों के हवाई तथा मैदानी कर्मचारियों के साथ किस प्रकार व्यवहार करने का विचार है, जिनके विमान सरकार के द्वारा खरीदे जा रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उन्होंने सरकार से प्रार्थना की है कि उनको असैनिक उड्डयन विभाग, भारतीय विमान बल और इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में ले लिया जाए ; और

(ग) सरकार का इस मामले में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) से (ग). सरकार ने किसी गैर-सरकारी विमान समवाय से कोई विमान नहीं खरीदा। तथापि मैसर्स दरभंगा उड्डयन के दो डकोटा विमान प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा भारत प्रतिरक्षा नियमों १९६२ के अन्तर्गत अक्तूबर १९६३ में लिये गये थे। उसके पश्चात् पश्चिम बंगाल के मंत्री ने विमान कर्मचारी संघ, प्रतिरक्षा मंत्रालय, प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग और श्रम मंत्रालय से प्रार्थना की कि मैसर्स दरभंगा उड्डयन के कर्मचारियों को भारतीय विमान बल आदि में लगाया जाए। तथापि उनमें से कोई भी इस योग्य नहीं है कि उसे भारतीय विमान बल के कमीशन पदों के लिये चुना जा सके, क्योंकि उनकी आयु तथा शिक्षा सम्बन्धी योग्यता निर्धारित स्तर की नहीं। अन्य पदों पर भरती के लिये भी सभी व्यक्ति अनर्ह हैं ।

यह पता चला है कि दरभंगा उड्डयन विभाग के चार पायलट और दो रेडियो अफसर, जमीर, कलिंग एयरलाइन्स और एयरवेज (भारत) में नियुक्त हुए हैं ।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ

२३२०. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९६४ को उत्तर प्रदेश में कितने मील लम्बे राष्ट्रीय राजपथ थे ;

(ख) इन राजपथों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत अन्य सड़कों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

परिवहन मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) १४५५ मील ।

(ख) इन राष्ट्रीय राजपथों की संख्या और मार्ग ये हैं :—

राष्ट्रीय राजपथ संख्या	मार्ग
२	दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, मोहानिया, बारही तथा कलकत्ता को मिलाने वाला राजपथ ।
३	आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, इन्दौर, धूलिया, नासिक, थाना तथा बम्बई को मिलाने वाला राजमार्ग ।
७	बनारस, मनगावान, रीवां, जबलपुर, लखनाडोन, नागपुर, हैदराबाद, कुरनूल, बंगलौर, कृष्णगिरि, सलेम, डिंडीगुल, मदुरै और कन्या कुमारी को मिलाने वाला राजमार्ग ।
११	आगरा, जयपुर और बीकानेर को मिलाने वाला राजमार्ग ।
२४	दिल्ली, बरेली और लखनऊ को मिलाने वाला राजमार्ग ।
२५	लखनऊ, कानपुर, झांसी और शिवपुरी को मिलाने वाला राजमार्ग ।
२६	झांसी अर लगनाडोन को मिलाने वाला राजमार्ग ।
२७	इलाहाबाद और मेगावान को मिलाने वाला राजमार्ग ।
२८	बरौनी, मुजफरपुर, पिपरा, गोरखपुर और लखनऊ को मिलाने वाला राजमार्ग ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में खण्ड मुख्यालयों म तार की व्यवस्था

२३२१. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खंड मुख्यालयों और थाना स्थानों में तार व्यवस्था करने का विचार है ;

(ख) उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने और किन किन स्थानों पर यह व्यवस्था अभी तक करनी शेष है ; और

(ग) १९६४-६५ में किन-किन स्थानों पर तार व्यवस्था किये जाने की संभावना है ?

डाक और तार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **[पुस्तकालय म रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २७५३/६४]**

Death of a P.W.I.

2322. Shri Surya Prasad : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a P.W.I. was shot dead by dacoits while on duty on the line on the Central Railway between Soni and Itehar Railway Stations on Gwalior-Bhind narrow gauge section in last January; and

(b)whether his Ministry has announced any prize for the arrest of dacoits living or dead?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan) : (a) Yes. The incident, however, occurred on 24-12-1963.

(b) No. But the reward of Rs. 5,000/- in question was announced by the State Government of Madhya Pradesh for the arrest of dacoits.

Howrah Express Train

2323. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the 9-Up Howrah Express and a goods train narrowly escaped a collision on the morning of the 17th March, 1964 between Najibabad and Chandok stations;

(b) whether the matter has been inquired into and if so, the names of those that have been found guilty ; and

(c) whether it is a fact that over work and duties after fixed hours by guards and drivers in Moradabad division are responsible for causing such accidents and the precautionary measures adopted for future?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan) : (a) On 17-3-1964, a goods train entered the block-section Chandok-Muazzampur Narain on the Laksar-Najibabad section without Authority to proceed. There was however, no likelihood of a collision between the goods train and 9 Up Doon Express as the latter was stopped at Muazzampur Narain station and was duly protected by signals.

(b) The matter was enquired into by a Committee of Railway Officers. Their report is under scrutiny.

(c) No.

कछार जिला में चीनी फैक्टरी

२४३४. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने कछार में चीनी फैक्टरी की स्थापना के बारे में लाइसेंस देने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां । असम सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत चीनी फैक्टरी स्थापित करने का लाइसेंस देने के लिये एक अर्जी भेजी है ?

(ख) अर्जी विचाराधीन है और शीघ्र ही निर्णय किये जाने की आशा है।

समस्तीपुर समदार पर ऊपर का पुल

२३२५. **श्री श्री नारायण दास** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर पूर्व रेलवे पर समस्तीपुर रेलवे समपार (लेवल क्रासिंग) पर एक ऊपरी पुल बनाने के प्रस्ताव के संबंध में बिहार सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ;

(ख) क्या उसी स्थान पर एक ऊपरी पैदल पुल बनाने के बारे में निर्णय किया जा चुका है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) समस्तीपुर के ऊपरी पुल बनाने के लिये असम सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं आया।

(ख) और (ग). समस्तीपुर स्टेशन के पूर्वी किनारे पर समपार के स्थान पर एक पैदल ऊपरी पुल बनाने का प्रस्ताव रेलवे के विचाराधीन है।

Money Orders

2326. **Shri Vishram Prasad :**
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Posts and Telegraphs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in Tahsil Lalganj, District Azamgarh (U.P.) delivery of money-orders is delayed and the postal staff charges at the rate of 1 per cent on each money order and on non-payment of this money, the money order is either returned or paid after a long time ;

(b) whether it is also a fact that the ordinary letters and registered letters too are not properly delivered ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Department of Posts & Telegraphs (Shri Bhagavati) : (a) No, Sir. One complaint regarding delay in payment of Money Orders and two alleging the demand of illegal gratification were received in the year 1963 but the allegations could not be established.

(b) No, Sir. Two complaints were received in 1963 but were found to be groundless.

(c) Does not arise.

चीनी मिलें

२३२७. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २५ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ३०० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ३० जून, १९६३ के पश्चात प्राप्त चीनी मिल स्थापित करने के लिये आई हुई अर्जियों की जांच पूरी हो चुकी है ; और

(ख) क्या उन अर्जियों में एक अर्जी, नरसिंहपुर जिले में केरली से, और दूसरी मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले से मंजूर की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मलान पुल

२३२८. **श्री अलगेशन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लास्कर और मुरादाबाद के बीच मलान पुल की आर० सी० सी० कैपों में गर्डरों के लगाये जाने से पूर्व दरारें आ गई हैं और ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस दोषयुक्त कार्य के लिये कौन उत्तरदायी है और क्या इस मामले की जांच की गई है ;

(ग) दरारों की मरम्मत करने पर कितना अधिक व्यय हुआ है ; और

(घ) क्या अब पुल यातायात के लिये ठीक समझा जाता है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (घ). मलान नदी पर एक नया पुल बनाया गया है और उत्तर रेलवे पर मुरादाबाद-लास्कर के बीच के अनुभाग को दोहरा करने के संबंध में यातायात के लिये खोल दिया गया है। कुएं की नीवें, कुएं की मन और पुल का ऊपर का ढांचा नवम्बर १९६१ में पूरा हुआ था और नवम्बर १९६२ में अन्तिम भुगतान कर दिया गया। कुएं की कंक्रीट की मनों में दरारें पायी गईं बाद में जब कि गर्डर लगाये जा रहे थे। चूंकि दरारों का ढांचे की शक्ति पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता था, अतः गर्डर लगा दिये गये और पुल ४ नवम्बर १९६३ से माल यातायात के लिये खोल दिया गया; इस समय पुल के ऊपर गति धीरे धीरे बढ़ा कर प्रति घंटा ४५ मील तक कर दी गई है। पर्यवेक्षण से पता चला है कि पहले वाली दरारों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। दरारों की कोई मरम्मत की जरूरत नहीं, अतः कोई व्यय मरम्मत पर नहीं किया गया। अतः जांच की भी कोई आवश्यकता नहीं समझी गई। पुल निर्धारित भार उठाने के लिये सुरक्षित माना जाता है ।

बिहार राज्य को सहायता

२३२९. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य के सहकारी क्षेत्र के विकास के लिये दिये गये कुल ऋण और अर्थसहायता की राशि गत पांच वर्षों में १९६०-६१ में सबसे कम थी और १९५९-६० में सबसे अधिक थी, और यदि हां, तो क्यों ?

(ख) क्या १९५९-६० के बाद के चार वर्षों में उक्त कथित अनुदान में इस कमी के लिये केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी है अथवा राज्य सरकार ; और

(ग) इस अवधि में अनुदान में यह कमी अन्य राज्यों की तुलना में कम है अथवा अधिक ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) पांच वर्षों में निम्नलिखित केंद्रीय सहायता दी गई हैं:—

(लाख रुपयों में)

१९५९–६०	१९६०–६१	१९६१–६२	१९६२–६३	१९६३–६४
४८.१०	१९.७०	३३.९६	३२.०५@	६८.८०*

१९५९–६० में दी गई केन्द्रीय सहायता १९६०–६१ की अपेक्षा अधिक थी क्योंकि १९५९–६० में अनुपूरक कार्यक्रम मंजूर किया गया था ।

(ख) केन्द्रीय सहायता की राशि इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार द्वारा वास्तव में कितना रुपया व्यय किया गया है ।

(ग) अधिकांश राज्यों में, १९६०–६१ में मंजूर किये गये अनुदानों की कुल राशि १९५९–६० की इस राशि की अपेक्षा कम है ।

निर्माण भत्ता

२३३०. श्री अ० प्र० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरक्का में रेलवे के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों द्वारा अपने यहां रोजगार पर लगाये गये कर्मचारियों को निर्माण भत्ता दिया जाता है, जब कि रेलवे विभाग द्वारा यह भत्ता नहीं दिया जाता ; और

(ख) यदि हां, तो इस असमानता के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). मामला अभी तक विचाराधीन है ।

मालगाड़ी का पटरी से उतरना

२३३१. श्री रामहरख यादव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे पर इलाहाबाद से ११४ किलोमीटर दूर, दागमापुर और चुनार रेलवे स्टेशनों के बीच २८ मार्च, १९६४ को एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) उससे कुल कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क). और (ख) २८ मार्च, १९६४ को लगभग ५ बजकर ४५ मिनिट पर प्रातःकाल को जब उत्तर रेलवे के इलाहाबाद–मुगलसराय सैक्शन पर दागमानपुर और पहाड़ा स्टेशनों के बीच १९६ डाउन मालगाड़ी जा रही थी तो उसका एक वैगन पटरी से उतर गया ।

@केन्द्र द्वारा पुरोनिधान की गई उपभोक्ता सहकारी स्टोरों की योजना के लिये दी गई सहायता इसमें सम्मिलित है ।

*केन्द्र द्वारा पुरोनिधान की गई उपभोक्ता स्टोरों की योजना, ग्रामदान क्षेत्रों में सहकारी खेती और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के लिये दी गई सहायता इसमें सम्मिलित है ।

(ग) रेलवे सम्पत्ति को लगभग ५०० रुपये की क्षति होने का अनुमान लगाया गया था।

कृषि उत्पादन

२३३२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पश्चिम पाकिस्तान में कृषि क्रान्ति लाने के लिये कुछ अमरीकी वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत की गई योजना की ओर गया है जिससे कि प्राकृतिक गैस और भूमिगत जल के पर्याप्त निक्षेपों का अधिक उपयोग करके, रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग करके, खेती की अधिक अच्छी विधियों को अपनाकर और अधिक उपयुक्त भूमि पद्धति द्वारा अगले २५ से ३० वर्षों की अवधि में खाद्य उत्पादन को दुगना किया जा सकता है ; और

(ख) क्या भारत के लिये ऐसी एक योजना बनाने की व्यवहार्यता पर विचार किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). पश्चिम पाकिस्तान में कृषि क्रान्ति लाने के लिये कुछ अमरीकी वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत की गई एक योजना के बारे में समाचारपत्रों में कुछ दिन पहले जो समाचार प्रकाशित हुआ था उसके अतिरिक्त खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के पास और कोई जानकारी नहीं है। इसको देखते हुए, भारत के लिये ऐसी एक योजना बनाने की व्यवहार्यता अथवा अव्यवहार्यता पर विचार नहीं किया गया है।

तथापि, उपलब्ध संसाधनों के द्वारा ही कृषि उत्पादन को अधिकतम करने के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम के अधीन भारत सरकार पहिले ही से विभिन्न उपाय कर रही है। इस कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ साथ भूमिगत जल संचितियों का अधिक उपयोग में लाना, रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग, खेती के अधिक अच्छे तरीके अपनाना और अधिक उपयुक्त भूमि पद्धति पर जोर देना सम्मिलित हैं। खाद्यान्नों तथा अन्य महत्वपूर्ण फसलों के लिये कुछ चुने हुए क्षेत्रों में पैकेज अथवा गहन खेती कार्यक्रम अपनाये गये हैं। फोर्ड फाउन्डेशन तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी, अमरीका की वित्तीय तथा प्रविधिक सहायता से चुने हुए पंदरह जिलों में गहन कृषि जिला कार्यक्रम भी प्रारम्भ किया गया है।

दिल्ली में स्कूटर रिक्शा

२३३३. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के स्कूटर-रिक्शा के अधिकांश ड्राइवरों ने भाड़ा दिखाने वाले मीटर नहीं लगाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में रिक्शा चालकों को कोई अन्तिम आदेश जारी करने का सरकार का विचार है ?

परिवहन मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). दिल्ली में मोटर-रिक्शाओं में भाड़े के मीटर अनिवार्य रूप से लगाने का प्रश्न बहुत दिनों से दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है। वास्तव में, राज्य परिवहन प्राधिकार ने दिल्ली में ३० अगस्त, १९६२ को यह निर्णय ले लिया था कि केवल ऐसे ही नये मोटर-रिक्शाओं के लिये नई परमिटें दी जायेंगी जिनमें मंजूर किये गये भाड़े की मीटर लगे हों। तथापि, ये मीटर पर्याप्त

संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। कुछ व्यापारियों ने जिन्होंने कुछ थोड़े से मीटर आयात द्वारा मंगा रखे थे, इनके लिये बहुत अधिक मूल्य लिया जो कि ८०० रुपये से लेकर १००० रुपये प्रति मीटर तक था। परिणामस्वरूप, उपलिखित निर्णय के प्रवर्तन को राज्य परिवहन प्राधिकार, दिल्ली ने स्थगित कर दिया।

हाल ही में मैसर्स इन्टरनेशनल इन्सट्रूमेन्ट्स लिमिटेड, बंगलौर ने एक भाड़ा मीटर भेजा है जिसका मूल्य लगभग २५० रुपये है, इसे दिल्ली प्रशासन ने जांच के लिये राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली को भेज दिया है। इसके परीक्षण में खरा उतरने के बाद और इस प्रकार के भाड़ा मीटरों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने पर, दिल्ली में मोटर-रिक्शाओं में भाड़ा मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया जायेगा। इस बीच स्कूटर रिक्शा ड्राइवरों के लिये अपनी गाड़ियों में मिलीमीटर रखना अनिवार्य कर दिया गया है। इन मीटरों पर अंकित मीलों में दूरी के आधार पर वे भाड़े का हिसाब लगाते हैं। उपयुक्त किस्म के मिलीमीटर के बिना ही स्कूटर रिक्शा का चलाना मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा ११२ के अधीन दण्डनीय है।

Works Branch of Southern Railway

2334. Shri Ram Sewak Yadav : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Lashkars working in temporary capacity in the Works Branch of the Southern Railway;

(b) when these lashkars entered into employment earliest and the latest;

(c) whether these persons are being granted leave, free passes and medical facilities; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan) : (a) **to** (d) The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Suratgarh Farm

2335. Shri Ram Sewak Yadav : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred so far on the salaries and allowances of officers and staff, machines and seeds in the Suratgarh Farm ;

(b) the details for each year separately ; and

(c) the income that accrued from the Farm so far year-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Food & Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (c). A statement giving the required information is attached. [*Placed in the Library Please see No. L.T.—2754/64*]

रेलवे कर्मचारी

२३३६. श्री अल्वारेश : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे कोई मामले रेलवे रेट्स ट्रिब्युनल को सौंपे गये हैं जिनमें १९६० की हड़ताल के परिणामस्वरूप रेलवे कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया था अथवा बर्खास्त कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है ;

(ग) कितने मामलों में ट्रिब्युनल ने अपनी सिफारिशें की हैं ;

(घ) क्या महाप्रबन्धक/रेलवे बोर्ड द्वारा किन्हीं सिफारिशों को नामंजूर कर दिया गया है और उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) शेष मामलों में ट्रिब्युनल द्वारा अपनी सिफारिशों को कब अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) नौ ।

(ग) दो ।

(घ) जी, हां, एक मामले में ट्रिब्युनल की इस सिफारिश को कि नौकरी से निकाले जाने के आदेशों को रद्द कर दिया जाये और सम्बन्धित कर्मचारी को फिर से नौकरी पर लगाया जाये रेलवे बोर्ड ने स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि उनका विचार यह था कि उस मामले में नौकरी का हटाया जाना उचित था ।

(ङ) शेष ७ मामलों में से तीन मामले न्याय निर्णयाधीन हैं । ऐसी सम्भावना है कि शेष ४ मामलों में ट्रिब्युनल अपनी सिफारिशों को ३० जून, १९६४ तक अन्तिम रूप दे देगा ।

उड़ीसा में रेलवे स्टेशन

२३३७. **श्री रामचन्द्र उंलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पचवर्षीय योजना की शेष अवधि में उड़ीसा में नये रेलवे स्टेशनों को बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्यौरे हैं और जिन स्थानों पर वे जायेंगे उनके नाम क्या क्या हैं ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

तृतीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में निम्नलिखित नये रेलवे स्टेशन बनाये जायेंगे :—

स्टेशन का नाम	नये निर्माण का सैक्शन
हीराकुड आटाबीरा बारगढ़ बारपाली डुंगरीपाली खालियापाली लोईसिंघा	सम्बलपुर—तितिलागढ़

नवगांव बीसपुर बांगुरकेला	रांची—बोंडामुंडा
दारलीपुर पडवा बीजागुडा मचकिन्द रोड पालीवा तेल्लापुट्टु मोरापुर मारुबारा जारती मालीगुडा जेपोर हादिया कुसुमी कोटपाद रोड	कोट्टावालसा—बेलाडिला

लघु बचत आन्दोलन के अधीन डाकखानों में जमा राशि

२३३८. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लघु बचत आन्दोलन के अधीन ३१ जनवरी, १९६४ तक उड़ीसा राज्य के विभिन्न डाकखानों में कुल कितनी धनराशि जमा हुई है ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : १ अप्रैल, १९६३ से लेकर ३१ जनवरी, १९६४ तक उड़ीसा के सभी डाकखानों में किये गये विभिन्न विनियोजनों में जमा की गई कुल धनराशि का शुद्ध योग २,००,८८,७७४ रुपये है और ३१ जनवरी, १९६४ तक उड़ीसा के विभिन्न डाकखानों में जमा की गई धनराशि की कुल शेष राशि का योग १८,७३,८६,४९१ रुपये है ।

किसानों को ट्रैक्टरों का सम्भरण

२३३९. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सस्ती सहायता प्राप्त दरों पर किसानों को ट्रैक्टरों को देने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक उसे अर्थसहायता दी जायेगी ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि निर्धारित की है और राज्यों द्वारा इसके लिये कितना रुपया दिया जाना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की गई है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

Delhi and New Delhi Railway Stations

2340. **Shrimati Johraben Chavda :**
Shrimati Renuka Barkataki :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the porters working at Delhi and New Delhi Railway Stations do not get free medical facilities in Railway Hospitals ;

(b) whether such facilities are available to porters in other parts of the country ;

(c) if so, why these facilities are not available to them in Delhi; and

(d) whether Government propose to provide them with such facilities ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan) : (a) No.

(b) Yes. Licenced porters directly licensed by the Railway Administrations for handling passengers' luggage are eligible for the facility of free medical treatment in out-patient department of all Railway Hospitals, including those at Delhi and New Delhi. Such a facility is available only to themselves and not to their families.

(c) & (d). Do not arise.

Accident to flying club Aircraft

2341. **Shri Ram Harkh Yadav :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(o) whether it is a fact that a two-engined trainer aircraft of Bihar Flying Club crashed near Rani Ghat in Patna on the 7th April, 1964 ;

(b) if so, the number of persons killed therein; and

(c) the cause of the accident ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport (Shri Mohiuddin): (a) to (c). A single-engined deHavilland Chipmunk aircraft operated by the Bihar Flying Club crashed in River Ganges near Patna on the 7th April, 1964. The student pilot, who was the sole occupant of the aircraft, was killed. The accident is under investigation.

Bhopal Railway Station

2342. **Shrimati Johraben Chavda :**
Shri Dhuleshwar Meena :
Shri N. R. Laskar :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the period that has lapsed since the new building of Bhopal railway station was constructed and the amount spent thereon ;

(b) whether it is a fact that several construction defects such as cracks in walls and roof of crumbling of plaster and the leakage of lavatory water into vegetarian restaurant have been noticed during the period of two years ; and

(c) if so, the action taken against the persons incharge of that construction work and the estimate of the cost of repairs ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan) : (a) The station building at Bhopal has not been reconstructed but additions and alterations have been made in phases as per statement annexed. The last phase was completed in August, 1962. The total estimated cost is Rs. 11·97 lakhs.

(b) No constructional defects were noticed after completion, but a few shrinkage cracks were noticed.

(c) The shrinkage cracks were not attributed to constructional defects and as such no staff in-charge of the work were found responsible. The cost of repairs carried out is approximately Rs. 700/-.

The work of improvement to station building at Bhopal was carried out in the following phases :—

Phase 1.—Provision of a new parcel office, circulating area etc.
Cost Rs. 3·5 lakhs.

Phase 2.—Provision of cover over platform, foot-overbridge, additions & alterations to station building and 3rd class waiting hall.
Cost Rs. 3·05 lakhs.

Phase 3.—Additions & alterations to the existing station building, provision of RCC roof, extension to 3rd class waiting hall etc.
Cost Rs. 3·65 lakhs.

Phase 4.—Provision of first floor over the newly renovated station building including provision of retiring rooms, Tourists waiting lounge etc.

Cost Rs. 1·77 lakhs.

Post Offices

*2343. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Shinre :

Will the Minister of **Posts and Telegraphs** be pleased to state :

(a) the number of new post offices proposed to be opened in the country during 1964 and the number out of them to be opened in Uttar Pradesh ;

(b) the number of post offices out of these to be opened in the rural areas; and

(c) the minimum population required for opening a post office in a village ?

The Deputy Minister in the Department of Posts and Telegraphs (Shri Bhagavati) : (a) Targets for opening of post offices are fixed according to the financial and not Calendar year. The number of post offices proposed to be opened during 1964-65 is as follows :

(*i*) In the country . .	4,052
(*ii*) In Uttar Pradesh . . .	450
(b) (*i*) In the country	3,797
(*ii*) In Uttar Pradesh	423

(c) It is not the population factor but the financial limits up-to which loss can be incurred, under certain prescribed conditions, which determine the justification for opening a post office in a village.

एयर इंडिया के कर्मचारी

२३४४. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर-इंडिया के कर्मचारियों के लिये १९६२–६३ के लिये एक अतिरिक्त महीने का वेतन मंजूर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह राशि अनुग्रहात भुगतान के रूप में है अथवा अभिलाभांश है;

(ग) क्या यह वेतन एयर-इंडिया के उन सभी कर्मचारियों को भी दिया जायेगा जो कि भारत से बाहर काम कर रहे हैं और जो विमान के चालकवृन्दों में हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) से (घ). भारत सरकार ने १९६२–६३ के लिये एयर-इंडिया के कर्मचारियों को निम्नलिखित शर्तों पर एक अनुग्रहात तदर्थ कार्य पुरस्कार देना मंजूर किया है :—

(१) भारत में ही कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को उनके एक महीने के वेतन जमा महंगाई भत्ता के बराबर धनराशि दी जायेगी परन्तु किसी भी कर्मचारी को १,००० रुपये से अधिक नहीं दिया जायेगा ।

(२) विदेश स्थित कर्मचारियों के मामले में, स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जैसे कि स्थानीय वेतन क्रम अथवा विदेश भत्ता, प्रत्येक देश के लिये स्थानीय मुद्रा के रूप में वैसी ही उच्चतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिये ।

ग्वालियर-भिण्ड रेलवे लाइन

२३४५. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यमान ग्वालियर-भिन्ड छोटी रेलवे लाइन के स्थान पर बड़ी रेलवे लाइन बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं। ग्वालियर-भिन्ड छोटी रेलवे लाइन को बड़ी रेलवे लाइन के रूप में बदलने की परियोजना रेलवे की तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में गलत टेलीफोन काल्स

२३४६. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस समस्या से अवगत है कि दिल्ली और नई दिल्ली में गलत टेलीफोन नम्बर मिल जाते हैं अथवा गलत टेलीफोन कॉल्स आ जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या को हल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

डाक और तार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती): (क) जी, हां; इस आशय की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जैसी कि इस प्रकार की किसी भी टेलीफोन पद्धति में होती हैं।

(ख) टेलीफोन सेवा में दोषों को कम से कम करने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की जाती रही है :

(१) जिन दोषों का पता लगता है उन्हें तुरन्त सुधारना;

(२) उपकरण का नियमित रूप से परीक्षण करना और सेवा की खबियों-खराबियों को जांचना;

(३) जो दोष पाये जाते हैं उनके लिये विशेष औपचारिक कार्यवाही करने के हेतु उनका विधिपूर्वक विश्लेषण करना;

(४) संधारण, पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण के स्तर को सुधारने के लिये संधारण कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना;

(५) भारी भार और संकुलन को दूर करने के लिये टेलीफोन पद्धतियों का प्रसार करना तथा अतिरिक्त उपकरणों की व्यवस्था करना;

(६) नये प्रकार के उपकरण के प्रस्तावित अधिष्ठापन की व्यवस्था करना, जिसमें कि ऐसी गड़बड़ियां कम होती हैं; इत्यादि, इत्यादि।

पंचायती राज

२३४७. **श्री ई० शि० पाटिल** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उदयपुर, राजस्थान में जनवरी, १९६४ में पंचायती राज की मूल समस्याओं पर जो राष्ट्रीय गोष्ठी हुई थी उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) उन सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) मुख्य सिफारिशें यह हैं :—

(१) ग्राम, खंड और जिला स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं को स्वशासन की यूनिटों के रूप में कार्य करना चाहिये। हालांकि कभी कभी वे अन्य यूनिटों की एजेन्सियों के रूप में भी कार्य कर सकती हैं परन्तु यह उनका केवल एक गौण कार्य होना चाहिये। इस विचार को व्यावहारिक रूप देने के लिये भारत के संविधान में उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिये जिसमें कि यथासम्भव स्पष्ट रूप से पंचायती राज संस्थाओं के अपने सम्बन्धित स्तरों पर सरकारों के रूप में कृत्य निर्धारित किये जायें।

(२) नगरों को और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के कार्यकरण में अधिक समन्वय स्थापित किया जाना चाहिये।

(३) ग्राम सभा को संविहित प्रतिष्ठान दी जानी चाहिये और पंचायत को समिति के एजेन्ट तथा सभा की कार्यकारी संस्था के रूप में माना जाना चाहिये।

(ख) पहली सिफारिश की जांच की जा रही है। ग्रामीण नगरीय सम्बन्ध के प्रश्न का अध्ययन करने के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई समिति दूसरी सिफारिश की जांच कर रही है। जहां तक अन्तिम सिफारिश का सम्बन्ध है, ग्राम सभा को संविहित मान्यता देने के प्रश्न पर राज्य सरकारों से समय समय पर बातचीत की गई है। दस राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ग्राम सभा अब भी एक संविहित निकाय है। तीन अन्य राज्यों अर्थात् जम्मू तथा काश्मीर, मैसूर और राजस्थान, में भी परिनियम में यह व्यवस्था है कि ग्राम के सभी वयस्क निवासियों की बैठकें बुलायी जाया करें।

बीज फार्म

२३४८. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६३–६४ में उड़ीसा में कोई बीज फार्म खोले गये ;

(ख) यदि हां, तो उनके ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) इस अवधि में उक्त कथित प्रयोजन के लिये राज्य सरकार को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी उड़ीसा सरकार से एकत्रित की जा रही है तथा उनसे प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दक्षिण-पूर्व रेलवे पर स्टेशनों का विद्युतीकरण

२३४९. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३–६४ में दक्षिण-पूर्व रेलवे पर जिन स्टेशनों का विद्युतीकरण किया गया है उनके नाम क्या हैं;

(ख) सरकार ने उन पर कुल कितना रुपया व्यय किया है;

(ग) १९६४–६५ में कौन कौन से स्टेशनों का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २७५५/६४]

केन्द्रीय पहाड़ी विकास बोर्ड

२३५०. **श्री हेम राज :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री दिनांक १८ फरवरी, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय पहाड़ी विकास बोर्ड को बनाने के सम्बन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख). सम्बन्धित राज्य-सरकारों के परामर्श में, एक केन्द्रीय पहाड़ी विकास सलाहकार समिति स्थापित करने का निर्णय किया गया है जिसमें कुछ केन्द्रीय मंत्री, सम्बन्धित राज्यों के मुख्य मंत्री अथवा कृषि मंत्री, कुछ संसद्-सदस्य और कुछ शासकीय अधिकारी तथा गैर-अधिकारी व्यक्ति होंगे । इस समिति की पहली बैठक बहुत शीघ्र ही बुलाई जायेगी ।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

कार्यवाही सारांश

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की बैठकों (सातवीं से नवीं) के कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखता हूं ।

तीसरा प्रतिवेदन

श्री कृष्ण मूर्ति राव : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

वित्त विधेयक—जारी

Finance Bill–*contd.*.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा वित्त विधेयक के खण्ड ३४ पर विचार करेगी ।

श्री मुरारका (झुंझनूं) : मैं अपना संशोधन संख्या १४४ प्रस्तुत करता हूं।

श्री हिम्मतसिंहका (गोइडा) : मैं अपने संशोधन संख्या १८० और १८१ प्रस्तुत करता हूं।

श्री मुरारका : खंड ३४ में एक नई धारा १४०-क समाविष्ट की गई है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को अपनी आय के विवरण देने से ३० दिन के अन्दर आयकर की राशि जमा करनी पड़ेगी। ऐसा न करने पर उसे ५० प्रतिशत तक जुर्माना देना पड़ेगा। मेरे संशोधन में व्यवस्था की गई है कि समय पर आय कर की राशि जमा न करने पर ५० प्रतिशत तक जुर्माना लेने के बजाय पहिले ६ महीनों तक ६ प्रतिशत और उसके बाद १२ प्रतिशत के हिसाब से दण्ड के रूप में ब्याज वसूल किया जाना चाहिए। ऐसा मैंने इस दृष्टि से किया है कि कुछ करदाताओं को पहिले वर्ष में हुई हानि के मामले निर्णय के लिये पड़े रहते हैं क्योंकि आयकर अधिकारियों द्वारा उन्हें हानि की राशि पर आयकर में छूट नहीं दी जाती है। अतः मंत्री महोदय को लोगों की वास्तविक कठिनाइयों को ध्यान में रख कर इस पर विचार करना चाहिए।

श्री हिम्मतसिंहका : मैंने अपने संशोधन में अवधि को ३० दिन से बढ़ा कर ६० दिन करने का सुझाव दिया है। करदाताओं को थोड़ी रियायत देना आवश्यक है अन्यथा बहुत से मामलों में लोगों को बहुत कठिनाई उठानी पड़ेगी।

श्री मो० रु० मसानी (राजकोट) : मैं सर्वश्री मुरारका और हिम्मतसिंहका के संशोधनों का समर्थन करता हूं। कभी कभी ईमानदार व्यापारी, जो कर देना चाहते हैं, कुछ कठिनाइयां आ जाने से ३० दिन के अन्दर नहीं दे पाते हैं। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि संशोधन स्वीकार किये जाने चाहिएं। यदि संशोधन वापिस लिये गये तो मैं फिर भी इस खण्ड का विरोध करूंगा।

वित्त मन्त्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : माननीय सदस्यों को खण्ड (३) के बारे में असंतोष है। इस खण्ड में यह व्यवस्था की गयी है कि कर निर्धारण के ३० दिन के अन्दर कर की राशि जमा करानी होगी अन्यथा ५० प्रतिशत तक जुर्माना करने की व्यवथा की गई है। माननीय सदस्यों को यह समझ लेना चाहिये कि ५० प्रतिशत जुर्माने की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। इस से यह सपष्ट है कि प्रायः जुर्माना इस से कम ही किया जायेगा। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि जिन व्यापारियों को पहिले वर्ष हानि उठानी पडी हो उन के मामले में अधिक गौर किया जायेगा। मैं आयकर अधिकारियों को अनुदेश जारी करूंग कि न्याय संगत मामलों में जुर्माना न लिया जाये। मेरे विचार से ब्याज की दर निर्धारित करना सर्वथा अनावश्यक है।

अध्यक्ष महोदय : क्या संशोधन मतदान के लिए सभा के सामने रखे जायं।

श्री मुरारका : मंत्री महोदय के आश्वासन को दृष्टि में रखते हुए मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूं।

श्री हिम्मतसिंहका : मैं भी अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूं।

संशोधन संख्या १४४, १८० और १८१ सभा की अनुमति से वापिस लिये गये।

Amendments Nos. 144, 180 and 181 were, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड ३४ विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 34 was added to the Bill.

खण्ड ३५ से ३८ विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 35 to 38 were added to the Bill.

संशोधन किया गया

Amendment made.

पृष्ठ २३, पंक्ति ७ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"arbitrations under this sub-section.

Explanation.—In this sub-section, valuer means a valuer appointed under section 4 of the Estate Duty Act, 1953."

["इस उपधारा के अन्तर्गत मध्यस्थ-निर्णय।

व्याख्या : इस उपधारा में मूलनिर्धारक से अभिप्राय सम्पदा शुल्क अधिनियम १९५३ की धारा ४ के अन्तर्गत नियुक्त मूल्य निर्धारक से है"] (५३)

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३९, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड ३९, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 39, as amended, was added to the Bill.

श्री काशीराम गुप्त : (अलवर) : मैं अपने संशोधन संख्या १६ प्रस्तुत करता हूं।

"कि पष्ठ २३ पंक्ति १३— "ninety percent" (नब्बे प्रतिशत)" के स्थान पर "eighty percent ("अस्सी प्रतिशत) रखा जाय। (१६)।

मैं अपना संशोधन संख्या १७ भी प्रस्तुत करता हूं।

श्री मुरारका : मैं अपनी संशोधन संख्या १४५ और १४७ प्रस्तुत करता हूं।

श्री न० रं० घोष (जलपाईगुड़ी) : मैं अपने संशोधन संख्या १४८, १४९ और १५० प्रस्तुत करता हूं।

श्री काशीराम गुप्त : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने यह खंड इसलिये रखा है कि करदाता नियमित रूप से अपने खाते रखें। यह मैं स्वीकार करता हूं। किन्तु बहुत से छोटे छोटे करदाता ऐसे होते हैं जो नियमित रूप से खाते नहीं रख सकते। किन्तु अपनी आय छिपाने का अभिप्राय भी नहीं रखते हैं। मेरा पहला संशोधन इन्हीं लोगों के हितों की रक्षा से संबंधित है। इस संशोधन के अनुसार किसी व्यक्ति को अपनी आय छिपाने अथवा गलत ब्यौरा देने का दोषी तभी माना जाये जब कि उस के द्वारा बतायी गयी आय कुछ निर्धारित आय के ८० प्रतिशत से कम हो।

दूसरे संशोधन के अनुसार यह उपबन्ध उन करदाताओं पर लागू नहीं होना चाहिये जिन की आय २०,००० रुपये से कम हो। कुछ ठेकेदारों, खुदरा व्यापारियों आदि, जो उचित ढंग से अपने माल के खाते नहीं रख सकते हैं, के मामले में आय का निर्धारण करना मुश्किल है। अतः उन से पहिले ही एक समान दर से आय कर लिया जाता है। उन पर ६० प्रतिशत वाली बात लागू नहीं होती है। मैंने इसी दृष्टि से यह संशोधन प्रस्तुत किया है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मैं खण्ड ४० का विरोध करता हूं क्योंकि अधिनियम के खण्ड (ग) में धारा २७१ में से "जान बूझ कर" शब्द निकालना दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। आय के निर्धारण के बारे में प्रमाण न दे सकने पर इमानदार करदाताओं को बड़ी कठिनाई होगी। आयकर अधिकारियों को इतने अधिक अधिकार देने का कोई औचित्य नहीं है। वे आय निर्धारण के बारे में अपनी मनमानी करेंगे जिस से करदाताओं को बड़ी मुसीबत उठानी पड़ेगी। इस से प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। मैं वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस खण्ड पर पुनःविचार करें। किसी करदाता को तभी यह बताने के लिये कहा जाय, कि क्या आय को छिपाया गया है, जब आयकर अधिकारी ने उस के विरुद्ध शिकायत की हो कि आय को छिपाया गया है।

श्री मुरारका: आय कर अधिनियम में "जानबूझ कर" शब्द, वर्ष १९६१ में त्यागी समिति तथा अन्य अनेक प्रतिवेदनों के आधार पर प्रवर समिति द्वारा काफी विचार विमर्श करने के बाद रखे गये थे। अब प्रस्तुत विधेयक में ये शब्द हटाने का मतलब यह होगा कि इस बात को सिद्ध करने का दायित्व करदाता पर होगा कि आय को जानबूझ कर नहीं छिपाया गया है। ऐसा न कर सकने पर करदाता दण्ड का भारी होगा।

इस प्रश्न पर देश के विभिन्न उच्चन्यायालयों द्वारा विचार किया गया है। बम्बई उच्च न्यायालय के भूतपूर्व महा न्यायाधिपति—वर्तमान शिक्षा मंत्री—द्वारा वर्ष १९५७ में एक मुकदमे के बारे में दिये गये निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी व्यक्ति को दोषी सिद्ध करने का दायित्व अभियोक्ता पर है। अतः यह खंडन्यायसंगत नहीं कहा जा सकता।

यह सराहनीय बात है कि मंत्री महोदय करों के अपवंचन की रोकथाम का प्रयत्न कर रहे हैं किन्तु इस प्रकार के सिद्धान्त को अपनाना अनुचित है, क्योंकि यह प्राकृतिक न्याय तथा विधि शास्त्र के सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं है। मंत्री महोदय को कर वसूल करने के लिये कुछ दूसरे ठोस उपाय अपनाने चाहियें। नयी योजना के अन्तर्गत यह साबित करने का उत्तरदायित्व, कि आय को जान बूझ कर नहीं छियाया गया है, कर दाता पर डाल दिया गया है, कारावास का दण्ड आदेशात्मक कर दिया गया है और इस अपराध के लिये कम से कम छः मास के कारावास का दंड निर्धारित किया गया है :

हमें न्यायालयों के निर्णयों पर पूरा विश्वास है। न्यायालय बहुत सोच विचार के बाद ही किसी मामले में अपना निर्णय देते हैं। सजा कितनी होनी चाहिये यह निर्धारित करना न्यायालयों का काम है। सरकार को कारावास की न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं करनी चाहिये थी और इसे आदेशात्मक नहीं बनाना चाहिये था। यह सब कुछ निर्धारित करना न्यायालयों का काम है। कर एकत्र करने संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिये सरकार को इस बात का ध्यान रखाना चाहिये कि संविधान के अनुसार नागरिकों को जो मूल अधिकार तथा संरक्षण प्राप्त हैं उन्हें छीना न जाये अन्यथा जनता का सरकार में विश्वास नहीं रहेगा।

[श्री मुरारका]

एक ओर तो हम आज भ्रष्टाचार को दूर करने की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर आय कर अधिकारियों को प्रस्तावित व्यापक अधिकार दे कर स्वयं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। व्यापक अधिकार प्राप्त होने पर आय कर अधिकारी जो कुछ चाहें कर सकते हैं। उन्हें किसी बात का डर नहीं रहेगा। मंत्री महोदय को विधेयक तैयार करते समय इस पहलू पर भी विचार करना चाहिये था। दण्ड केवल आयकर आयुक्त अथवा उस के बराबर के अधिकारी के परामर्श से दिया जाना चाहिये।

यदि कोई व्यक्ति अपनी कुल आय को आय कर अधिकारी द्वारा अन्तिम रूप से निर्धारित ७५ प्रतिशत से कम नहीं बताता है तो उसे दंड नहीं दिया जाना चाहिये। क्योंकि इस में गलती भी हो सकती है और इस के लिए करदाता को बिना बात दंड देना पड़ेगा। आयकर अधिकारी भी गलती कर सकते हैं, किन्तु उन के लिए कोई दंड की व्यवस्था नहीं है। यदि इन अधिकारियों के लिये भी गलती करने के लिये दंड की व्यवस्था की जाती तो ९० तिशत से कम आय बताने पर दण्ड की व्यवस्था करना न्यायसंगत था।

श्री न० रं० घोष (जलपाईगुड़ी) : पहले मैं दण्ड विधि में 'जानबूझ कर' (डेलीबेरेटली) शब्दों के हटाने के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। अन्य देशों में अपराधी व्यक्ति के दुराशय पर अधिक जोर दिया जाता है। इन शब्दों को हटाने से निर्दोष व्यक्तियों को अपराध का आशय न होते हुए भी कड़ा दण्ड मिलने की संभावना हो सकती है।

मैं आप को इस का उदाहरण देता हूं। यदि निर्धारित राशि दी गई राशि से १०प्रतिशत से अधिक है तो इस का अर्थ यह हुआ कि इस व्यक्ति ने अपनी आय को छिपाया है। एक अन्य मामले में, मान लीजिये एक व्यक्ति अपनी आय केवल ५००० रु० दिखाता है। आयकर अधिकारी इस राशि में केवल ६०० रु० जोड़ देता है और इस प्रकार ५,६०० रु० की आय निर्धारित करता है।

यद्यपि उस व्यक्ति की आय छिपाने का कोई आशय नहीं था और उस ने ऐसा भूल से किया, फिर भी वह दण्ड का भागी बन जायेगा। मेरा निवेदन है कि माननीय मत्री इस पहलू पर विचार करें, क्योंकि इससे बड़ा मूल परिवर्तन आ जायेगा। इस उपबन्ध से आयकर अधिकारियों की शक्तियां बढ़ जायेंगी। और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। कम आय वाले व्यक्ति अपना हिसाब किताब ठीक प्रकार नहीं रख सकते और इस प्रकार वे आय कर अधिकारियों द्वारा सरलता से अपराधी ठहराये जा सकते हैं।

यह सही है कि भारत प्रतिरक्षा नियमों और इस प्रकार के नियमों में व्यक्ति के आशय को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। परन्तु इन मामलों में दण्ड या जुरमाना बहुत मामूली होता है। १९४७ में जब भारत प्रतिरक्षा का मामला प्रीवी काउंसिल में गया था तो उस के न्यायाधीशों ने कहा था कि जब आप ३ वर्ष का दण्ड देते हैं तो आप यह नहीं कह सकते कि दुराशय सिद्ध करना आवश्यक नहीं है।

हम सभी करापवंचन को समाप्त करना चाहते हैं। परन्तु इसके लिये हमें कानून बनाने में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिये। इस उपबन्ध को रखना सभ्यता के अनुकूल नहीं होगा। शब्द 'जान बूझ कर' को हटाया नहीं जाना चाहिये। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम अपनी सभ्यता में कई शताब्दियां पिछड़ जायेंगे। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस पहलू पर विचार करेंगे।

श्री ब० बा० गांधी : (बम्बई नगर—मध्य दक्षिण) : मैं अपना संशोधन संख्या १८२ प्रस्तुत करता हूं ।

मैं अपने माननीय मित्र श्री मुरारका की इस बात से सहमत हूं कि 'जान बूझ कर' शब्दों को हटाया नहीं जाना चाहिये ।

यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का ब्यौरा सही नहीं देता तो क्या हम यह समझें कि उसने अपनी आय जान बूझ कर नहीं छिपाई है ? आप छिपाना उस को कहते हैं जब आप के दो अनुमानों में अन्तर हो । यदि कोई व्यक्ति अपनी आय को ९० प्रतिशत से कम बताता है तो यह समझा जायेगा कि उसने अपनी आय छिपाई है । परन्तु व्यावहारिक जीवन में इस १० प्रतिशत के छोटे से अन्तर को विभिन्न तरीकों द्वारा सरलता से हटाया जा सकता है ।

अतः मेरा संशोधन यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का ब्यौरा ६० प्रतिशत से कम देता है केवल तब ही यह समझा जायेगा कि उसने अपनी आय छिपाई है ।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस धारा में "जान बूझ कर" शब्दों को हटाना विधि शास्त्र के मूल सिद्धान्तों के विरुद्ध होगा ।

इस धारा में यह दिया हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपनी आय के विवरण को छिपाया है, अथवा यदि उस ने जान बूझ कर अपनी आय का गलत ब्यौरा दिया है, तो उसे दण्ड मिलेगा । इसके लिये दण्ड बहुत अधिक रखा गया है । खण्ड (ग) के अन्तर्गत कर की डेढ़ गुना राशि तक दण्ड दिया जा सकता है ।

किसी भी अपराधी को दण्ड देने से पहले उस का दुराशय सिद्ध होना चाहिये । "जान बूझ कर" शब्दों से दुराशय का अर्थ निकलता है । इन शब्दों को हटाना उचित नहीं है ।

आय के ब्यौरे बनाने के अलग अलग ढंग होते हैं । मान लीजिये कोई व्यक्ति अपनी आय का ब्यौरा ईमानदारी से बना कर १०,००० रु० देता है । आय कर अधिकारी कहता है मैं इसे बढ़ा कर १२,५०० रु० करूंगा और दिये गये ब्यौरे को स्वीकार नहीं करता । यह एक बड़ी हद तक अपने अपने सोच विचार की बात है । आय को निर्धारण करने का कोई निश्चित हिसाब नहीं है । तो क्या यह कहना उचित है कि क्योंकि आय कर अधिकारी ने अपनी समझ से ऐसा कर दिया है इस-लिये उस व्यक्ति को डेढ़ गुना दण्ड देना पड़ेगा ? यह विधिशास्त्र के सभी आधारभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध है ।

आप उसे डेढ़ गुना दण्ड दे रहे हैं जबकि उसने जान बूझ कर कुछ नहीं किया है । अतः मेरा आप से निवेदन है कि आप एक व्यापारी को तब तक दण्ड नहीं दे सकते जब तक यह सिद्ध न हो जाये कि उसने जान बूझ कर अपनी आय को छिपाया है ।

खण्ड (ग) के स्पष्टीकरण में यह उपबन्ध किया गया है कि यदि दिखाई गई आय और निर्धारित आय में अन्तर १० प्रतिशत है तो व्यक्ति को अपराधी समझा जायगा । ऐसा करना उचित

[श्री नी० चं० चटर्जी]

नहीं है, विशेषत: जबकि इस में विवेक की काफी संभावना है । जहां आयकर-अधिकारियों को आय-निर्धारण करने में बहुत अधिक विवेक होगा वहां आय के आंकड़ों में अन्तर होना निश्चित है ।

"जान बूझ कर" शब्दों को बड़े सोच विचार के बाद रखा गया था और ये विधि के मूल सिद्धान्तों के अनुकूल हैं । इस बात का भार कि मैं अपराधी हूं विभाग पर होना चाहिये न कि मुझ पर । इस धारा के इन शब्दों के हटाने से आयकर अधिकारियों में भ्रष्टाचार बढ़ने की संभावना है ।

अत: मेरा निवेदन है कि कर लगाने सम्बन्धी यह कानून बहुत उलझा हुआ है और इसे समझना बड़ा कठिन है । इसे लागू करना भी कठिन है । व्यक्तियों को बिना दोष के अपराधी ठहराना उचित नहीं है ।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : जैसाकि श्री चटर्जी ने बताया यह खण्ड दैवी न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध है । यह अनैतिक है । इस से बड़ा अन्याय होगा । लेखा परीक्षक और आय कर अधिकारी की अलग अलग रायें हो सकती हैं । बहुत से मामलों में लेखापरीक्षकों में आपस में भी मतभेद हो सकता है । अधिकारी सरलता से कह सकता है कि अन्तर १० प्रतिशत से अधिक है । इस से अधिकारी भ्रष्ट हो सकते हैं । व्यापारी इस डर से कि अन्तर कहीं १० प्रतिशत से अधिक न हो जाये अधिकारियों को रिश्वत देने लगेंगे । अधिकारी व्यापारियों पर नाजायज़ दबाव डालेंगे । यदि व्यापारी बेईमान हैं तो आयकर अधिकारी भी बेईमान हैं । व्यापारी के लिये यह सिद्ध करना कि उसने अपनी आय का विवरण देने में किसी कपट से काम नहीं लिया है अथवा जान बूझ कर कोई भूल नहीं कि है, बड़ा कठिन है । यह बात अधिकारी को सिद्ध करना चाहिये । आप सब बातें सिद्ध कर सकते हैं, परन्तु नकारात्मक बात को सिद्ध करना बड़ा कठिन है । अत: मेरा निवेदन है कि "जान बूझ कर" शब्दों को नहीं हटाया जाना चाहिये और यह न्यायसंगत होगा ।

श्री सचीन्द्र चौधरी (घाटल) : जहां तक "जान बूझ कर" शब्दों का सम्बन्ध है, इन के हटाने से सावधानी, दक्षता और अकर्मण्यता जैसे छोटे अपराध पूर्ण अपराध बन जायेंगे । कोई भी व्यक्ति इन तीनों बातों के कारण अपनी आय का ब्यौरा ९० प्रतिशत से कम दे सकता है । अत: 'जान बूझ कर' शब्दों को हटा कर हम ऐसा अपराध बना रहे हैं जो वास्तव में अपराध नहीं है ।

जहां तक ९० प्रतिशत का प्रश्न है इसके लिये कोई निश्चित स्तर नहीं रखा जा सकता । मेरे माननीय मित्रों ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की आय ५,००० रु० है तो आय कर अधिकारी उसे ५६०० रु० दिखा सकता है । मैं कहता हूं कि अधिकारी को ६०० रु० अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है उस का काम केवल ५०० रु० आठ आने अधिक बताने से भी चल सकता है । इसमें आप कोई भी सीमा रखें फिर भी कठिनाई अवश्य होगी । यदि इस सीमा को ९० प्रतिशत से घटा कर ७५ प्रतिशत कर दिया जाये तो कठिनाई काफी हद तक दूर हो सकती है । किसी भी व्यक्ति के लिये यह सिद्ध करना कि उसने आय का ब्यौरा देने में कपट से काम नहीं लिया है और यह कि दोनों आयों में १० प्रतिशत से अधिक अन्तर नहीं है, बड़ा कठिन है । इस बात का निर्णय आय कर अधिकारी को करना है कि व्यक्ति कपटी है अथवा नहीं ।

मैं यह नहीं कहता कि आय कर अधिकारी बेईमान हैं । उनमें से अधिकांश ईमानदार हैं । इस धारा से यह आशय है कि राजस्व में कमी न पड़ने पाये, ईमानदार व्यक्ति को बचाया जा सके और कानून को ठीक तरह से लागू किया जा सके ।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आय कर अधिकारियों को कर निर्धारण के मामले में विवेक की असीमित शक्तियां नहीं दी जानी चाहियें । इस से भ्रष्टाचार बढ़ेगा । इस से करदाताओं को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा । मैं छोटे कर दाताओं और बड़े कर दाताओं में अन्तर नहीं समझता । मेरे लिये सब समान हैं । प्रत्येक व्यक्ति को यह कहने का अधिकार है कि वह ईमानदार है जब तक वह अपराधी सिद्ध नहीं होता ।

अतः मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह 'जान बूझ कर' शब्दों को न हटायें और ९० प्रतिशत के स्थान पर ७५ प्रतिशत कर दिया जाये ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : जिस पृष्ठ भूमि में इस संशोधन को लाया गया है हम ने उस की ओर ध्यान नहीं दिया है । हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि एक बहुत बड़ी राशि का करापवंचन किया जाता है । मैं मानती हूं कि वेतन प्राप्त कर्मचारी वर्ग ईमानदार है । सारे व्यावसायिक लोग ईमानदार नहीं हैं । बड़े बड़े व्यापारी और बड़ी कम्पनियां पूरे कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं । इन बातों को देखते हुए कुछ सदस्यों ने नैतिकता और विधिशास्त्र का जो प्रश्न उठाया है वह नहीं उठता । आज नैतिकता की आड़ में बड़ी बड़ी अनैतिक बातें की जाती हैं । मैं मानती हूं कि प्रशासन की शक्तियां बढ़ाने से भ्रष्टाचार बढ़ेगा । परन्तु जब तक पूरी कर प्रणाली को समाप्त नहीं किया जायेगा यह चीज़ चलती रहेगी । हमें भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये कड़े उपाय करने चाहियें । आय कर अधिकारियों की शक्तियों को घटाना नहीं चाहिये ।

बड़ी कम्पनियां लेखापरीक्षकों की सहायता से अपनी आय काफी कम दिखाती हैं और कानून से बच निकलती हैं । अतः यह खंड बहुत आवश्यक है । मैं तो चाहती हूं कि इसे १०० प्रतिशत कर देना चाहिये । मैं समझती हूं कि केवल वकीलों और व्यापारियों ने ही इस का विरोध किया है । साधारण व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधान करने वाले सदस्यों ने इस का विरोध नहीं किया है । यदि हम प्रति वर्ष २०० करोड़ रु० अथवा ३०० करोड़ रुपये का करापवंचन रोकना चाहते हैं तो हमें इस उपबन्ध को स्वीकार करना पड़ेगा ।

श्री रंगा (चित्तूर) : श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा कि हमारे समाज में भ्रष्ट अधिकारी और बेईमान कर दाता आवश्यक रूप से होंगे, और इसलिये हमें इन भ्रष्ट अधिकारियों को अधिकाधिक शक्तियां देनी चाहियें । क्या इस बात में कोई तर्क है ?

जब सदन में निवारक निरोध अधिनियम और भारत प्रतिरक्षा नियमों पर विचार किया जा रहा था तो कम्यूनिस्ट दल के सदस्यों ने उस का विरोध किया और कहा कि सन्देह का लाभ प्रत्येक नागरिक को मिलना चाहिये । आज वे ही सदस्य यह कह रहे हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों की शक्तियां बढ़ा देनी चाहियें । यह बिलकुल निरर्थक और अनुचित बात है ।

आप गलती करने वाले व्यापारी को दण्ड देने के लिये कुछ भी करें परन्तु जो कुछ भी करें लोकात्मक तरीके से करें जिससे कि प्राकृतिक न्याय और विधि शास्त्र को ठेस न पहुंचे । इस उपबन्ध को लाना हमारे संविधान को घात पहुंचाने के बराबर है । निर्दोष सिद्ध करने का भार

[श्री रंगा]

व्यापारियों के कंधों पर नहीं होना चाहिये । अतः मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री इस पर विचार करेंगे और इस खंड पर सभा में विभिन्न सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों में से किसी एक को स्वीकार करेंगे ।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : मैं माननीय वित्त मंत्री की इस कानून द्वारा पिछले कानून की कमियों को दूर करने के प्रयत्न की सराहना करता हूं । परन्तु मेरा विचार है कि इससे भ्रष्टाचार के और अधिक रास्ते खुल जायेंगे । इस खंड में की जाने वाली सारी व्यवस्था गलत है । ऐसा समझा जाता है कि लोगों में आय छिपाने की प्रवृत्ति है जिसे समाप्त करने के लिये कुछ न कुछ किया जाना चाहिये ।

इस उपबन्ध से अधिकारी व्यापारियों को तंग करेंगे और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा । इससे बड़ी कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी । अतः मेरा विचार है कि हमें प्रत्येक व्यक्ति को निर्दोष समझना चाहिये जब तक वह अपराधी सिद्ध नहीं हो जाये ।

ये विधि की सामान्य बातें हैं । यदि हम इनकी उपेक्षा करेंगे तो नई नई कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी जिनका हम इस समय सही अनुमान नहीं लगा सकते ।

अतः इन बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा निवेदन है कि खण्ड को अधिक युक्तिसंगत बनाया जाये ।

डा० सरोजिनी महिषी (धारवाड़–उत्तर) : हो सकता है कि देश में भारी करापवंचन विद्यमान होने के कारण माननीय वित्त मंत्री धारा २७१ में यह संशोधन लाने के लिये मजबूर हुए हों । परन्तु हमें इससे उत्पन्न होने वाले परिणामों को भी ध्यान में रखना चाहिये । 'जानबूझ कर' शब्दों के हटा दिये जाने से सिद्ध करने का भार करदाता पर होगा, जोकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध है । उसको अपनी अनभिज्ञता सिद्ध करने का अधिकार दिया जाना चाहिये । इसके साथ साथ धारा २७७ का भी संशोधन किया जा रहा है और साधारण कारावास के स्थान पर कठोर कारावास शब्द रखे जा रहे हैं । इसके बडे खराब परिणाम होंगे अतः माननीय वित्त मंत्री को खण्ड ४० पर फिर से विचार करना चाहिये । हम यह नहीं मान सकते कि प्रत्येक आय-कर अधिकारी ईमानदार है । अतः कार्यपालिका को जुर्माना करने की अन्तिम शक्तियां दिये जाने से उनके दुरुपयोग किये जाने का भय है । करदाता को इसका शिकार नहीं बनाया जाना चाहिये । भारत में साक्षरता बहुत कम है । ऐसी स्थिति में करदाता को बाद में अपनी आय के आंकडे ठीक करने की अनुमति होनी चाहिये और आय-कर अधिकारी का निर्णय अन्तिम नहीं होना चाहिये । यदि उस राशि में से मूल्य ह्रास (डेपरिशियेशन) राशि घटा दी जाती है तो आय-कर अधिकारी के लिये आय को १० प्रतिशत बढ़ाना कठिन काम नहीं होगा क्योंकि विभिन्न लेखा-परीक्षकों के निर्धारण में अन्तर हो सकता है । प्रस्तावित सीमा अधिक नहीं है । अतः मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री 'जानबूझ कर' शब्द निकालने के अपने निर्णय पर फिर से विचार करें ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : काफी माननीय सदस्यों ने इस खण्ड का विरोध किया है और उनकी मुख्य आपत्ति "जानबूझ कर" शब्दों के बारे में है । सिद्धि भार आय कर अधिकारी पर होने से कर वसूल करने में बाधा उत्पन्न होती है । वित्त विधेयक यह ध्यान में रख कर बनाया गया है कि कर ठीक प्रकार वसूल किया जा सके और कर का अपवंचन न हो सके । बहुत अधिक

राशि का अपवंचन किया जाता है। हमारे पास जो आंकड़े हैं वे बहुत कम हैं। आय-कर अधिनियम पर अमल करवाना आसान काम नहीं है। वास्तव में, "जानबूझ कर" शब्द आय-कर अधिकारी द्वारा जुर्माना किये जाने में बाधक हैं। मूल्यह्रास राशि के बारे में यह कहा जाता है कि प्रत्येक लेखापरीक्षक के निर्धारण में अन्तर हो सकता है। यह वास्तविक भूल है। यदि यह प्रस्तावित सीमा से अधिक भी हो, तब भी यह एक वास्तविक भूल है। १० प्रतिशत की सीमा लिपिक तथा अन्य भूलों के बचाव के लिये रखी गई है। हमारा उद्देश्य किसी को दोषी ठहराने तथा उसे जेल भेजने का नहीं है। वे अपना मामला अन्त में न्यायालय तक ले जा सकते हैं। हम वर्तमान आय-कर न्यायाधिकरण का स्थान ऊंचा करने तथा इसे न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में लाने के बारे में सोच रहे हैं ताकि किसी के साथ अन्याय न हो सके। लोगों को आय-कर अधिकारियों के मनमाने निर्णय से संरक्षण देने के लिये उन्हें अपीलीय न्यायालयों में अपना मामला ले जाने की अनुमति है। "जानबूझ कर" शब्द का धारा २७७ से कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि धारा २७१ से यह शब्द निकाला नहीं जाता है तो इस समूचे खण्ड को रखने का कोई औचित्य ही नहीं है।

यहां पर अमरीका का उदाहरण दिया गया है। वहां पर कराधान को न्यायशास्त्र के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत समझा जाता है। वास्तव में कर का अर्थ धन छीनना है। यदि कोई व्यक्ति किसी कर को चुनौती देता है तो हम अमरीकी सिद्धान्त की शरण लेंगे। जहां तक करों को वसूल करने का सम्बन्ध है, न्यायशास्त्र के सामान्य सिद्धान्त इस कारण महत्वहीन हो जाते हैं कि जो भी करापवंचन करता है, वह एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई करता है और अन्य लोगों पर बहुत भारी बोझ डालता है। यदि आगामी दो या तीन वर्षों में सरकार प्रत्यक्ष कर के रूप में १००० करोड़ रु० वसूल करने में सफल हो जाती है, तो उपार्जित आय तथा निगमों पर कर कम कर दिये जायेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य यही है कि हम अधिक कर वसूल कर सकें ताकि ईमानदार करदाताओं को अधिक समय तक अधिक कर न देना पड़े।

यह सभा इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी कि लोगों को करापवंचन करने दिया जाये। यदि न्यायशास्त्र के मूल सिद्धान्त कर वसूल करने के लिये प्रयोग में लाये जायें, तो कर वसूल करना असंभव होगा। आय-कर अधिकारी के लिये प्रत्येक मामले में दोष सिद्ध करना बहुत कठिन होगा। इसलिये "जानबूझ कर" शब्द निकालना बहुत जरूरी हैं, अन्यथा समूची कराधान योजना का कोई अर्थ ही नहीं है। इसका धारा २७७ से कोई सम्बन्ध नहीं है। हो सकता है कि कोई मजिस्ट्रेट किसी दोषी व्यक्ति को छोड़ दे। अतः ऐसी स्थिति से बचने के लिये हम कारावास को अनिवार्य ठहरा रहे हैं।

आयकर अधिनियम की धारा २७१ की प्रस्तावित व्यवस्था में हालांकि ९० प्रतिशत का उपबन्ध उचित है फिर भी मैं श्री काशी राम गुप्त का संशोधन संख्या १६ मानने के लिये तैयार हूं, जिसका अभिप्राय ९० प्रतिशत के स्थान पर ८० प्रतिशत करना है। इसके अतिरिक्त, मैं अन्य कोई छूट देने की स्थिति में नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ २३, पंक्ति १३,—

"ninety percent" ["नब्बे प्रतिशत"] के स्थान पर "eighty percent" ["अस्सी प्रतिशत"] रखा जाये । (१६)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १७ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 17 was put and negatived.

संशोधन संख्या १४५, १४७ से १५० तथा १८२ सभा की अनुमति से वापिस लिए गए ।

Amendment Nos. 145 147 to 150 and 182 were by leave withdrawn

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४०, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ ।

Lok Sabha divided :

पक्ष में ९२; विपक्ष में २४

Ayes 92;Noes 24

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड ४०, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

ause 40, as amended, was added to the Bill.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

MR. DEPUTY SPEAKAR *in the chair*

खण्ड ४१

श्री हिम्मतसिंहका : मैं अपने संशोधन संख्या १५२ तथा १८३ प्रस्तुत करता हूं । मेरे संशोधन संख्या १८३ का अभिप्राय दण्ड को ५ वर्ष के कारावास या ५,००० रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों तक बढ़ाना है । मेरे विचार से न्यायालय का स्वविवेक छीनना उचित नहीं है । ऐसे मामलों में न्यायालय का स्वविवेक छीनना सहायक सिद्ध नहीं होगा । कुछ करदाता ऐसे हो सकते हैं जो ईमानदार नहीं हैं । प्रस्तावित उपबन्ध ऐसी कठिनाइयों को दूर करने में समर्थ नहीं है । ये कठिनाइयां तभी दूर हो सकती हैं जब विधि की ठीक प्रकार व्यवस्था की जाये और जो लोग करदाताओं की सूची में नहीं हैं उनको उसमें लाने की ओर ध्यान दिया जाये । हम पिछले वर्ष अनुमान से अधिक कर वसूल कर सके हैं अतः कानून कर ठीक प्रकार से वसूल करने में बाधक नहीं है । बहुत से लोगों का कारोबार बढ़ गया है और वे आय-कर अधिनियम के क्षेत्राधिकार में आते हैं । हमें ऐसे व्यक्तियों का पता लगाने के लिये पर्याप्त उपबन्ध करने चाहियें । अतः न्यायालय का स्वविवेक नहीं छीना जाना चाहिये चाहे दण्ड २ वर्ष या ५ वर्ष कर दिया जाये । यदि न्यायालय की राय में अपराध ऐसा है जिसके लिये कारावास का दण्ड होना उचित नहीं है तो न्यायालय को ऐसा करने का स्वविवेक होना चाहिये । मेरे संशोधन संख्या १८३ का यही उद्देश्य है । यदि यह स्वीकार नहीं की जाती है तो उस अवस्था में मैंने अपने संशोधन संख्या १५२ द्वारा इस परन्तुक को हटाना चाहा है जिसका अभिप्राय यह है कि दण्ड केवल कारावास तक ही सीमित रहना चाहिये और न्यायालय को कारावास का दण्ड देने अथवा न देने का स्वविवेक होना चाहिये ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : किसी वास्तविक भूल के मामले में बिना कोई कारण बताये किसी करदाता को कारावास का दण्ड देना विधि शास्त्र के सभी सिद्धान्तों के विरुद्ध है। दण्ड को बढ़ा कर दो वर्ष के कठोर कारावास का उपबन्ध करना न्यायसंगत नहीं है। मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि करदाताओं के प्रति आय-कर विभाग का रवैया उचत नहीं है। यहां तक कि दिवालिया करदाताओं को भी तंग किया जाता है। जो व्यक्ति भीख तक मांगने लग गया है, उसको भी इस कानून के अन्तर्गत दो वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया जा सकता है। मेरी समझ मे नहीं आता कि सरकार इसको कैसे न्यायसंगत सिद्ध कर सकती है। करदाता आय-कर विधि की जटिलताओं क नहीं समझते और इस बारे में उनका मार्गदर्शन नहीं किया जाता है। कुछ दिनों की देर होने पर भी उन्हें जेल भेजा जा सकेगा। यह बहुत ही कठोर विधान है और इसे पास नहीं किया जाना चाहिये।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : हम माननीय वित्त मंत्री की इस बात से सहमत हैं कि कर अधिक मात्रा में एकत्र किया जाये। परन्तु सभा इस बात की सहमति नहीं देगी कि करदाता पर जुर्माना करने का अधिकार, जो अभी तक न्यायालयों को प्राप्त है, छीन लिया जाये। कुछ विशेष मामलों को छोड़ कर, ६ महीने या इससे कम के कठोर कारावास का दण्ड देने का न्यायालय का अधिकार नहीं छीना जाना चाहिये। न्यायालय को किसी मामले में अपने स्वविवेक से सजा देने का अधिकार होना चाहिये। अतः यह उपबन्ध न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार पर कुठाराघात करता है। यदि सरकार कर वसूल करने की वर्तमान शक्तियों का ठीक प्रकार प्रयोग नहीं कर सकी है तो आय-कर विधि को और अधिक कठोर बनाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः मैं खण्ड ४१ और ४२ का विरोध करता हूं।

श्री सचीन्द्र चौधरी (घाटल) : धारा २७७ का प्रयोग केवल ऐसे करदाताओं के मामले में किया जायेगा जो जान बूझ कर गलत आय दिखाते हैं। अब प्रश्न यह रह जाता है कि ऐसे मामलों में क्या सजा निर्धारित की जानी चाहिये। सजा निर्धारित किये जाने से न्यायालय के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति निर्दोष पाया जाता है तो उसे कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा। परन्तु दोषी पाये जाने की स्थिति में दण्ड के निर्धारण से न्यायालय के स्वविवेक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

न्यायालय को विशेष तथा पर्याप्त कारण होने की स्थिति में ६ महीने के कारावास के दण्ड को कम करने का अधिकार बना रहेगा। मामला आय-कर अधिकारियों तक सीमित नहीं है अपितु न्यायालय को यह फैसला करना है कि निर्धारित सजा दी जाये अथवा नहीं। अतः उनके बारे मे कोई आपत्ति उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता। गलत विवरण देने को रोकने के लिये कड़े उपबन्ध करना जरूरी है। अतः यह न्यायशास्त्र अथवा व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य के विरुद्ध बात नहीं है। मेरा सुझाव है कि मंत्री महोदय इस खंड में "विशेष तथा पर्याप्त" शब्दों के स्थान पर "विशेष अथवा पर्याप्त" शब्द रखने की कृपा करें या "विशेष" शब्द को बिल्कुल निकाल दें। ताकि कारणों के पर्याप्त होने की अवस्था में न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सीमित न हो जाये।

श्री व० बा० गांधी (बम्बई नगर—मध्य दक्षिण) : आयकर अधिनियम की धारा २७७ में झूठे बयान देने के लिये ६ महीने की साधारण कारावास की या १००० रुपये जुर्माने की व्यवस्था की गई किन्तु प्रस्तुत खण्ड में सजा बढ़ा कर २ वर्ष तक की सख्त कैद की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार

[श्री व० बा० गांधी]

सजा बढ़ाने की प्रवृत्ति सराहनीय नहीं है। कठोर दण्ड की व्यवस्था करके हम लोगों को डरा सकते हैं किन्तु उन्हें सुधार नहीं सकते। दण्ड देने के मामलों में नरमाई से काम लेना चाहिए। न्यायालयों के स्वविवेक को छीन लेना अनुचित बात है ।

वित्त मन्त्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : तथ्यों को छिपाने के हेतु गलत बयान देने के लिए अनिवार्य रूप से दण्ड का अमरीकी सिद्धान्त अपनाया गया है क्योंकि न्यायालय कभी कभी बहुत साधारण सा जुर्माना करते थे। इस व्यवस्था से लोग गलत बयान देने से डरेंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने "विशेष" और "पर्याप्त" शब्दों के बारे में शंका प्रकट की है। मैं सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि ये शब्द आंग्ल परिनियम से लिये गये हैं। कुछ उचित मामलों में दण्डाधिकारी कम दण्ड देना चाहते हैं। इसीलिये ये शब्द इस खण्ड में रखे गये हैं। अतः मैं माननीय सदस्यों के संशोधनों का विरोध करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य संशोधन संख्या १८३ और १५२ के बारे में क्या चाहते हैं ?

श्री हिम्मतसिंहका : मैं उन्हें सभा की अनुमति से वापस लेना चाहता हूं ।

संशोधन १८३ और १५२ सभा की अनुमति से वापिस लिये गये ।

Amendments No. 183 and 152 were, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४१ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड ४१ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 41 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड ४२ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड ४२ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 42 was added to the Bill.

संशोधन किया

Amendment made.

पृष्ठ २४, पंक्ति १ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"43. In section 280 of the Income-tax Act, in sub-section (1), for the words and figures 'discloses any particulars, the disclosure of which is prohibited by section 137', the words, brackets and

figures 'furnishes any information or produces any document in contravention of the provisions of sub-section (2) of section 138,' shall be substituted." (54).

"४३. आयकर अधिनियम की धारा २८० की उपधारा (१) में 'किसी ऐसे ब्यौरे को बताना जिसके बताये जाने पर धारा १३७ द्वारा प्रतिबन्ध है' शब्दों और आंकड़ों के स्थान पर ये शब्द, कोष्ठ और आंकड़े रखे जायें 'धारा १३८ की उपधारा (२) के उपबन्धों के विपरीत कोई जानकारी देता है' या कोई दस्तावेज पेश करता है।"। (५४)

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड ४३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड ४३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 43, as amended, was added to the Bill.

खण्ड ४४—अध्याय २२(क) का समावेश

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

(१) पृष्ठ २४, पंक्ति ३१ में से " and " ["और"] शब्द हटा दिया जाये। (५५)

(२) पृष्ठ २४, पंक्ति ३७ के बाद निम्नलिखित रखा जाये :

'(iv) any compensation or other payment referred to in clause (ii) of section 28 ; and

(v) any income chargeable under the head "Capital gains";'.

['(४) धारा २८ के खंड (१) में निर्दिष्ट किसी प्रतिकर अथवा देय धन ; और

(५) "पूंजीगत लाभ" शीर्ष के अन्तर्गत कोई प्रभारी आय ; '।] (५६)

(३) पृष्ठ २५, पंक्ति १३ में से "and" ["और"] शब्द हटा दिया जाये। (५७)

(४) पृष्ठ २५, पंक्ति १५ के बाद निम्नलिखित रखा जाये :

'(iv) any compensation or other payment referred to in clause (ii) of section 28 ; and

(v) any income chargeable under the head "Capital gains";'.

['(४) धारा २८ के खंड (२) में निर्दिष्ट किसी प्रतिकर अथवा देय धन ; और

(५) "पूंजीगत लाभ" शीर्ष के अन्तर्गत कोई प्रभारी आय ;' ।] (५८)

(५) पृष्ठ २५, पंक्ति ४१ में "made" ["किया गया"] के स्थान पर "framed" ["बनाया गया"] रखा जाये। (५९)

[श्री ती० त० कृष्णमाचारी]

(६) पृष्ठ २६, पंक्ति १ में " made " ["किया गया"] के बाद "or recovered" ["अथवा वसूल किया गया"] रखा जाये । (६०)

(७) पष्ठ २६, पंक्ति १७ में " sub-clause (b) (iii)" ["उपखंड (ख) (३)"] के स्थान पर "or sub-clause (b) (iv) or sub-clause (b) (v)" [अथवा उपखंड (ख) (४) अथवा उपखंड (ख) (५)"] रखा जाये । (६१)

(८) पृष्ठ २६, पंक्ति ३७ के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाये :

"*Explanation.*—In this section and in sections 280F and 280H, the expression 'total income' means the total income computed without making any allowance under section 280O.".

["व्याख्या—इस धारा और २८०-एफ और २८०-एच, 'कुल आय' शब्दों से अभिप्राय २८०-ओ धारा के अन्तर्गत बिना किसी प्रकार के प्रतिकर के निर्धारित की गई कुल आय से है ।" ।] (६२)

(९) पृष्ठ २९, पंक्ति २१ में "२४० एम" ["२८० एम"] के बाद "(१)"["(१)"] रखा जाये । (६३)

(१०) पृष्ठ २९, पंक्तियां २९ से ३१ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये ।

"by such depositor.

(2) Where any depositor has deposited any amount for any assessment year which is—

(a) in excess of the amount, or

(b) less than the amount,

required to be deposited under the provisions of this Chapter for that year and in the case referred to in clause (b), an additional amount has been recovered to make up the deficiency, then such excess amount or additional amount, as the case may be, may be adjusted or otherwise dealt with in such manner as may be provided in a scheme framed under section 280W.".

["इस प्रकार जमा कराने वाले व्यक्ति द्वारा ।

(२) जब कि किसी जमा कराने वाले व्यक्ति ने किसी निर्धार्य वर्ष के लिए कोई राशि जमा की हो जो कि—

(क) राशि से अधिक हो, अथवा

(ख) राशि से कम हो,

इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत उस वर्ष के लिए जमा की जानी हो तथा यदि खंड (ख) में निर्दिष्ट हो, और इस कमी को पूरा करने के लिए कोई अतिरिक्त राशि वसूल की गई है, तो ऐसी स्थिति में निर्धारित राशि से अधिक अथवा अतिरिक्त

राशि, जैसी भी स्थिति हो, वह समायोजित अथवा अन्य प्रकार से बराबर कर ली जायेगी और यह इस प्रकार किया जायेगा जैसा कि धारा २८०-डब्ल्यू के अन्तर्गत बनाई गई किसी योजना में उपबन्धित हो ।"] (६४)

(११) पृष्ठ २९, पंक्तियों ३३ से ३६ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

"clause (b) of section 183 for any assessment year, such firm shall not be liable to make an annuity deposit for that assessment year and annuity deposit made by it for that assessment year, if any, shall be adjusted or otherwise dealt with in such manner as may be provided in a scheme framed under section 280W.".

["किसी निर्धार्य वर्ष के लिए धारा १८३ के खंड (ख), ऐसे फर्म के लिये उस निर्धार्य वर्ष के लिये वार्षिकी जमा करना तथा उस निर्धार्य वर्ष के लिये जमा की गई वार्षिकी राशि यदि ऐसी कोई राशि हो तो वह धारा २८० डब्लू के अन्तर्गत बनाई गई योजना के अन्तर्गत उपबन्धित तरीके के अनुसार समायोजित अथवा अन्य प्रकार से बराबर कर दी जायेगी ।" ।] (६५)

(१२) पृष्ठ ३१, पंक्ति ४० में "fifteen" ["पन्द्रह"] के स्थान पर "twenty-five" ["पच्चीस"] रखा जाये । (६६)

(१३) पृष्ठ ३२, पंक्तियों १९ से २२ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"(b) the manner in which, and intervals at which, annuities shall be paid; and the manner in which the excess or deficiency of annuity deposit may be adjusted or otherwise dealt with;".

["(ख) वार्षिकी राशियां जिस प्रकार से अथवा अवधि में दी जायेंगी ; तथा जिस ढंग से वार्षिकी जमा करने की राशि से अधिक राशि अथवा उससे कम राशि समायोजित की जा सकती है अथवा अन्य प्रकार से निबटाई जा सकती है; "।] (६७)

(१४) पृष्ठ ३३, पंक्ति १८ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"under that provision.

280X. (1) Not with standing anything contained in this Chapter, any depositor, may, on or before the 30th day of June of the assessment year in which he first becomes liable to make an annuity deposit, by notice in writing to the Income-tax Officer, declare (such declaration being final for that assessment year and all assessment years thereafter) that the provisions of this Chapter shall not apply to him and if he does so, the provisions of this Chapter [other than sub-section (2)] shall not apply to him for any assessment year in relation to which such option has effect :

Provided that in relation to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1964, this sub-section shall have effect as if for the words, figures and letters 'the 30th day of June', the words, figures and letters 'the 30th day of September' were substituted :

Provided further that where any such depositor satisfies the Income-tax Officer that he was prevented by sufficient cause from making such declaration

[श्री टी० ट० कृष्णमाचारी]

within the period allowed therefor, the Income-tax Officer may, with the previous approval of the Inspecting Assistant Commissioner, allow such depositor to make the declaration at any time after the expiry of the aforesaid period.

(2) If a person has exercised the option under sub-section (1), than the amount of income-tax (but not super-tax) payable by him in respect of any assessment year in relation to which such option has effect shall be increased by a sum equal to fifty per cent. of the amount by which the amount of annuity deposit which would have been otherwise required to be made in respect of that assessment year exceeds the difference between the tax payable by him on his total income and the tax that would have been payable had his total income been reduced by the amount of annuity deposit :

Provided that if such person is more than seventy years of age on the last day of the previous year relevant to the assessment year, he shall not be liable to pay the additional income-tax under this sub-section.".

["उस उपबन्ध के अन्तर्गत २८० भ (१) इस अध्याय में किसी भी बात के रहते हुए कोई भी जमा करने वाला, उस निर्धार्य वर्ष जिसमें कि वह पहली बार वार्षिकी जमा करने का उत्तरदायी बनता है, ३० जून को अथवा उससे पहिले आयकर अधिकारी को एक लिखित सूचना द्वारा यह घोषित करेगा (और वह घोषणा उस निर्धार्य वर्ष और उसके बाद के निर्धार्य वर्षों के लिये अन्तिम होगी) कि इस अध्याय के उपबन्ध उस पर लागू नहीं होंगे और यदि वह ऐसा करता है तो इस अन्याय के उपबन्ध [उपधारा (२) के अतिरिक्त] किसी भी निर्धार्य वर्ष के लिये जिनके सम्बन्ध में ऐसा विकल्प लागू होता हो, उस पर लागू नहीं होंगे :

परन्तु शर्त यह है कि १ अप्रैल, १९६४ को प्रारम्भ होने वाले निर्धार्य वर्ष के सम्बन्ध मे यह धारा लागू नहीं होगी मानो कि "जून का तीसवां दिन" शब्द, अंक और अक्षरों के स्थान पर "सितम्बर का तीसवां दिन" शब्द, अंक और अक्षर नहीं रखे गये थे ; यह भी शर्त है कि यदि ऐसा कोई जमा करने वाला आयकर अधिकारी को यह सन्तोष करा दे कि वह किसी खास वजह से आवश्यक समय के अन्दर ऐसी घोषणा नहीं कर सका तो आयकर अधिकारी निरीक्षक, सहायक आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से ऐसे जमा करने वाले पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के बाद किसी भी समय ऐसी घोषणा करने की अनुमति देगा ।

(२) यदि किसी व्यक्ति ने उपधारा (१) के अन्तर्गत विकल्प का प्रयोग किया हो तो उसके द्वारा किसी भी निर्धार्य वर्ष, जिसके सम्बन्ध में ऐसा विकल्प लागू होता हो, के सम्बन्ध में देय आयकर की राशि उस निर्धार्य वर्ष के सम्बन्ध में अन्यथा आवश्यक वार्षिकी जमा की राशि और उसके द्वारा अपनी कुल आय पर देय कर और उसकी आय में से वार्षिकी जमा की राशि कम कर देने पर उसके द्वारा देय आयकर के अन्तर से जितनी अधिक हो उसके ५० प्रतिशत के बराबर बढ़ा दी जायेगी ;

परन्तु शर्त यह है कि सम्बन्धित निर्धार्य वर्ष से पहिले के वर्ष के अन्तिम दिन ७० वर्ष से अधिक आयु का हो, तो उसे इस उपधारा के अन्तर्गत अतिरिक्त आयकर का भुगतान नहीं करना होगा ।"] (६८)

श्री मुरारका: मंत्री महोदय को यह स्पष्ट करना चाहिये कि वार्षिकी जमा योजना के अन्तर्गत जमा की गई सारी रकम सम्पत्ति-कर निर्धारण के लिये कुल सम्पत्ति में शामिल की जायेगी या नहीं। यदि यह राशि सम्पत्ति-कर निर्धारण करने के लिये शामिल की गई तो यह बहुत अनुचित बात होगी। इससे एक तो सरकार को हिसाब रखने में कठिनाई होगी क्योंकि वार्षिकी जमा की राशि निश्चित नहीं है। इस से इस राशि पर वापिस करते समय आयकर लगेगा।

वार्षिकी जमा योजना के अन्तर्गत जमा की गई राशि को प्रति वर्ष थोड़ी थोड़ी किस्तों में लौटाने के बजाय ७ या १० वर्ष में इकट्ठी राशि लौटाई जानी चाहिये। किश्तों में लौटाने से जमा करने वालों को परेशानी होगी और इस राशि का उचित उपयोग नहीं हो सकेगा।

सरकार यदि वार्षिकी जमा योजना के अन्तर्गत की गई राशि को आयकर से मुक्त नहीं भी करना चाहती है तो कम से कम इस राशि पर जो ब्याज दिया जाता है उस पर आयकर नहीं लिया जाना चाहिये क्योंकि अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा राशि पर ब्याज नहीं लिया जाता था। लोगों को प्रोत्साहन देने के लिये वार्षिकी जमा राशि पर दर बढ़ा कर ६ या ७ प्रतिशत करनी चाहिये क्योंकि धन बाजार में ९ या १० प्रतिशत ब्याज पर आसानी से मिल सकता है। सरकार भी बहुत से ऋणों पर ७ या ८ प्रतिशत ब्याज लेती है। अत: सरकार को कम राशि जमा करने वालों को अधिक दर से ब्याज देना चाहिये।

सरकार सारी रियायतें देने के बाद २०,००० रुपये की आय पर अधिकतम आयकर लेती है। अत: यह बहुत अच्छा होता यदि वार्षिकी जमा के लिये छूट की सीमा १५ हजार रुपये से बढ़ा कर २० हजार रुपये की जाती।

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : यद्यपि वार्षिकी जमा योजना में कुछ संशोधनों से इस से होने वाली परेशानियां कुछ कम हो गई हैं किन्तु फिर भी यह योजना अनिवार्य जमा योजना से अधिक आपत्तिजनक है। अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा की गई राशि और इस से प्राप्त होने वाले ब्याज पर किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था किन्तु वार्षिकी जमा योजना के अन्तर्गत दोनों पर ब्याज लिया जायेगा। यह योजना आस्थिगत कर के समान है। इस से देश के आर्थिक विकास में बाधा पड़ेगी क्योंकि यह योजना संसाधनों को अधिक उत्पादक कार्यों से अनोत्पादक प्रयोजनों की ओर ले जाने में बढ़ावा देती है। अत: मैं इस का विरोध करता हूं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : यद्यपि वार्षिकी जमा योजना में किये गये संशोधनों का स्वागत है, किन्तु फिर भी वार्षिकी जमा योजना असंवैधानिक लगती है। यह आयकर अधिनियम का भाग नहीं बन सकती है। सभा को इस प्रकार का संविधान पारित नहीं करना चाहिये था। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री महोदय इस के संवैधानिक पहलू पर प्रकाश डालेंगे।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यहां पर यह प्रथा चली आ रही है कि सभा में किसी विधेयक के संवैधानिक पहलू पर निर्णय नहीं किया जाता है। अत: इस की विध्यनुकूलता के बारे में कुछ कहना उचित नहीं है।

वार्षिकी जमा योजना दो मूल उद्देश्यों को ध्यान में रख कर बनाई गई है। पहला उद्देश्य यह है कि लेखक, कलाकार, अनुदान पाने वाले बहुत से लोगों की आय निर्धारित नहीं होती है। उन्हें एक वर्ष में तो काफी आय होती है और दूसरे वर्ष में बिल्कुल आय नहीं होती है। यदि वे

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

भविष्य के लिए कुछ नहीं बचाते हैं तो वे मुसीबत में पड़ सकते हैं। इस योजना से इन लोगों को भविष्य के लिये बचत करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा जिस से उनका भविष्य सुरक्षित हो जायेगा।

दूसरा मूल उद्देश्य देश में तेजी से बढ़ती हुई मुद्रा स्फीति को रोकना है। यदि प्राप्त सारी आय खर्च की जाये तो देश में मुद्रा परिचलन बढ़ेगा और मुद्रा स्फीति हो जायगी जो देश के लिये बहुत हानिकारक है।

वार्षिकी जमा योजना के अन्तर्गत राशि जमा न करने वाले लोगों से भारी करों के रूप में रुपया वसूल किया जायेगा। अधिक आय वाले लोगों को वार्षिकी जमा योजना से अलग रहने की अनुमति दी गई है बशर्ते ये लोग जुर्माने के रूप में निर्धारित राशि जमा करा दें।

मैं समझता हूं कि यह योजना आयकर अधिनियम और संविधान की दृष्टि से सर्वथा मान्य है।

वार्षिकी जमा योजना के अन्तर्गत जमा की गई राशि को धन कर में शामिल करने के बारे में मैंने रिजर्व बैंक से बातचीत की है। रिजर्व बैंक प्रतिवर्ष हमें योजना के अन्तर्गत जमा की गई राशि का विवरण देगा जिस से किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। जमा की गई राशि हस्तांतरित, निर्धारित और विरासत में प्राप्त की जा सकती है, इसलिये इसे धन कर अधिनियम से अलग नहीं रखा जा सकता।

वार्षिकी जमा योजना के अन्तर्गत जमा राशि पर ब्याज की दर बढ़ाना इस समय संभव नहीं है। यदि इस पर ब्याज दर बढ़ाने के बारे में विचार किया भी जायेगा तो सभी आय वालों के लिये समान दर होगी।

वार्षिकी जमा योजना की सीमा बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। काफी विचार विमर्श के बाद वार्षिकी जमा योजना १५,००० रुपये पर लागू की गई है क्योंकि सभी सीमान्त परिधियां १५,००० से २०,००० रुपये के अन्तर्गत आ जाती हैं।

हम अधिक आय वालों पर करों का भार कम करने के साथ साथ करों पर राहत के रूप में दिये जाने वाली राशि को बन्द करना चाहते हैं। इस से वास्तव में करों का भार कम होगा। अतः हम इस समय किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते हैं। आगामी वर्ष में यदि संशोधन आवश्यक हुआ तो हम इस पर विचार करेंगे।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : धारा २८० घ के सम्बन्ध में मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। वापिस की गई राशि को करदाता की कुल आय से पृथक क्यों नहीं किया गया है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : क्योंकि यह कर दाता की आय है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सरकारी संशोधन संख्या ५५ से ६८ सभा के सामने रखता हूं।

प्रश्न यह है कि :

(१) पृष्ठ २४, पंक्ति ३१ में से "n ["और"] शब्द हटा दिया जाये।
(५५)

(२) पृष्ठ २४, पंक्ति ३७ के बाद निम्नलिखित रखा जाये :

(iv) any compensation or other payment referred to in clause (ii) of section 28 ; and

(v) any income chargeable under the head "Capital gains";'.

['(४) धारा २८ के खंड (२) में निर्दिष्ट किसी प्रतिकर अथवा देय धन ; और

(५) "पूंजीगत लाभ" शीर्ष के अन्तर्गत कोई प्रभारी आय;'।] (५६)

(३) पृष्ठ २५, पंक्ति १३ में से "and" ["और"] शब्द हटा दिया जाये। (५७)

(४) पृष्ठ २५, पंक्ति १५ के बाद निम्नलिखित रखा जाये :

(iv) any compensation or other payment referred to in clause (ii) of section 28 ; and

(v) any income chargeable under the head "Capital gains"'.

(५) ['(४) धारा २८ के खंड (२) में निर्दिष्ट किसी प्रतिकर अथवा देय धन; और

(५) "पूंजीगत लाभ" शीर्ष के अन्तर्गत कोई प्रभारी आय ;'।] (५८)

(६) पृष्ठ २५, पंक्ति ४१ में "made " ["किया गया"] के स्थान पर "framed" ["बनाया गया"] रखा जाये। (५९)

(६) पृष्ठ २६, पंक्ति १ में "made " ["किया गया"] के बाद "or" recoverd " ["अथवा वसूल किया गया"] रखा जाये। (६०)

(७) पृष्ठ २६, पंक्ति १७ में "sub-clause (b) (iii) "["उपखंड (ख) (३)"] के स्थान पर "or sub-clsuse (b) (iv) or sub-clause (h) (v " ["अथवा उपखंड (ख) (४) अथवा उपखंड (ख) (५)"] रखा जाये। (६१)

(८) पृष्ठ २६, पंक्ति ३७ के पश्चात निम्नलिखित रखा जाये :—

"Explanation.—In this section and in sections 280F and 280H, the expression "total income' means the total income computed without making any allowance under section 280 O.".

["**व्याख्या**—इस धारा और २८० और २८० एच, एफ 'कुल आय' शब्दों से अभिप्राय २८०-ओ धारा के अन्तर्गत बिना किसी प्रकार के प्रतिकर के निर्धारित की गई कुल आय से है।" ।] (६२)

(९) पृष्ठ २९, पंक्ति २१ में ० m" ["२८० एम"] के बाद "(1)" ["(१)"] रखा जाये। (६३)

[श्री ती० त० कृष्णमाचारी]

(१०) पृष्ठ २९, पंक्तिया २९ से ३१ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"by such depositor.

(2) Where any depositor has deposited any amount for any assessment year which is—

(a) in excess of the amount, or

(b) less than the amount,

required to be deposited under the provisions of this Chapter for that year and in the case referred to in clause (b), an additional amount has been recovered to make up the deficiency, then such excess amount or additional amount, as the case may be, may be adjusted or otherwise dealt with in such manne as may be provided in a scheme framed under section 28oW.".

"[इस प्रकार के जमा करने वाले व्यक्ति द्वारा—

(२) जबकि किसी जमा कराने वाले व्यक्ति ने किसी निर्धार्य वर्ष के लिए कोई राशि जमा की हो जोकि—

(क) राशि से अधिक हो, अथवा

(ख) राशि से कम हो,

इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत उस वर्ष के लिये जमा की जानी हो तथा यदि खंड (ख) में निर्दिष्ट हो, और इस कमी को पूरा करने के लिए कोई अतिरिक्त राशि वसूल की गई है, तो ऐसी स्थिति में निर्धारित राशि से अधिक अथवा अतिरिक्त राशि, जैसी भी स्थिति हो, वह समायोजित अथवा अन्य प्रकार से बराबर कर ली जायेगी और यह इस प्रकार किया जायेगा जैसाकि धारा २८०-डब्लू के अन्तगत बनाई गई किसी योजना में उपबन्धित हो" ।] (६४)

(११) पृष्ठ २९, पंक्तियों ३३ से ३६ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

"clause (b) of section 183 for any assessment year, such firm shall not be liable to make an annuity deposit for that assessment year and annuity deposit made by it for that assessment year, if any, shall be adjusted or otherwise dealt with in such manner as may be provided in a scheme framed under section 280 W.".

["किसी निर्धार्य वर्ष के लिए धारा १८३ के खण्ड (ख), ऐसे फर्म के लिये उस निर्धार्य वर्ष के लिये वार्षिकी जमा करना तथा उस निर्धार्य वर्ष के लिए जमा की गई वार्षिकी राशि यदि ऐसी कोई राशि हो तो वह धारा २८० डब्ल्यू के अन्तर्गत बनाई गई योजना के अन्तर्गत उपबन्धित तरीके के अनुसार समायोजित अथवा अन्य प्रकार से बराबर कर दी जायेगी ।" ।] (६५)

(१२) पृष्ठ ३१, पंक्ति ४० में "fifteen" ["पन्द्रह"] के स्थान "twenty-five" ["पचीस"] रखा जाये । (६६)

(१३) पृष्ठ ३२, पंक्तियों १६ से २२ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"(b) the manner in which, and intervals at which, annuities shall be paid; and the manner in which the excess or deficiency of annuity deposit may be adjusted or otherwise dealt with;".

["(ख) वार्षिकी राशियां जिस प्रकार से अथवा अवधि में दी जायेंगी ; तथा जिस ढंग से वार्षिकी जमा करने की राशि से अधिक राशि अथवा उससे कम राशि समायोजित की जा सकती है अथवा अन्य प्रकार से निबटाई जा सकती है ; "।] (६७)

(१४) पक्ति ३३, पंक्ति १८ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"under that provision.

280X. (1) Notwithstanding anything contained in this Chapter, any depositor may, on or before the 30th day of June of the assessment year in which he first becomes liable to make an annuity deposit, by notice in writing to the Income-tax Officer, declare (such declaration being final for that assessment year and all assessment years thereafter) that the provisions of this Chapter shall not apply to him and if he does so, the provisions of this Chapter [other than sub-section (2)] shall not apply to him for any assessment year in relation to which such option has effect :

Provided that in relation to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1964, this sub-section shall have effect as if for the words, figures and letters 'the 30th day of June', the words, figures and letters 'the 30th day of September' were substituted :

Provided further that where any such depositor satisfies the Income-tax Officer that he was prevented by sufficient cause from making such declaration within the period allowed therefor, the Income-tax Officer may, with the previous approval of the Inspecting Assistant Commissioner, allow such depositor to make the declaration at any time after the expiry of the aforesaid period.

(2) If a person has exercised the option under sub-section (1), then the amount of income-tax (but not super-tax) payable by him in respect of any assessment year in relation to which such option has effict shall be increased by a sum equal to fifty per cent of the amount by which the amount of annuity deposit which would have been otherwise required to be made in respect of that assessment year exceeds the difference between the tax payable by him on his total income and the tax that would have been payable had his total income been reduced by the amount of annuity deposit :

Provided that if such person is more than seventy years of age on the last day of the previous year relevant to the assessment year, he shall not be liable to pay the additional income-tax under this sub-section.".

[" उस उपबन्ध के अन्तर्गत] ।

२८०भ(१) इस अध्याय में किसी भी बात के रहते हुए कोई भी जमा करने वाला, उस निर्धार्य वर्ष जिसमें कि वह पहले बार वार्षिकी जमा करने का उत्तरदायी बनता है, ३० जून को अथवा उससे पहिले आयकर अधिकारी को एक लिखित सूचना द्वारा यह घोषित करेगा (और वह घोषणा उस निर्धार्य और उसके बाद के निर्धार्य वर्षों के लिए अन्तिम होगी) कि इस अध्याय के उपबन्ध उस पर लागू नहीं होंगे ; यदि वह ऐसा करता है तो इस अध्याय के उपबन्ध (उपधारा के अतिरिक्त) किसी भी निर्धार्य वर्ष के लिये जिनके संबंध में ऐसा विकल लागू होता हो, उस पर लागू नहीं होंगे ; परन्तु शर्त यह है कि १ अप्रैल, १९६४ को प्रारम्भ होने वाले निर्धार्य वर्ष के संबंध में यह धारा

[श्री ती० त० कृष्णमाचारी]

लागू नहीं होगी मानो कि "जून का तीसवां दिन" शब्द, अंक और अक्षरों के स्थान पर "सितम्बर का तीसवां दिन" शब्द, अंक और अक्षर नहीं रखे गये थे । यह भी शर्त है कि यदि ऐसा कोई जमा करने वाला आयकर अधिकारी को यह संतोष करा दे कि वह किसी खास वजह से आवश्यक समय के अन्दर ऐसी घोषणा नहीं कर सका तो आयकर अधिकारी नीरीक्षक सहायक आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से ऐसे जमा करने वाले को पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के बाद किसी भी समय ऐसी घोषणा करने की अनुमति देगा ।

(२) यदि किसी व्यक्ति ने उपधारा (१) के अन्तर्गत विकल्प का प्रयोग किया हो तो उसके द्वारा किसी भी निर्धार्य वर्ष, जिसके संबंध में ऐसा विकल्प लागू होता हो, के संबंध में देय आयकर की राशि उतनी बढ़ा दी जायेगी जितनी कि उस निर्धार्य वर्ष के संबंध में अन्यथा आवश्यक वार्षिकी जमा की राशि और उसके द्वारा अपनी कुल आय पर देय कर और उसकी आय में से वार्षिकी जमा की राशि कर कर देने पर उसके द्वारा देय आयकर के अन्तर से जितनी अधिक हो उसके ५० प्रतिशत के बराबर बढ़ा दी जायेगी ; परन्तु शर्त यह है कि संबंधित निर्धार्य वर्ष से पहिले के वर्ष के अन्तिम दिन ७० वर्ष से अधिक आयु का हो तो उसे इस उपधारा के अन्तर्गत अतिरिक्त आयकर का भुगतान नहीं करना होगा ।"] (६८)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड ४४, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 44, as amended, was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड ४५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 45 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४६ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड ४६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 46 was added to the Bill.

खण्ड ४७

(धारा २९५ का संशोधन)

श्री मी० रु० मसानी : मैं इस खण्ड का विरोध करता हूं । इस खंड द्वारा आय-कर पदाधिकारियों को यह शक्ति दी जा रही है कि वह चाहें तो किसी व्यापारी के व्यय के लिये अनुमति दें और चाहें तो न दें । यह शक्ति देना अनैतिक एवं अन्यायपूर्ण है । वर्ष १९६१ में प्रवर समिति में भी इस प्रकार की शक्ति दिये जाने पर स्वयं सत्ताधारी दल के सदस्यों द्वारा आपत्ति की गई थी । इस शक्ति के मिल जाने से एक आय-कर पदाधिकारी व्यापारी को बता सकेगा कि उसे किस प्रकार व्यापार करना चाहिए । वह बता सकेगा कि अमुक अमुक मदों पर व्यय किया जाय । इस प्रकार के हस्तक्षेप से व्यापार ठप्प हो जायेंगे । और देश की अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । अतः इसे पारित नहीं किया जाना चाहिए । यह सरकार इसी लिये असफल रहती है चूंकि यह व्यावहारिक दृष्टिकोण नहीं रखती है । इसे मालूम नहीं कि उत्पादन किस तरह होता है और व्यापारी का हित किस बात में होता है । मैं इस खण्ड का विरोध करता हूं ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इस खण्ड के अनुसार, एक व्यापारी आय-कर से नहीं बच सकेगा । किसी व्यय के आधार पर उसे कर में छूट नहीं दी जायगी । उस की व्यय करने की क्षमता को सीमित नहीं किया जा रहा है । मैं श्री मसानी के तर्क से सहमत नहीं हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड ४७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 47 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४८ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड ४८ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 48 was added to the Bill.

खण्ड ४९—(वर्ष १९५३ के अधिनियम संख्या ३४ का संशोधन')

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

(१) कि पृष्ठ ३४, पंक्ति २६ के पश्चात् "(d) in section 50, the words 'One-half of' shall be omitted'; ["(घ)" धारा ५० में शब्द 'का आधा' हटा दिये जायेंगे,"] शब्द रख दिये जायें । (६९)

(2) As a result of the insertion of a new sub-clause, consequential amendments in regord to numbering of sub-clauses may be made.

[नये उप-खण्ड के रखे जाने के परिणामस्वरूप, उप-खण्डों की संख्याओं के बारे में आनुषंगिक परिवर्तन कर दिये जायें] (७०)

(३) पृष्ठ ३४, पंक्ति ३१ से ३६ तक के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें :—

"80. Where a person makes on application to the Controller in the prescribed form for any information in respect of any assessment made under this Act, the Controller tuay, if he is satisfied that it is in the public interest so to do, furnish or cause to be furnished the information asked for in respect of that assessment only and his decision in this behalf shall be final and shall not be called into question in any court of law.

"८०. जहां एक व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत किये गये कर-निर्धारण के बारे में निश्चित फार्म द्वारा कोई जानकारी प्राप्त करने के लिये नियंत्रक के पास अभ्यावेदन करता है, तो नियंत्रक, यदि उसे विश्वास हो जाय कि वैसा करना जनहित में होगा, मांगी गयी सूचना दे सकेगा अथवा केवल उसी निर्धारित कर के बारे में सूचना देने के लिये निदेश दे सकेगा, और इस बारे में उस का निर्णय अन्तिम होगा, जिसे किसी भी विधि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी ।"] (७१)

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं अपना संशोधन संख्या १९ प्रस्तुत करता हूं ।

श्री काशी राम गुप्त : मैं अपने संशोधन संख्या १८५, १८६, ११४, ११२ और ११३ प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मी० रु० मासानी : इतनी अधिक दर से सम्पत्ति शुल्क लगाये जाने के कारण और इस कारण कि सम्पत्ति के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाने से पूंजी लाभ कर देना पड़ेगा, लोगों के लिये सम्पत्ति रखना ही असम्भव हो जायगा । सम्पदा शुल्क और पूंजी लाभ कर देने के लिये लोगों के पास धन ही नहीं होगा । मेरे संशोधन संख्या ११२ का उद्देश्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति मजबूरी में सम्पत्ति बेचता है तो उस से सम्पत्ति के बढ़े हुए मूल्य पर सम्पदा शुल्क न लिया जाय और पूंजी लाभ कर न लिया जाय अन्यथा उस के पास कुछ शेष नहीं रहेगा । एक उद्देश्य यह भी है कि यदि करदाता के पास देने के लिये धन न हो तो वह अचल सम्पत्ति सरकार को दे सके जैसा कि ब्रिटेन में भी होता है । मेरे संशोधन संख्या ११३ का उद्देश्य वर्तमान सम्पदा शुल्क को ही बनाये रखना है । यदि सरकार ने सम्पदा शुल्क की दर बढ़ाई, जैसा कि घोषित किया गया है, तो वह देश को तबाही की ओर ले जायगी । इस शुल्क को बढ़ाना अनुचित एवं अन्यायपूर्ण है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : बढ़ाये जा रहे सम्पदा शुल्क और पूंजी लाभ कर को मिलाया जाय तो सम्पत्ति के १०० प्रतिशत मूल्य से भी अधिक दर हो जायगी । इतनी अधिक मात्रा में कर लगाना अन्यायपूर्ण है । श्री मसानी ने ठीक ही कहा है कि कई लोगों को शुल्क और कर अदा करने के लिये मजबूरी में सस्ते दामों पर सम्पत्तियां बेचनी पड़ेंगी । उन लोगों को उचित मूल्य नहीं मिलेगा और सम्पत्तियां नष्ट हो जायेंगी । ब्रिटेन में सम्पदा शुल्क की उच्चतम दर ८० प्रतिशत है और शुल्क लगभग १.३ करोड़ रुपये की सम्पत्ति पर लगाया जाता है जब कि हमारे देश में २० लाख की सम्पत्ति पर ही लगाया जा रहा है । इस दर को कम करना चाहिए । इस के अतिरिक्त सम्पदा शुल्क अदा करने पर जो राशि व्यय होती है उस की गणना सम्पदा निर्धारण के समय नहीं की जानी चाहिए ।

श्री काशीराम गुप्त : मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वह ५ लाख से कम की सम्पत्ति को अपने संशोधन की सीमा में न लायें । और दूसरे छूट की सीमा को ५०००० से बढ़ाकर एक लाख रुपया कर दिया जाय और साथ ही साथ दर में भी परिवर्तन किया जाय ।

श्री मुरारका : सम्पदा शुल्क संबंधी विधान में सुधार करने की दृष्टि से मैं तीन सुझाव देना चाहता हूं । एक यह कि जब एक सम्पत्ति पहली सन्तान के पास जाती है तो उस पर शुल्क की दर कम हो, जब वही सम्पत्ति तीसरी उत्तराधिकारी के पास जाती है तो शुल्क की दर पहले की निसबत अधिक हो । इसी तरह सम्पदा शुल्क दर उत्तरोत्तर बढ़नी चाहिए । मेरा दूसरा सुझाव यह है कि एक उत्तराधिकारी या अनेक उत्तराधिकारी होने पर एक ही दर से सम्पदा शुल्क का लगाया जाना अन्यायपूर्ण है । श्री मसानी और डा० सिंघवी से सहमत होते हुए मैं तीसरा सुझाव यह देना चाहता हूं कि जिस सम्पत्ति को सम्पत्ति शुल्क देने के लिये बेचा जाता है उस पर पूंजी लाभ कर नहीं लिया जाना चाहिए । श्री मसानी और डा० सिंघवी का यह कथन भी सही है कि सम्पदा शुल्क और पूंजी लाभ कर दोनों को मिला कर काफी से अधिक भार सम्पत्ति करदाता पर पड़ेगा । मेरा सुझाव है कि सम्पत्ति शुल्क देने के लिये जो एक विशेष सम्पत्ति की कीमत प्राप्त की जाय उसे लागत समझा जाय और यदि उस लागत से अधिक धन सम्पत्ति स्वामी को प्राप्त हो तभी पूंजी लाभ कर लगाया जाय अन्यथा नहीं ।

श्री हिम्मतसिंहका : मेरा यह सुझाव है कि सम्पदा शुल्क निर्धारण के लिये निम्नतम सीमा में परिवर्तन करके उसे बढ़ा दिया जाय । जितनी सम्पत्ति पर अब सम्पदा शुल्क लगाया जा रहा है उस से मध्यम वर्ग के लोगों को इसे अदा करने के लिये अपनी सम्पत्तियां बेचनी पड़ेंगी । कर की जो निम्नतम सीमा है उस में परिवर्तन करना चाहिए । यदि अब परिवर्तन करना वांछनीय न समझा जाय तो बाद में यह परिवर्तन अवश्य किया जाय ।

श्री व० बा० गांधी : नये आयव्ययक प्रस्तावों द्वारा २० लाख से ऊपर मूल्य की सम्पत्ति पर ८५ प्रतिशत की दर से सम्पदा-शुल्क लगाया जा रहा है । मैं सदैव ऐसे प्रस्तावों का समर्थन करता रहा हूं परन्तु वर्तमान सम्पदा-शुल्क की दर अनुचित तौर से निर्धारित की जा रही है । यह दर अत्यधिक है । हम अपने सम्पदा शुल्क के ढांचे को अमरीका और ब्रिटेन जैसे समृद्ध देशों के ढांचों से नहीं मिला सकते चूंकि उन की प्रणाली भिन्न भिन्न है । ब्रिटेन में पूंजी लाभ कर नहीं लगाया जाता और अमरीका में सम्पदा शुल्क लगाने की पद्धति भिन्न है । शुल्क या कर लगाते समय यह देखना आवश्यक होता है कि मानव प्रकृति क्या है । ८५ प्रतिशत की दर से सम्पदा शुल्क और साथ ही पूंजी लाभ कर लगाने का परिणाम यह होगा कि सम्पदा स्वामियों को सम्पत्तियां

[श्री व० वा० गांधी]

बेचनी पड़ेंगी अन्यथा वह कर अदा नहीं कर सकेंगे । इतनी बड़ी मात्रा में जब सम्पत्ति शुल्क देना होगा तो यह स्वाभाविक है कि लोग सम्पत्तियों को बेच कर सोना रखेंगे और फिर सोने का चौर्यानियन बढ़ेगा । इसलिये सम्पदा शुल्क की इतनी दर से अनेकों कुरीतियां पैदा होंगी । मेरा अनुरोध है कि इस मनोवैज्ञानिक पहलू पर अवश्य ध्यान दिया जाय ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्यों ने कहा कि सम्पदा शुल्क लगाने से लोगों को मजबूरी में अपनी सम्पत्तियों को बेचना पड़ेगा, इसलिये क्या सरकार स्वयं सम्पत्ति ही को स्वीकार नहीं करेगी । इस प्रयोजनार्थ हमें एक अलग सम्पदा विभाग खोलना पड़ेगा । यह एक पेचीदी समस्या है । सरकार इस बारे में विचार कर रही है जो निर्णय किया गया वह सभा को बता दिया जायगा । कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि सम्पदा शुल्क, पंजी लाभ कर आदि लगने से कुल अदा करने वाली राशि की दर १०० प्रतिशत से भी अधिक हो जायगी । इस बारे में विचार करने के लिये मैं तैयार हूं । यह प्रश्न तुरन्त पैदा नहीं होगा । इसे अभी दो वर्ष का समय लग जायगा । इस बीच में मैं अन्तिम सीमा के बारे में विचार करने के लिये तैयार हूं जहां सरकार ने कहा है कि सभी प्रकार के दिये जाने वाले करों को मिला कर कुल दर ८५ प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए । चाय बागान के लिये प्रावेट शुल्क का पूरा लाभ मैं ने दे दिया है और छोटे मोटे लोगों को यह शुल्क देना ही नहीं पड़ेगा ।

अब हम देखेंगे कि इस विधान के क्या परिणाम होते हैं । यदि सरकार ने सम्पत्ति प्राप्त करना वांछनीय समझा तो वैसा किया जायेगा और यदि सभी प्रकार के करों को मिला कर दर ८५ प्रतिशत से अधिक हुई तो भी आवश्यक परिवर्तन किये जा सकते हैं । परन्तु इस समय मैं किसी संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ ३४, पंक्ति २६, के पश्चात "(d) in section 50, the words 'one-half of' shall be omitted;" ["(घ) धारा ५० में, शब्द 'का आधा' हटा दिये जायेंगे;"] शब्द रख दिये जायें । (६९)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

As a result of the insertion of new sub-clause, consequential amendments in regard to numbering of sub-clauses may be made.

[नये उप-खण्ड के रखे जाने के परिणामस्वरूप, उप-खण्डों की संख्याओं के बारे में आनुषंगिक परिवर्तन कर दिये जायें ।] (७०)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ ३४, पंक्ति ३१ से ३६ तक के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें :

"80. Where a person makes an application to the controller in the prescribed form for any information in respect of any assessment made under the Act, the Controller may if he is satisfied that it is the public interest so to do, furnish or cause to be furnished the information asked for in respect of that assessment only and his decision in this behalf shall be final and shall not be called into question in any court of law.".

["८०. जहां एक व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत किये गये कर-निर्धारण के बारे में निश्चित फार्म द्वारा कोई जानकारी प्राप्त करने के लिये नियंत्रक के पास अभ्यावेदन करता है, तो नियंत्रक, यदि उसे विश्वास हो जाय कि वैसा करना जनहित में होगा, मांगी गयी सूचना दे सकेगा अथवा केवल उसी निर्धारित कर के बारे में सूचना देने के लिये निर्देश दे सकेगा, और इस बारे में उसका निर्णय अन्तिम होगा, जिसे किसी भी विधि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी."] (७१)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १९ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 19 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ११२, ११३ और ११४ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendment Nos. 112, 113 and 114 were put and negatived.

संशोधन संख्या १८५ और १८६, सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

Amendments Nos. 185 and 186 were, by leave, with drawn.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४९, संशोधित रूप मे, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड ४९, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 49 as amended was added to the Bill.

खण्ड ५० (वर्ष १९५७के अधिनियम संख्या २७ का संशोधन)

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३६, पंक्ति २१ से २७ के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें :—

"42B. Where a person makes an application to the Commissioner in the prescribed form for any information relating to any assessee in respect of any assessment made under this Act, the Commissioner may, if he is satisfied that it is in the public interest so to do, furnish or cause to be furnished the information asked for in respect of that assessment only and his decision in this behalf shall be final and shall not be called into question in any court of law.".

[श्री ती० त० कृष्णमाचारी]

["४२ ख. जहां एक व्यक्ति, इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी निर्धारित कर के बारे में किसी कर-दाता सम्बन्धी कोई सूचना प्राप्त करने के लिये निश्चित फार्म द्वारा आयुक्त के पास अभ्यावेदन करता है, तो आयुक्त, यदि उसे विश्वास हो जाय कि वैसा करना जनहित में होगा, केवल उसी निर्धारित कर के बारे में सूचना दे सकेगा या सूचना उपलब्ध करने के लिये निदेश दे सकेगा और इस बारे में उसका निर्णय अन्तिम होगा जिसे किसी भी विधि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।"] (७२)

श्री मी० ह० मसानी : मैं अपना संशोधन संख्या ११६ प्रस्तुत करता हूं।

श्री काशीराम गुप्त : मैं अपना संशोधन संख्या १६० प्रस्तुत करता हूं।

श्री हिम्मतसिंहका : मैं अपने संशोधन संख्या १६१ और १६२ प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह संशोधन तथा खंड ५० अब सभा के समक्ष हैं।

श्री मी० ह० मसानी : मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि एक लाख रुपये वार्षिक आय वाले लोगों पर धन-कर न लगाया जाय। आज हम देखते हैं कि रुपये की क्रय-शक्ति कितनी कम हो गयी है। एक लाख रुपये की क्रय-शक्ति वर्ष १९३९–४० की तुलना में घट कर २०,६०० रुपये रह गयी है। इसलिये इस वर्ग के लोगों पर धन-कर लगाना उन को लूटना है। इस से मध्यम वर्ग के लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।

श्री काशीराम गुप्त : मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि जिन लोगों के पास २ लाख रुपये से कम धन है उन को धन-कर की सीमा में न लाया जाय। २ लाख से कम धन वाले कर-अपवंचन नहीं करते, इसलिये इस खण्ड का उद्देश्य इस कर के लगाने से पूरा नहीं होगा। जो छिपी हुई आय है वह सामने नहीं आ सकेगी।

श्री हिम्मतसिंहका : मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि कर-निर्धारण की एक विशेष तिथि के पश्चात प्रतियां उपलब्ध करने सम्बन्धी उपबन्ध होना चाहिए जैसा कि अन्य अधिनियमों में भी दिया गया है। मैं यह भी चाहता हूं कि दो लाख से कम रकम पर धन-कर न लगाया जाय।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : एक मकान जिस का मूल्य एक लाख रुपये से अधिक नहीं उस को छूट दी गयी है। इसे जोड़ कर दो लाख रुपये ही रकम बनती है। इस के अतिरिक्त धन-कर सम्बन्धी सीमा को कम नहीं किया गया है। वास्तव में श्री मसानी जिन लोगों के हित की बात करते हैं उन्हें कर बहुत कम देना पड़ेगा। धन-कर में मैं ने वास्तव में रियायत दी है। एक लाख से कम मूल्य वाले मकान की रकम पर कर नहीं लगेगा। इस से निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३६, पंक्ति २१ से २७ तक के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें :—

"42B. Where a person makes an application to the Commissioner in the prescribed form for any information relating to any assessee in respect of any assessment made under this Act, the Commissioner may,if he is satisfied that it is in the public interest so to do, furnish or cause to be furnished the information asked for in respect of that assessment only and his decision in this behalf shall be final and shall not be called into question in any court of law.".

["४२ ख. जहां एक व्यक्ति, इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी निर्धारित कर के बारे में किसी कर-दाता सम्बन्धी कोई सूचना प्राप्त करने के लिये निश्चित फार्म द्वारा आयुक्त के पास अभ्यावेदन करता है, तो आयुक्त, यदि उसे विश्वास हो जाय कि वैसा करना जनहित में होगा, केवल उसी निर्धारित कर के बारे में सूचना दे सकेगा या सूचना उपलब्ध करने के लिये निदेश दे सकेगा और इस बारे मे उसका निर्णय अन्तिम होगा जिसे किसी भी विधि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी"] (७२)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ११६ प्रस्तुत किया गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amendment no 116 was put and negatived.

श्री काशीराम गुप्त : मैं संशोधन संख्या १९० वापस लेता हूं ।

संशोधन संख्या १९०, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया ।

Amendment No. 190 was, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १९१ और १९२ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The amendments was 191 and 192 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५० संशोधित रुप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड ५० संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 50 as amended was added to the Bill.

खण्ड ५१

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) कि पृष्ठ ३७ पंक्ति ८ के बाद निम्नलिखित रखा जाय :

"(i) in section 3, in sub-section(1), the proviso and the Explanation shall be omitted ;"..

[श्री ति० त० कृष्णामाचारी]

["(१) धारा ३ उपधारा (१) में परन्तुक और व्याख्या का लोप किया जायेगा ।] (७३)

As a result of the above amendment, sub-clauses (i) to (vi) may be re-numbered as (ii) to (vii) respectively.

(२) ["उपरोक्त संशोधन के परिणामस्वरूप उपखण्ड (१) से (६) तक का क्रमांक क्रमशः (२) से (७) कर दिया जायें । (७४)

(३) पृष्ठ ३७ पंक्ति ३२ में निम्नलिखित का लोप किया जाय :—

"sub-clause (ii) of clause (a), and".

खण्ड (क) का उपखण्ड (२) और] (७५)

(४) पृष्ठ ३८ में पंक्ति ३६ से ४२ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

"38B. Where a person makes an application to the Commissioner in the prescribed form for any information relating to any assessee in respect of any assessment made under this Act, theCommissioner may, if he is satisfied that it is in the public interest so to do,furnish or cause to be furnished the information asked for in respect of that assessment only and his decision in this behalf shall be final and shall not be called into question in any court of law.".

[३८ ख जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी कर निर्धारण के संबंध में किसी जानकारी के लिये विहित प्रपत्र में आयुक्त को प्रार्थनापत्र दे तो यदि आयुक्त संतुष्ट हो जाय कि ऐसा करने में लोक हित है तो वह कर निर्धारण मात्र के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी दे सकता है या दिला सकता है और इस सम्बन्ध में उसका निर्णय अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी ।] (७६)

श्री मी० रू० मसानी : मैं संशोधन संख्या ११७ प्रस्तुत करता हूं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं संशोधन संख्या २० प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मुरारका : मैं संशोधन संख्या १६४, १६५ १६६, और १६८ प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मी० रु० मसानी : व्यय कर से सरकार को बहुत कम आय हुई थी अतः फिर से इसे पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी । मेरा संशोधन स्वीकार करने पर पहले दी गई विमुक्तियां जो अब समाप्त कर दी गई हैं लागू हो जायेंगी और नई दरें भी लागू होंगी ।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : मेरे संशोधन का यह प्रयोजन है कि पहले जो विमुक्तियां लागू थी उन में से बच्चों की शिक्षा और निर्भर माता पिता के पोषण का खर्च भी विमुक्त रखा जाय ।

दूसरे मैं खण्ड ५१(१) के उपखण्ड (२) की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिस से अनुसार व्यय कर से विमुक्त दान या उपहार पर ४ प्रतिशत कर लगाया जायगा । इस से तो दी गई विमुक्ति निरर्थक हो जाती है । मेरे संशोधन का उद्देश्य उस विमुक्ति को समर्थ सार्थक बनाना है ।

श्री मुरारका : मेरे संशोधन का उद्देश्य वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत परन्तुक का लोप करना है क्योंकि यदि आप ५००० रुपये तक के उपहार को कर विमुक्त करते हैं और व्यय कर के अन्तर्गत उस पर फिर से कर लगा देते हैं तो आपने विमुक्ति कौन सी दी । व्यय कर का एक उद्देश्य यह है कि दिखाने के खर्च को रोका जाय ।

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुई
DR. SAROJINI MAHISHI *in the chair*]

अतः कसौटी यही होनी चाहिये कि खर्च वैकल्पिक है या अनिवार्य । परिवार के लोगों के उपचार और बच्चों की पढ़ाई पर खर्च वैकल्पिक नहीं है । सरकार शिक्षा और अस्पतालों पर इतना अधिक खर्च कर रही है तो आप ऐसे व्यक्ति पर कर क्यों लगाते हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था प्रदान कर सकता है । केवल दिखावे के खर्च पर ही कर लगना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि यह कर अप्रैल १९६४ में लाया गया है अतः इस का प्रभाव भूतलक्षी नहीं होना चाहिये बल्कि इसे अप्रैल से लागू होना चाहिये । भले दर कम कर दी गई है तब भी उस का भूतलक्षी प्रभाव अनुचित है क्योंकि लोगों ने वह खर्च इस विचार से किया था कि उन पर कोई कर नहीं लगेगा ।

अतः औचित्य के नाते मंत्री महोदय को इन सुझावों को स्वीकरार कर लेना चाहिये ।

श्री उ० म० त्रिवेदी : इस व्यय कर को वापिस ले लिया गया था किन्तु अब पुनः इसे लाते हुए कोई कारण नहीं बताया गया कि ऐसा क्यों किया गया है ?

बच्चों की पढ़ाई और माता पिता का पोषण बिल्कुल उचित खर्च है और मैं डा० सिंघवी से सहमत हूं कि इस खर्च को व्यय कर से विमुक्त रखना चाहिये ।

कर केवल कर लगाने के ध्येय से नहीं लगाना चाहिये । इस कर ने अनेक लोगों को धर्मार्थ कामों से वंचित कर दिया और वे धर्मशालाओं और सदाव्रत पैसा लगाने की बजाय अनावश्यक खर्च करने लगे हैं ।

अतः केवल कराधान के दृष्टिकोण को नहीं अपनाना चाहिये बल्कि समूची दृष्टि से विचार करना चाहिये । कर लगाते समय भी यह ध्यान रखना चाहिये कि लोगों के पास उपभोग के लिये पैसा बच रहे ।

श्री बड़ (खारगोन) : मैं केवल यह पूछना चाहता हूं कि मंत्री महोदय के पूर्वाधिकारी ने इसे वापस ले लिया था क्योंकि इस से केवल ६ लाख रुपये की आय हुई थी तो अब इसे पुनः लाने का क्या कारण है ?

श्री हिम्मतसिंहका : मैं अनुभव करता हूं कि खण्ड ५१ उपखंड (२) का परन्तुक नहीं रहना चाहिये क्योंकि इस से धर्मार्थ संस्थाओं की सहायता के साधन समाप्त हो जायेंगे । अन्य विमुक्तियां वापस लेना भी अनुचित है किन्तु यह विमुक्ति वापस लेने में तो बिल्कुल ही कोई औचित्य नहीं। सरकार एक ही है किन्तु केवल मंत्री बदलने से ही इस की नीति निरन्तर बदलती रहती है ।

श्री ना० श्री० अगे : व्यय कर स्वयं घृणित उपाय है किन्तु माता पिता के पोषण पर खर्च पर कर लगाने से तो यह और भी घृणास्पद हो गया है । भारतीय समाज में माता पिता का पोषण और बच्चों की देखभाल आवश्यक परम्परा है । अतः इन घृणास्पद बातों को इससे निकाल देना चाहिये ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : श्री हिम्मतसिंह का ने जो धर्मार्थ संस्थाओं के बारे में कहा उसके लिए तो उपबन्ध अब भी विद्यमान है । माता पिता के पोषण की बात के सम्बन्ध में श्री अगे यह भूल गये हैं कि व्यय कर ३६००० रुपये से अधिक खर्च होने पर लगता है और वे लोग इतने पैसे में माता पिता का पोषण कर सकते हैं । इस कर में केवल सुधार किया गया है ।

निस्सन्देह अधिनियम को भूतलक्षी प्रभाव प्रदान करने पर आपत्ति की गई है । किन्तु यह राशि मामूली है अर्थात् केवल १५ प्रतिशत है । ३६००० रुपये खर्च करने वाला व्यक्ति सरकार को १५०० रुपये देने से नहीं घबरायेगा ।

किसी ने कहा था कि इससे केवल ६ लाख रुपया मिला है । वास्तव में ६ लाख रुपये की राशि तो बकाया कर है । उस की वसूली पर कुल वसूली १.६० करोड़ रुपये की होगी ।

श्री त्रिवेदी ने कहा है कि मैंने इसके समर्थन में कुछ नहीं कहा । सच तो यह है कि बजट भाषण में मैंने यही कहा था कि कर अपवंचन के उपायों को रोकना है और हम चाहते हैं कि लोग खर्च करने की बजाय पैसा बचायें ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

(१) कि पृष्ठ ३७ में पंक्ति ८ के बाद निम्नलिखित रखा जाय :

"(i) in section 3, in sub-section (1), the proviso and the Explanation shall be omitted:"

[(एक) धारा ३ उपधारा (१) में परन्तुक और व्याख्या का लोप किया जायगा ।] (७३)

(2) "As a result of the above amendment, sub-clauses (i) to (vi) may be renumbered as (ii) to (vii) respectively."

[उपरोक्त संशोधन के परिणामस्वरूप उपखण्ड (१) से (६) को क्रमशः (२) से (७) क्रमांक दिये जायें ।] (७४)

(३) पृष्ठ ३७ में पंक्ति ३२ का लोप किया जाय :—

"sub-clause (ii) of clause (a), and".

[खण्ड (क) को उपखण्ड (२) और"] (७५)

(४) पृष्ठ ३२, पंक्ति ३६ से ४२ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

"38B. Where a person makes an application to the Commissioner in the prescribed form for any information relating to any assessee in respect of any assessment made under this Act, the Commissioner may, if he is satisfied that it is in the public interest so to do, furnish or cause to be furnished the information asked for in respect of that assessment only and his decision in this behalf shall be final and shall not be called into question in any court of law."

[३८ ख. जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी कर निर्धारण के सम्बन्ध किसी जानकारी के लिये विहित प्रपत्र में आयुक्त को प्रार्थनापत्र दे तो यदि आयुक्त संतुष्ट हो जाए कि ऐसा कहने में लोक हित है तो वह कर निर्धारण मात्र के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी दे सकता है या दिला सकता है और इस सम्बन्ध में उसका निर्णय अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी] ।(७६)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या २० और ११७ मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

संशोधन संख्या १६४, १६५, १६६ और १६८, सभा की अनुमति से वापस लिये गये ।

Amendment Nos. 164, 165, 166 and 168 were by leave withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

कि खण्ड ५१, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड ५१, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 51 as amended was added to the Bill.

खण्ड ५२

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

(१) कि पृष्ठ ३९

पंक्ति २२ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

"(a) in Section 5--

(i) in Clause (viii) of sub-section

(1) for the

["(क) धारा ५ में—

(१) उपधारा (१) के खण्ड (८) में, के लिए] (१)

(२) पृष्ठ ३९,

पंक्ति २४ के बाद निम्नलिखित रखा जाय :—

(ii) in sub-section (2), for the words "ten thousand", the words "five thousand" shall be substituted".

[(२) उपधारा (१) में "दस हज़ार" के स्थान पर "पांच हज़ार" शब्द रखे जायेंगे ।] (२)

(३) पृष्ठ ४१ में पंक्ति ३६ से ४२ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

"41B. Where a person makes an application to the Commissioner in the prescribed form for any information relating to any assessee in respect of any assessment made under this Act, the Commissioner may, if he is satisfied that it is in the public interest so to do, furnished or cause to be furnished the information asked for "in respect of that assessment only and his decision in this behalf shall be final and shall not be called into question in any court of law."

[४१ख. जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी कर निर्धारण के संबंध में किसी जानकारी के लिये विहित प्रपत्र में आयुक्त को प्रार्थनापत्र दे तो यदि आयुक्त संतुष्ट हो जाय कि ऐसा करने में लोक हित है तो वह कर निर्धारण मात्र के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी दे सकता है या दिला सकता है और इस सम्बन्ध में उस का निर्णय अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी ।] (७७)

श्री मुरारका : मैं संशोधन संख्या १७३ प्रस्तुत करता हूं ।

श्री हिम्मत सिंहका : मैं संशोधन संख्या १७०, १९३ और १९३–ख प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या ११८, १६९, १७१ और १७२ प्रस्तुत नहीं किये गये ।

श्री मुरारका : मेरे संशोधन संख्या १७३ का यह उद्देश्य है कि उपहार कर के उपबन्ध भूतलक्षी प्रभाव से लागू न किया जाए । पहले ५० लाख के उपहार पर ५० प्रतिशत कर था अब ३,४०,००० रुपये के उपहार पर उतना कर है । अतः दर में कोई कमी नहीं बल्कि वृद्धि हुई है जब लोगों ने इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कह दिया था कि उस पर कोई कर नहीं है । उपहार कर का उद्देश्य तो यह है कि कोई व्यक्ति अपनी सम्पदा को बखेर न दे । २० लाख की सम्पदा पर उपहार कर तो ९.३८ लाख का होगा जबकि मृत सम्पत्ति कर ६.३ लाख रुपये है । मैं समझता हूं कि सरकार का यह उद्देश्य नहीं हो सकता कि लोग अपने जीते जी उपहार न दें ।

प्रयोजन तो यह होना चाहिये कि धन का संग्रह न हो और उसके लिए उपहारों को प्रोत्साहन देना चाहिये । यदि एक ही रिश्तेदार को बार बार उपहार दिया जाता है तो कुल राशि पर कर लगाना तो उचित है किन्तु दर को बढ़ाना और और उसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना अनुचित है ।

बहुत अनुरोध करने पर माननीय मन्त्री बोनस की दर या कर के भावी प्रभाव से लागू करने के लिए तैयार हो गये हैं । किन्तु उपहार कर के सम्बन्ध में भी मैं सानुरोध अपील करता हूं कि वे औचित्य को दृष्टिगत रखते हुए इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं करेंगे । यह बहुत अनुचित है ।

श्री अ० प्र० जैन : मैं श्री मुरारका का समर्थन करता हूं । उनके तर्क में बल है । गत वर्ष जिन्होंने उपहार दिये थे उन्हें पता नहीं था कि उन्हें कर देना पड़ेगा और फिर दरों में भी अत्यधिक वृद्धि की गई है । यह न्यायोचित मामला है और केवल राजस्व को ही दृष्टिगत नहीं रखना चाहिये । माननीय मन्त्री को यह संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये ।

श्री हिम्मतसिंहका : मैंने संशोधन संख्या १९४ तथा १९५ मध्यम वर्ग की भलाई के लिये प्रस्तुत किये हैं । उपहारों की कम राशियों पर सरकार को कर में इतनी अधिक वृद्धि नहीं करनी चाहिये । पहली २०,००० रु० की राशि पर यह दर ४ प्रतिशत और बाद की ३०,००० रु० की राशि पर ८ प्रतिशत होनी चाहिये । इससे मध्यम वर्ग के लोगों को मृत्यु से पहले अपने मामले सुलझाने में सहायता मिलेगी ।

श्री सुब्बरामन (मदुरै) : उपहार कर के प्रस्तावित दर बहुत अधिक हैं। फिर भी, मेरा सरकार से केवल यही निवेदन है कि उन्हें पूर्व तिथि से लागू न किया जाये।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं भी इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि किसी शुल्क को पूर्व तिथि से लागू करना न्यायोचित नहीं है। अतः माननीय मन्त्री को इस मामले पर फिर से विचार करना चाहिये।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त करने के जोश में नैतिकता तथा न्याय को तिलांजलि नहीं देनी चाहिये। अतः यह शुल्क पूर्व तिथि से लागू नहीं किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : उपहार कर की दर अधिक नहीं हैं। २५,००० रुपये के उपहार पर १२,००० रुपये कर लगेगा। जो कि अधिक नहीं कहा जा सकता। आय व्ययक के पेश किये जाने से कई महीने पहले लोगों को यह अनुमान हो गया था कि सम्पदा शुल्क बढ़ने वाला है। अतः उन्होंने सम्पदा शुल्क से बचने के लिये बहुत सी सम्पत्ति उपहारों के रूप में दे दी थी। इसी कारण यह शुल्क पूर्व तिथि से लागू किया जा रहा है। मुझे खेद है कि मैं माननीय सदस्यों के सुझाव को स्वीकार नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

(१) पृष्ठ ३९,—

पंक्ति २२ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

(a) in Section 5, —

(i) in clause(viii) of sub-section(1) for the"

["धारा ५ में,—

(१) उपधारा (१) के खण्ड (८) में, के लिये"] (१)

(२) पृष्ठ ३९,—

पंक्ति २४ के बाद निम्नलिखित रखा जाये :—

(ii) in sub-section (2), for the words "ten thousand", the words "five thousand" shall be substituted;".

["(२) उपधारा (२) में "दस हजार" के स्थान पर "पांच हजार" शब्द रखे जायेंगे; "] (२)

(३) पृष्ठ ४१, पंक्ति ३६ से ४२ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

"41B. Where a person makes an application to the Commissioner in the prescribed form for any information relating to any assessee in respect of any assessment made under this Act, the Commissioner may, if he is satisfied that it is in the public interest so to do, furnish or cause to be furnished the information asked for in respect of that assessment only and his decision in this behalf shall be final and shall not be called into question in any court of law.".

[उपाध्यक्ष महोदय]

["४१ ख. जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी कर निर्धारण के सम्बन्ध में किसी जानकारी के लिये विहित प्रपत्र में आयुक्त को प्रार्थना पत्र दे तो यदि आयुक्त सन्तुष्ट हो जाये कि ऐसा करने में लोकहित है तो वह कर निर्धारण मात्र के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी दे सकता है या दिला सकता है और इस सम्बन्ध में उसका निर्णय अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी।"] (७७)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

संशोधन संख्या १७०, १७३ और १९३--सभा की अनुमति से वापस लिये गये ।

Amendments Nos. 170, 173 and 193 were, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५२, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड ५२, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 52, as amended, was added to the Bill.

खण्ड ५३

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या १७४ प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

श्री मी० रु० मसानी : व्यय कर को भी पूर्व तिथि से लागू किया जा रहा है । गत वर्ष किसी को यह पता नहीं था कि ३६,००० रु० से अधिक व्यय करना अपराध है । अतः ऐसा करना न्यायोचित नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड ५३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 53 was added to the Bill.

खण्ड ५४ से ५९ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 54 to 59 were added to the Bill.

खण्ड ६०

खंड ६०

श्री व० बा० गांधी : मैं अपने संशोधन संख्या ११६ से १२१ प्रस्तुत करता हूं। शक्ति-चालित करघों के बारे में वित्त मन्त्री ने जिन छूटों की घोषणा की है, उनसे स्थिति की आवश्यकता पूरी नहीं होगी। उस उद्योग को बचाने के लिये उसके प्रति अधिक सहानुभूति दिखाई जानी चाहिये। इस कुटीर उद्योग पर लाखों लोगों की जीविका निर्भर है। अतः इस उद्योग को जिन्दा रखने के लिये करों में और अधिक छूट दी जानी चाहिये।

श्री नाथवाई (राजापुर) : लोगों में यह भावना घर करती जा रही है कि प्रस्तावित शुल्कों से शक्ति-चालित करघे खत्म हो जायेंगे। काफी करघे बन्द हो गये हैं जिसके कारण काफी लोगों की जीविका खत्म हो गई है। इस उद्योग की समस्याओं की जांच करने के लिये सरकार ने जो समिति नियुक्त की थी, उसने अभी तक अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है। इस प्रतिवेदन के मिलने से पहले वित्त मन्त्री को करों में वृद्धि नहीं करनी चाहिये। इसके विपरीत, उन्हें इस उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहिये ताकि यह जिन्दा रह सके। शक्ति-चालित करघों के बन्द हो जाने से उत्पादन भी नहीं हो सकेगा और सरकार को राजस्व की हानि भी होगी और गरीब लोगों की जीविका भी खत्म हो जायेगी। मन्त्री महोदय को इस उद्योग को यह राहत देने के प्रश्न पर फिर से विचार करना चाहिये।

श्री सुब्बरामन : माननीय वित्त मंत्री को मदुरै के स्थानीय अधिकारियों को तुरन्त हिदायतें भेजनी चाहियें ताकि अरुणक्कयार निर्माण उद्योग में लगे हुए व्यक्तियों से उत्पादन शुल्क वसूल न किया जा सके। इस उद्योग पर उत्पादन शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिये क्योंकि यह उद्योग इस भार को बर्दाश्त नहीं कर सकता है और इस उद्योग के बन्द हो जाने से इसमें लगे हुए व्यक्तियों की जीविका खत्म हो जायेगी। मुझे प्रसन्नता है कि शिकाकाई पाउडर उद्योग पर से उत्पादन शुल्क हटा दिया गया है।

हथकरघा उद्योग को कम से कम ३६ फ्रेंच काउन्ट तक उत्पादन शुल्क से छूट दी जानी चाहिये यह काफी बड़ा उद्योग है और बहुत लोग इसमें लगे हुए हैं अतः सरकार को इस उद्योग को और अधिक राहत देनी चाहिये। तमिलनाड में हौजिरी उद्योग एक बहुत बड़ा कुटीर उद्योग है। बिजली द्वारा लपेटे गये सूत पर उत्पादन शुल्क लिया जाता है। मेरा निवेदन है कि इस उद्योग पर यह कर नहीं लगाया जाना चाहिये क्योंकि मिलों की तरह वे लोग उस सूत को बेचते नहीं हैं।

श्री रंगा : मैं मन्त्री महोदय से यह आश्वासन चाहता हूं कि इस प्रस्ताव से हथकरघा उद्योग पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि ऐसा हुआ, तो क्या वे अगले वर्ष हथकरघा बुनकरों को संरक्षण देने के लिये आवश्यक संशोधन लाने की कृपा करेंगे ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : सरकार ने हथकरघों को ४० काउण्ट से कम और २४ फ्रेंच काउण्ट छूट देने का फैसला कर लिया है और इससे अधिक काउण्ट के सूत पर कर कम कर लिया गया है। सरकार का शक्ति-चालित करघों के प्रति मिलों की अपेक्षा पक्षपात करने का कोई विचार नहीं है। बहुत सारे करघे मिलों से सम्बद्ध होते हैं। इस उद्योग का काफी विस्तार हुआ है और सरकार को इस उद्योग को दी गई छूट के कारण राजस्व की हानि हुई है। इस मामले की जांच करने के लिये अशोक मेहता समिति नियुक्त की गई थी। उन्होंने हमें यह सुझाव दिया था कि इस समस्या का एक हल सूत पर कर लगाना है। परन्तु इससे हथकरघा उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। हमने उस समय हथकरघों को शक्ति-चालित करघों में बदलने का सुझाव दिया था। उस समय वे लोग ऐसा करने के लिये राजी नहीं थे परन्तु अब वे सहमत हैं। जब ऐसा हो जायेगा तो यह समस्या आसान हो जायेगी।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

इसी कारण 'कोन' सूत पर अधिक उत्पादन शुल्क लगाया गया है और 'हैंक' पर कम है। जहां तक इसे हाथ से लपेटने का प्रश्न है अब भी 'हैंक' सूत खरीदा जाता है और 'कोन' सूत में तबदील किया जाता है। यह समस्या बड़ी जटिल है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि मिलों की सहमति से काफी उत्पादन शुल्क छिपाया जाता है। विद्युत् करघे कुटीर उद्योग नहीं है। सामान्यतया इनके मालिक उद्योगपति होते हैं। इस पहलू को ध्यान में रख कर कई परिवर्तन किये गये हैं। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हथकरघों पर बुरा प्रभाव न पड़े। यदि शुल्क में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस होगी तो सरकार ऐसा करने में संकोच नहीं करेगी।

संशोधन संख्या ११९ से १२१, सभा की अनुमति से वापिस लिये गये।

Amendments Nos. 119 to 121 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ६० विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड ६० विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 60 was added to the Bill.

खण्ड ६१ से ६५ विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 61 to 65 were added to the Bill.

प्रथम अनुसूची

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ ५३, पंक्ति १७,

"3,000," "3,300" and "3,600" ["३,०००", "३,३००" तथा "३,६००"] के स्थान पर "3,200", "3,600" and "4,000" ["३,२००", "३,६००" तथा "४,०००"] रखा जाये। (७८)

(२) पृष्ठ ५३, पंक्ति १९,

"2,000", "1,700" and "1,400" ["२,०००", "१,७००" तथा "१,४००"] के स्थान पर "1,800", "1,400" and "1,000" ["१,८००", "१,४००" तथा "१,०००"] रखा जाये। (७८)।

(३) पृष्ठ ५७, पंक्ति २,

"and distribution" ["तथा वितरण"] के स्थान पर "or distribution" ["अथवा वितरण"] रखा जाये। (८०)

(४) पृष्ठ ५७, पंक्ति ६ के बाद निम्नलिखित रखा जाये :—

"*Explanation.*—For the purpose of this Paragraph and Part III of this Schedule, a company shall be deemed to be mainly engaged in the business of generation or distribution of electricity or of manufacture or production of any

one or more of the articles specified in the list in Part IV of this Schedule, if the income attributable to any of the aforesaid activities included in its total income for the previous year is not less than fifty-one per cent. of such total income.".

["व्याख्या—इस कण्डिका तथा इस अनुसूची के भाग ३ के प्रयोजन के लिये, समवाय मुख्यतः बिजली पैदा करने या बिजली का वितरण करने या इस अनुसूची के भाग ४ में सूची में निर्दिष्ट किसी एक अथवा अधिक वस्तुओं के निर्माण अथवा उत्पादन के काम में लगा समझा जायेगा, यदि किसी उपरोक्त कार्य से प्राप्त आय जो गत वर्ष की उसकी कुल आय में सम्मिलित है ऐसी कुल आय के ५१ प्रतिशत से कम नहीं है।"] (८१)

(५) पृष्ठ ६०, पंक्ति ६,

"and distribution" ["तथा वितरण"] के स्थान पर "or distribution" ["अथवा वितरण"] रखा जाये। (८२)

(६) पृष्ठ ६१, पंक्ति ७ से १२ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

"Proviso (being such a company as is referred in section 108 of the Income-tax Act or any other company as is referred to in clause (iii) of sub-section (2) of section 104 of that Act) which has declared or".

["परन्तुक (ऐसा समवाय जैसा कि आय-कर अधिनियम की धारा १०८ में उल्लिखित है अथवा कोई अन्य समवाय जैसा कि उस अधिनियम की धारा १०४ की उपधारा (२) के खण्ड (३) में उल्लिखित है) जिसने घोषित कर दिया है अथवा "] (८५)

(७) पृष्ठ ६१, पंक्ति २२,

" Paid up " ["प्रदत्त"] के बाद " equity " [" साम्य"] रखा जाये। (८६)

(८) पृष्ठ ६१, पंक्ति ३४,

"a company" [" एक समवाय ") के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

as is referred to in section 108 of the Income-Tax Act, and ["जैसा कि आय-कर अधिनियम की धारा १०८ में उल्लिखित है तथा "]। (८७)

(९) पृष्ठ ६१, पंक्ति ४४,

"Explanation " [" व्याख्या"] के बाद "२" ["२"] रखा जाये। (८९)

(१०) पृष्ठ ६२, पंक्ति १६ के बाद निम्नलिखित रखा जाये:—

"*Explanation 3.*—For the removal of doubts it is hereby declared that where any dividends were declared by the company before the commencement of the previous year and are distributed by it during that year, no reduction in the rebate shall be made under sub-clause (c) of clause (i) of the second proviso in respect of such dividends."

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

["व्याख्या ३—सन्देह दूर करने के लिये यह घोषित किया जाता है कि जहां समवाय द्वारा गत वर्ष के आरम्भ होने से पहले लाभांश घोषित किये जाते हैं और उसके द्वारा उस वर्ष बांटे जाते हैं, तब ऐसे लाभांशों के सम्बन्ध में दूसरे परन्तुक के खण्ड (१) के उपखण्ड (ग) के अन्तर्गत छूट में कोई कमी नहीं की जायेगी।"] (९०)

(११) पृष्ठ ६२, पंक्ति ३६ से ४१ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

"on the whole income (excluding interest payable on any security of the Central Government issued or declared to be income-tax free, and interest payable on any security of a State Government issued income-tax free the income-tax whereon is payable by the State Government) ;.....18% 2% Nil Nil."

["कुल आय पर (केन्द्रीय सरकार की आयकर मुक्त जारी की गई अथवा घोषित की गई किसी प्रतिभूति पर देय ब्याज, तथा राज्य सरकार द्वारा आय-कर मुक्त जारी की गई किसी प्रतिभूति जिस पर आय-कर राज्य सरकार द्वारा दिया जाना है पर देय ब्याज को छोड़ कर) .... १८% २% शून्य शून्य"] (९१)

(१२) पृष्ठ ६३, पंक्ति ५ से १३ का लोप किया जाये। (९२)

(१३) पृष्ठ ६३, पंक्ति ३९ "(i)" (१)"] का लोप किया जाये। (९३)

(१४) पृष्ठ ६३, पंक्ति ४४, "and" ["और"] का लोप किया जाये और "२५%" ("२५%") के स्थान पर "२०% ["२०"] रखा जाये। (९४)

(१५) पृष्ठ ६३, पंक्ति ४ से ४८ का लोप किया जाये। (९५)

(१६) पृष्ठ ६४, पंक्ति ४ " and distribution" [" तथा वितरण"] के स्थान पर "or distribution" ["अथवा वितरण"] रखा जाये। (९६)

(१७) पृष्ठ ६४, पंक्ति ३१ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

"(२) Auminium, copper, lead and zinc (Metals"(२) [एल्यूमिनियम, तांबा, सीसा और जस्ता (धातुएं)"]। (९७)

(१८) पृष्ठ ६४, पंक्ति ३२,

" iron ore and bauxite " ["लोह अयस्कऔर बाक्साइट"] के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये:—

"iron ore, bauxite, mangaese ore, dolomite magnesite and mrieral oil"

खनिज तेल"]" लौह अयस्क, बाक्साइट, मैंगनीज अयस्क, डोलोमाइट, मैगनेसाइट और खनिज तेल"]। (९८)

(१९) पृष्ठ ६४, पंक्ति ३९ तथा ४० के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

(6) Equipment for the generation and transmission of electricity including transformers, cables and transmission towers".

["(६) ट्रांसफोर्मरों, केबलों और ट्रांसमिशन टावरों सहित बिजली पैदा करने तथा पहुंचाने के लिये उपकरण "] । (९९)

(२०) पृष्ठ ६५, पंक्ति १ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

(11) Fertilisers, namely, ammonium sulphate, ammonium sulphate nitrate (double salt), ammonium nitrate (nitrolime stone), ammonium chloride, super phosphate, urea and complex fertilisers of synthetic origin containing both nitrogen and phosphorus, such as ammonium phosphates, ammonium sulphate phosphate and ammonium nitrophosphate."

["(११) उर्वरक, अर्थात, एमोनियम सलफेट, एमोनियम सलफेट नाइट्रेट (डबल साल्ट), एमोनियम नाइट्रेट (नाइट्रोलाइम पत्थर), एमोनियम क्लोराइड, सुपर फासफेट, उरिया और सिनथैटिक से बनने वाले कम्प्लैक्स उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन और फासफोरस दोनों शामिल हैं, जैसे एमोनियम फासफेट, एमोनियम सलफेट फासफेट और एमोनियम नाइट्रोफासफेट ।"] (१००)

(२१) पृष्ठ ६५, पंक्ति ३ के स्थान पर "(13) Tea" ["(१३ चाय) "] रखा जाये। (१०१)

(२२) पृष्ठ ६५, पंक्ति ३ के बाद निम्नलिखित रखा जाये:—

"(14) Electronic equipment, namely, radar equipment, computers, electronic accounting and business machines, electronic communication equipment, electronic control instruments and basic components, such as valves, transistors, resistors, condensors, coils, magnetic materials and microwave components.

(15) Petrochemicals including corresponding products manufactured from other basic raw materials like calcium carbide, ethyl alcohol or hydrocarbons from other sources.".

["(१४) इलैक्ट्रानिक उपकरण अर्थात्; रडार उपकरण कम्पूटर, इलैक्ट्रानिक अकाउंटिंग और कारोबार मशीनें, इलक्ट्रानिक संचार उपकरण, इलैक्ट्रानिक नियंत्रण उपकरण और मूल पुज, जैसे वाल्व, ट्रांसिसटर, रिसिसटर, कंडैंसर, कोइलें, चुम्बकीय सामान और माइक्रो वेव पुर्जे ।

(१५) पैट्रोकैमिकल्स जिनमें अन्य मूल कच्चे सामान जैसे कैलसियम कारबाइड, एथिल आल्कोहल या हाइड्रोकार्बन से अन्य साधनों से बनाये गये ऐसे ही उत्पाद शामिल हैं।"] (१०२)

(२३) सूची में दो नई मदों के जोड़े जाने के परिणामस्वरूप, पृष्ठ ६५ पर मद (१४) मद (१६) कर दी जाये। (१०३)

(२४) पृष्ठ ६०, पंक्ति १३ से २१ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये:—

"(iii) (A). in the case of a company which is wholly or mainly engaged in the manufacture or processing of foods or in mining or in the generation or distribution of electricity or any other form of power and whose total income does not exceed rupees five lakhs, a rebate at the rate of 30 per cent. on so much of its total income as does not exceed rupees two lakhs and a rebate at the rate of 20 per cent. on the balance of the total income; and in addition, where the

[श्री ती० त० कृष्णमाचारी]

total income includes any income attributable to the business of generation or distribution of electricity or of manufacture or production of any one or more of the articles specified in the list in Part IV of this Schedule, a rebate at the rate of 5 per cent. on so much of such inclusion as does not exceed rupees two lakhs and a rebate at the rate of 6 per cent. on the balance, if any, of such inclusion,

shall be allowed if—

(a) such company satisfies condition (a) of clause (i) ; and

(b) it is not such a company as is referred to in section 108 of the Income-tax Act ;

(B) in the case of any company which is not entitled to any rebate under sub-clause (A) of this clause, a rebate at the rate of 26 per cent. on so much of its total income as is attributable to the business of generation or distribution of electricity or of manufacture or production of any one or more of the articles specified in the list in Part IV of this Schedule; and at the rate of 20 per cent. on the balance of the total income,

shall be allowed if—

(a) such company satisfies condition (a) of clause (i) ; and

(b) it is not such a company as is referred to in section 108 of the Income-tax Act;."

["(३)(क) ऐसे समवाय के सम्बन्ध में जो पूर्ण अथवा मुख्य रूप से वस्तुओं के निर्माण या परिष्करण या खनन या बिजली या किसी अन्य शक्ति के उत्पादन या वितरण के काम में लगे हुए हैं और जिसकी कुल आय ५ लाख रुपये से अधिक नहीं है, इसकी कुल आय के उतने भाग पर जो दो लाख रु० से अधिक नहीं है, ३० प्रतिशत की दर से छूट और कुल आय की शेष राशि पर २० प्रतिशत की दर से छूट, और इसके अतिरिक्त, जहां कि कुल आय में बिजली से उत्पादन या वितरण या इस अनुसूची के भाग ४ में सूची में निर्दिष्ट किसी एक या अधिक वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन के कारोबार से होने वाली कोई आय शामिल है, ऐसी शामिल होने वाली राशि के उतने भाग पर जो दो लाख रु० से अधिक नहीं है ५ प्रतिशत की दर से छूट और ऐसे शामिल की गई शेष राशि पर, यदि कोई हो, ६ प्रतिशत की दर से छूट, दी जायेगी यदि—

(क) ऐसा समवाय खण्ड (१) की शर्त (क) पूरी करता है; तथा

(ख) यह एक ऐसा समवाय नहीं है जैसा कि आय-कर अधिनियम की धारा १०८ में निर्दिष्ट है ;

(ख) किसी ऐसे समवाय के सम्बन्ध में जो इस खण्ड के उपखण्ड (क) के अन्तर्गत किसी छूट का हकदार नहीं है, उसकी कुल आय की उतनी राशि पर जो बिजली के उत्पादन या वितरण या इस अनुसूची के भाग ४ में सूची में निर्दिष्ट किसी एक अथवा अधिक वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन के कारोबार से प्राप्त होती है २६ प्रतिशत की दर से छूट; और कुल आय

की शुद्ध राशि पर २० प्रतिशत की दर से कम,
दी जायेगी यदि--

(क) ऐसा समवाय खण्ड (१) की शर्त (क) पूरी करता है; तथा

(ख) यह एक ऐसा समवाय नहीं है जैसा कि आय-कर अधिनियम की धारा १०८ में निर्दिष्ट है ; ।"] (२०३)

(२५) पृष्ठ ६१, पंक्ति ४ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

"increasing the paid up capital except where such bonus shares or bonus have been issued wholly out of the share premium account of the company after the 31st day of March, 1964; and".

["ऐसे मामलों को छोड़ कर जहाँ कि बोनस अंश या बोनस ३१ मार्च, १९६४ के पश्चात् पूर्ण रूप से समवाय के शेयर प्रीमियम लेखे से जारी किये गये हैं प्रदत्त पूंजी बढ़ा कर; तथा "] (२०४)

(२६) पृष्ठ ६१, पंक्ति ४३ के बाद निम्नलिखित रखा जाये :—

"Provided further that the super-tax payable by any company, which is wholly or mainly engaged in the manufacture or processing of goods or in mining or in the generation or distribution of electricity or any other form pf power and which is not such a company as is referred to in section 108 of the Income-tax Act and the total income of which exceeds rupees five lakhs, shall not exceed the aggregate of—

(a) the super-tax which would have been payable by the company if its total income had been rupees five lakhs (the income of rupees five lakhs for this purpose being computed as if such income included income from various sources in the same proportion as the total income of the company) ; and

(b) fifty-five per cent. of the amount by which its total income exceeds rupees five lakhs.

Explanation 1—For the purposes of this Paragraph, a company shall be deemed to be mainly engaged in the manufacture or processing of goods or in mining or in the generation or distribution of electricity or any other form of power, if the income attributable to any of the aforesaid activities included in its total income for the previous year is not less than fifty-one per cent, of such total income.".

["परन्तु यह भी कि किसी समवाय द्वारा देय अधिकार, जो पूर्ण अथवा मुख्य रूप से सामान के निर्माण या परिष्करण अथवा खनन अथवा बिजली या किसी अन्य शक्ति के उत्पादन या वितरण के काम में लगा हुआ है और जो आय-कर अधिनियम की धारा १०८ में निर्दिष्ट कोई समवाय नहीं है और जिसकी कुल आय पांच लाख रु० से अधिक है, के कुल योग से अधिक नहीं होगा—

(क) अधिकर जो समवाय द्वारा देय होता यदि उसका कुल आय पांच लाख रुपये होती (इस प्रयोजन के लिये पांच लाख रुपये की आय की गणना ऐसे रूप में की जायेगी कि ऐसी आय में विभिन्न स्रोतों से होने वाली आय

[श्री ती० त० कृष्णमाचारी]

उसी अनुपात में जिस अनुपात में समवाय की कुल आय हो सम्मिलित है); और

(ख) उसकी कुल आय पांच लाख रुपये से जितनी अधिक होगी उस राशि का ५५ प्रतिशत।

व्याख्या १—इस कंडिका के प्रयोजन के लिये, समवाय मुख्यतया वस्तुओं के उत्पादन अथवा परिष्करण अथवा खनन के कार्य बिजली या किसी अन्य प्रकार की शक्ति के पैदा करने या वितरण के काम में लगा समझा जायेगा, यदि किसी उपरोक्त कार्य से प्राप्त आय जो गत वर्ष की उसकी कुल आय में सम्मिलित है ऐसी कुल आय के ५१ प्रतिशत से कम नहीं है।"] (२०५)

श्री काशीराम गुप्त : मैं अपने संशोधन संख्या १९६ और २३ प्रस्तुत करता हूं।

श्री मोरारका : मैं अपने संशोधन संख्या १७५, १७६ और १७८ प्रस्तुत करता हूं।

श्री हिम्मतसिंहका : मैं अपने संशोधन संख्या १७७, १९७, १९८ और १९९ प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नागिरि) : मैं अपना संशोधन संख्या १२५ प्रस्तुत करती हूं ?

श्री काशीराम गुप्त : मेरे संशोधनों का आशय यह है कि करारोपण के तरीके को अधिक सरल बनाया जाय। इसी दृष्टिकोण से मैंने पहले 'स्लैब' पर ६ प्रतिशत की बजाय ५ प्रतिशत दर रखी है, दूसरा स्लैब २५०० रु० की बजाय ५,००० रु० रखा है, तीसरा स्लैब ज्यों का त्यों रहना चाहिये और चौथा स्लैब ५००० रु० की बजाय १०,००० रु० रखा है।

अब यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या इससे सरकार के राजस्व पर काफी गहरा असर पड़ेगा। इस पर मेरा निवेदन है कि कोई गहरा असर नहीं पड़ेगा। जहां तक पहले स्लैब का सम्बन्ध है, ५ प्रतिशत कर निर्धारण से प्रत्येक करदाता के लिये केवल १० रु० का अन्तर पड़ेगा ? वह बहुत ही नगण्य है। दूसरे स्लैब के लिये भी कोई भी खास फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरे स्लैब के सम्बन्ध में मेरे हिसाब से राजस्व में लगभग १.१ प्रतिशत की कमी होगी अंतिम स्लैब के संबन्ध में सरकार को यदि कुछ नुकसान होता है सो दूसरी ओर लोगों को कुछ फायदा होगा और करारोपण मौजूदा तरीके के बनिस्वत ज्यादा आसान हो जायगा।

भ्रष्टाचार सम्बन्धी संथानम् समिति ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि कंपनियों से चन्दे बन्द कर दिये जायें। इस बारे में मेरा यह कहना है कि व्यापारी वर्ग ही लोकतंत्र का आधार है और काफी हद तक उसे संरक्षण दिया जाना चाहिये। माननीय वित्त मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि वे इन सभी सुझावों पर विचार करें।

श्री मोरारका : मेरे संशोधन संख्या १७५ और १७६ का आशय यह है कि कंपनियों के बीच जो भेदभाव किया जा रहा है वह समाप्त कर दिया जाये। इस योजना के अधीन २३ ए कंपनियों पर ५० से ६० प्रतिशत की दर कर लगाने का प्रयत्न किया गया है। इस तरह का भदभाव दुनिया में कहीं नहीं है और इस देश में भी इस वित्त विधेयक के प्रस्तुत होने तक

ऐसा भेदभाव नहीं किया गया था जैसा कि अब किया गया है । मैं यह भी बता चुका हूं कि परिभाषा भी इतनी दोषपूर्ण है कि २४,००० शेयर होल्डरों वाली कंपनी को भी प्राइवेट कंपनी कहा जा सकता है जब कि १० शेयरहोल्डरों वाली कंपनी को पब्लिक कंपनी कहा जा सकता है। माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि वह इस पर विचार करेंगे और इस अनियमितता को दूर करने का प्रयत्न करेंगे ।

मेरा संशोधन संख्या १७८ नये लाभांश कर के बारे में है जो अब लगाया जाने वाला है कल्पना यह है कि जो भी कंपनी लाभांश घोषित करेगी उसे लाभांश कर के रूप में ७।। प्रतिशत देना होगा । यदि सरकार यह कहती कि जो भी कंपनी अमुक प्रतिशत से अधिक लाभांश घोषित करेगी उसे यह लाभांश कर देना होगा, तब तो वह उचित था । लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है कि कोई कंपनी लाभांश ही घोषित न करे । यदि यही नीति रही तो कंपनियों को क्या प्रोत्साहन मिलेगा और निवेश कैसे बढ़ेगा । निगमों के हाथों में मुनाफे को रहने देने से ही उनका उचित उपयोग होगा ऐसा विश्वास करने के लिये कोई आधार नहीं है । इसलिये मेरे संशोधन की यही कल्पना है कि उन्हीं लाभांशों पर कर लगाया जाना चाहिये जो ७ प्रतिशत से अधिक हों । वित्त मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि वे इस संशोधन पर विचार करके उसे स्वीकार करें ।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : मेरे संशोधन संख्या १९७, १९८ और १९९ का वही प्रयोजन है जो श्री मोरारका के संशोधनों का है । लाभांश कर एक सीमा के बाद ही लगाया जाना चाहिये । यदि वे संशोधन स्वीकार नहीं किये गये तो नयी कंपनियों के विकास में काफी कठिनाई होगी या नयी कंपनियां स्थापित नहीं की जायेंगीं । यदि हम आर्थिक विकास चाहते हैं तो लाभांश कर इस प्रकार से कहीं लगाया जाना चाहिये ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : मेरा संशोधन भी श्री मोरारका के संशोधन के समर्थन में है । मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि जो लाभांश चुकता पूंजी की छः प्रतिशत रकम से अधिक हों केवल उन्हीं पर कर लगना चाहिये । यदि औद्योगिक क्षेत्र में निवेश बढ़ाना हो तो इस बात पर अवश्य विचार किया जाना चाहिये । कि ऐसी परिस्थितियां निर्माण की जायें जिसमें लोग उद्योगों में धन लगा सकें । दूसरी बात यह है कि यह कर उन्हीं लाभांशों पर लगाया जाने वाला है जो १९६३–६४ में दिये गये हैं । यह अनुचित है ।

श्री मसानी : धारा २३ क कंपनियां मध्य वर्ग के लोगों की कंपनियां हैं जिन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । उन पर निगम कर ५० प्रतिशत से ६० प्रतिशत कर दिया गया है । छोटे उद्योगपतियों पर यह अतिरिक्त १० प्रतिशत का कर बिना कारण ही एक प्रकार का दंड है । इसका विरोध किया जाना चाहिये ।

अब तक सभी लाभांशकर एक निश्चित सीमा से आगे लगाये गये हैं । लेकिन जो कर अब लगाया जा रहा है वह बिना सोचे समझे सभी पर लागू किया जायगा चाहे फिर कोई कंपनी १, २, या १० प्रतिशत लाभांश कमायें । यह मनमाना करारोपण है और इसका विरोध किया जाना चहिये ।

मैं संशोधन संख्या ८५ का विरोध करता हूं । वित्त मंत्री ने इस संशोधन के द्वारा उन कंपनियों को दंडित करने का प्रयत्न किया है जिनकी ७५ प्रतिशत या उससे अधिक पूंजी धर्मादाय

[श्री मसानी]

ट्रस्टों में लगी हुई है। यह एक अत्यन्त आश्चर्यजनक प्रस्ताव है। इस संशोधन का अंतिम परिणाम यह होगा कि जो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में, ७५ प्रतिशत या उससे अधिक आय कर ६० प्रतिशत दे रही थी वह अब ६० प्रतिशत के बजाय ६४ प्रतिशत देगी। यह संशोधन खासकर इसलिये घातक है कि इससे दान की जड़ पर चोट पहुंचनी है और इसलिये इसका विरोध किया जाना चाहिये।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : हमने उन कंपनियों को कुछ राहतें दी हैं जिनमें ७५ प्रतिशत शेयर दान रूप में हैं। अब यदि यही बात यहां रखी जायगी तो दूसरी कंपनियां जिन्हें अनिवार्यतः लाभांश बांट देना पड़ता है, इस लाभ को प्राप्त नहीं कर सकेंगी। इसलिये यही किया जा सकता है कि उन कम्पनियों को अलग कर दिया जाय जिन्हें लाभांश मिलता है और जो २ ३/४ प्रतिशत को प्रतिसन्तुलित करने के लिये या जो अतिरिक्त रकम वह देंगे उसे प्रतिसन्तुलित करने के लिये उन्हें देनी हैं। मैं अपने माननीय सदस्य को यह बता सकता हूं कि हम इसकी छानबीन कर रहे हैं। मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूं जिन्हें अनिवार्यतः अपना लाभांश घोषित करना पड़ता है। दान पर दंड लगाने का हमारा कोई इरादा नहीं है।

जहां तक लाभांश कर का सम्बन्ध है, हमने आवश्यक वस्तुएं तैयार करने वाली कंपनियों को कुछ रियायतें दी हैं और अतिरिक्त लाभ-कर हटा दिया है। हमने उन्हें १० प्रतिशत रियायत दी है। यदि हम कोई स्लैब रखें तो दर बहुत ऊंची होगी। उससे लाभांश पर वर्तमान उपबन्ध के प्रभाव की अपेक्षा अधिक विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आखिर सरकार कोई धर्मादाय संस्था नहीं है।

यह बहुत सोचा समझा हुआ और उचित कर है और मैं उसे वापस नहीं ले सकता। इसलिये मैं वे संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

हम आलोचना के सम्बन्ध में कि संपूर्ण करारोपण गलत है, तो यदि सदन का मत वैसा ही हो तो वह गलत है। सरकार का दृढ़ विश्वास है कि जो नीति हम अपना रहे हैं वह बिल्कुल ठीक है। वह लोगों के फायदे के लिये है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

(१) पृष्ठ ५३, पंक्ति १७ में "3,000", "3,000"" and "3600" ["३०००" "३,०००" तथा "३६,००"] के स्थान पर "3,200" "3,600" and "4,000" ["३,२००", "३,६००" तथा "४,०००"] रखा जाये। (७८)

(२) पृष्ठ ५३, पंक्ति १९ में "2,000", "1,700" and "1,400" ["२०००, "१,७००' तथा '१४००"] के स्थान पर '1,800', '1,400' and '1,000' ['१८,००', '१,४००' और '१,०००'] रखा जाये। (७९)

(३) पृष्ठ ५७, पंक्ति २ में "and distribution' ['तथा विवरण'] के स्थान पर " or distribution ' [' अथवा वितरण'] रखा जाये (८०)

(४) पृष्ठ ५७ पंक्ति ६ के बाद निम्नलिखित रखा जाये:—

Explanation.—For the purpose of this Paragraph and Part III of this Schedule, a company shall be deemed to be mainly engaged in the business of generation or distribution of electricity or of manufacture or production of anyone or more of the articles specified in the list in Part IV of this Schedule, if the income attributable to any of the aforesaid activities included in its total income for the previous year is not less than fifty-one per cent. of such total income."

[**व्याख्या**— इस कंडिका तथा उस अनुसूची के भाग ३ के प्रयोजन के लिये समवाय मुख्यत: बिजली पैदा करने या बिजली का वितरण करने या इस अनुसूची के भाग ४ में सूची में निर्दिष्ट किसी एक अथवा अधिक वस्तुओं के निर्माण अथवा उत्पादन के काम में लगा समझा जायेगा, यदि किसी उपर्युक्त कार्य से प्राप्त आय जो गत वर्ष की उसकी कुल आय में सम्मिलित है, ऐसी कुल आय के ५१ प्रतिशत से कम नहीं है।] (८१)

(५) पृष्ठ ६० पंक्ति ६ में "and distribution" ['तथा वितरण'] के स्थान पर " or distribution " ['अथवा वितरण'] रखा जाये। (८२)

(६) पृष्ठ ६१, पंक्ति ७ से १२ के स्थान निम्नलिखित रखा जाये :—

"Proviso (being such a company as is referred to in section 108 of the Income-tax Act or any other company as is referred to in clause (iii) of sub-section (2) of section 104 of that Act) which has declared or".

["परन्तुक (ऐसा समवाय जैसा कि आयकर अधिनियम की धारा १०८ में उल्लिखित है अथवा कोई अन्य समवाय जैसा कि उस अधिनियम की धारा १०४ की उपधारा (२)के खंड ३ में उल्लिखित है) जिस ने घोषित कर दिया है अथवा"] (८५)

(७) पृष्ठ ६१ पंक्ति २२ में " paid up" [प्रदत्त] के बाद "equity" ["साम्या"] रखा जाये। (८६)

(८) पृष्ठ ६१ पंक्ति ३४ में "a company" ["एक समवाय"] के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये। "as is referred to in section 108 of the Income-Tax Act and"

["जैसा कि आयकर अधिनियम की धारा १०८ में उल्लिखित है तथा] (८७)

(९) पृष्ठ ६१, पंक्ति ४४ में " Explanation " ["व्याख्या"] के बाद "२" ["२"] रखा जाये। (८९)

(१०) पृष्ठ ६२ पंक्ति १६ के बाद निम्नलिखित रखा जाये :—

"**Explanation 3**—For the removal of doubts it is hereby declared that where any dividends were declared by the company before the commencement of the previous year and are distributed by it during that year, no reduction in the rebate shall be made under sub-clause (c) or clause (i) of the second proviso in respect of such dividends".

["व्याख्या ३—सन्देह दूर करने के लिये यह घोषित किया जाता है कि जहां समवाय द्वारा गत वर्ष के आरम्भ होने से पूर्व लाभांश घोषित किये जाते हैं और उस के द्वारा उस वर्ष बांटे जाते हैं, तब ऐसे लाभांशों के सम्बन्ध में दूसरे परन्तुक के खंड १ के उप खंड (ग) के अन्तर्गत छूट में कोई कमी नहीं की जायेगी।"] (९०)

(११) पृष्ठ ६२, पंक्ति ३६ से ४१ के स्तर पर निम्नलिखित रखा जाये :—

"on the whole income (excluding interest payable on any security of the Central Government issued or declared to be income-tax free, and interest payable on any security of a State Government issued income-tax free, the income-tax whereon is payable by the State Government)..... 18 % 2 % Nil Nil.".

["कुल आय पर (केन्द्रीय सरकार की आय कर युक्त जारी की गयी अथवा घोषित की गयी किसी प्रतिभूति पर देय ब्याज तथा राज्य सरकार द्वारा आयकर मुक्त जारी की गयी किसी प्रतिभूति जिस पर आय कर राज्य सरकार द्वारा दिया जाना है, पर देय ब्याज को छोड़ कर) १८% २% शून्य— शून्य] (९१)

(१२) पृष्ठ ६३ पंक्ति ५ से १३ का लोप किया जाये। (९२)

(१३) पृष्ठ ६३ पंक्ति ३९ "(i)" "[(१)]" का लोप किया जाये। (९३)

(१४) पृष्ठ ६३, पंक्ति ४४, "and" ["और"] का लोप किया जाये और "25%" ["२५% "] के स्थान पर "20%["२० प्रतिशत"] रखा जाये।

(१५) पृष्ठ ६३ पंक्ति ४५ से ४८ का लोप किया जाय्। (९५)

(१६) पृष्ठ ६४ पंक्ति ४ में "aud distribution" ["तथा वितरण"] के स्थान पर " 'or distri ion " ['अथवा वितरण"] रखा जाये। (९६)

(१७) पृष्ठ ६४, पंक्ति ३१ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

(2) Aluminium, copper, lead and zinc (Metals)

["(२) एल्यूमिनियम, तांबा, सीसा और जस्ता (धातुयें)"]

(१८) पृष्ठ ६४, पंक्ति ३२ में "iron ore and bauxite"["लौहअयस्क और बाक्साईट] के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये।"

"iron ofe, bouxite mangnese ore, dolomits 'mongnesiaa nd minzol oil'

["लौह अयस्क, बाक्साइज, मैंगनीज अयस्क, बोलोमाइट मैंकनीजनेसाइट और खनिज तेल"] (९८)

(१९) पृष्ठ ६४, पंक्ति ३९ और ४० के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

"(6) Equipment for the generation and transmission of electricity incluc ing transformers, cables and transmission towers"

["(६) ट्रान्सफार्मरों, केबलों और ट्रांसमिशन टावरों सहित बिजली पैदा करने तथ पहुंचाने के लिये उपकरण।] (९९)

(२०) पृष्ठ ६५, पंक्ति १ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

"(11) Fertilisers, namely, ammonium sulphate, ammonium sulphate nitrate (double salt), ammonium nitrate (nitrolime stone), ammonium chloride, super phosphate, urea and complex fertilisers of synthetic origin containing both nitrogen and phosphorous, such as ammonium phosphates, ammonium sulphate phosphate and ammonium nitro phosphate.".

["(११) उर्वरक अर्थात् अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट (डबल साल्ट) अमोनियम नाइट्रेट (नाइट्रोलाइम पत्थर) अमोनियम क्लोराइड, सुपर फास्फेट, यूरिया, और सिन्थेटिक से बनने वाले काम्लेक्स उर्वरक जिन में नाइट्रोजन और फासफोरस दोनों शामिल हैं, जैसे अमोनियम फास्फेट, (अमोनियम सल्फेट फास्फेट और अमोनियम नाइट्रो फास्फेट")] (१००)

(२१) पृष्ठ ६५, पंक्ति ३ के स्थान पर

"(13) Tea" ['(१३) चाय'] रखा जाये । (१०१)

(२२) पृष्ठ ६५, पंक्ति ३ के बाद निम्नलिखित रखा जाये :—

"(14) Electronic equipment, namely, radar equipment, computers, electronic accounting and business machines, electronic communication equipment, electronic control instruments and basis components, such as valves, transistors, resistors , condensors coils, magnetic materials and micro wave components.

(15) Petrochemicals including corresponding products manufactured from other basic raw materials like calcium carbide, ethyl alcohol or hydroarbons from other sources.".

["(१४) इलैक्ट्रानिक उपकरण, अर्थात् रडार उपकरण, कम्प्यूटर्स, इलेक्ट्रानिक एकाउंटिंग और कारोबार मशीनें, इलैक्ट्रानिक संचार उपकरण, इलैक्ट्रानिक नियंत्रण उपकरण और मूल पुर्जे और बल्ब, ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स, केडेन्सर्स, कायल्स, चुम्बकीय सामान और माइक्रोवेव पुर्जे ।

(१५) पैट्रो कैमिकल्स जिनमें अन्य मूल कच्चे सामान जैसे कैलिशियम कार्बाइड, एथिक अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन या अन्य साधनों से बनाये गये ऐसे ही उत्पाद शामिल हैं ।"] (१०२)

(२३) सूची २ में नयी मदों के जोड़े जाने के परिणामस्वरूप पृष्ठ ६२ पर मद (१४) मद (१६) कर दी जाये । (१०३)

(२४) पृष्ठ ६०, पंक्ति १३ से २१ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये ।

"(iii) (A). in the case of a company which is wholly or mainly engaged in the manufacture or processing of goods or in mining or in the generation or distribution of electricity or any other form of power and whose total income does not exceed rupees five lakhs, a rebate at the rate of 30 per cent. on so much of its total income as does not exceed rupees two lakhs and a rebate at the rate of 20 per cent. on the balance of the total income; and in addition, where the total income includes any income attributable to the business of generation or distribution of electricity or of manufacture or production of any one or more of the articles specified in the list in Part IV of this Schedule, a rebate at the rate of 5 per cent. on so much of such inclusion as does not exceed rupees two lakhs and a rebate at the rate of 6 per cent. on the balance, if any, of such inclusion,

630(ai)LSD—9.

[उपाध्यक्ष महोदय]

shall be allowed if—

(a) such company satisfies condition(a) of clause (i); and

(b) it is not such a company as is referred to in section 108 of the income-Tax Act ;

(B) in the case of any company which is not entitled to any rebate under sub-clause (A) of this clause a rebate at the rate of 26 per cent. on so much of its total income as is attributable to the business of generation or distribution of electricity or of manufacture or production of any one or more of the articles specified in the list in Part IV of this Schedule ; and at the rate of 20 per cent. on the balance of the total income,

shall be allowed if—

(a) such company satisfies condition (a) of clause (i) ; and

(b) it is not such a company as is referred to in section 108 of the Income-tax Act;".

["(३) (क). ऐसे समवाय के सम्बन्ध में जो पूर्ण अथवा मुख्य रूप से वस्तुओं के निर्माण या परिष्करण या खनन या बिजली या किसी अन्य शक्ति के उत्पादन या वितरण के काम में लगे हुए हैं और जिस की कुल आय ५ लाख रुपये से अधिक नहीं है, उस की कुल आय के उतने भाग पर जो दो लाख रु० से अधिक नहीं है ३० प्रतिशत की दर से छूट और कुल आय की शेष राशि पर २० प्रतिशत की दर से छूट; और इस के अतिरिक्त, जहां कि कुल आय में बिजली के उत्पादन या वितरण या इस अनुसूची के भाग ४ में सूची में निर्दिष्ट किसी एक या अधिक वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन कारोबार से होने वाली कोई आय शामिल है ऐसी शामिल होने वाली राशि के उतने भाग पर जो दो लाख रु० से अधिक नहीं है ५ प्रतिशत की दर से छूट और ऐसे शामिल की गई शेष राशि पर, यदि कोई हो, ६ प्रतिशत की छूट, दी जायेगी यदि —

(क) ऐसा समवाय खण्ड (१) की शर्त (क) पूरी करता है; तथा

(ख) यह एक ऐसा समवाय नहीं है जैसा कि आय कर अधिनियम की धारा १०८ में निर्दिष्ट है;

(ख) किसी ऐसे समवाय के सम्बन्ध में जो इस खण्ड के उप खण्ड (क) के अन्तर्गत किसी छूट का हकदार नहीं है उस की कुल आय की उतनी राशि पर जो बिजली के उत्पादन या वितरण या इस अनुसूची के भाग ४ में सूची में निर्दिष्ट किसी एक अथवा अधिक वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन के कारोबार से प्राप्त होती है, २६ प्रतिशत की दर से छूट; और कुल आय की शेष राशि पर २० प्रतिशत की दर से छूट,

दी जायेगी यदि—

(क) ऐसा समवाय खण्ड (१) की शर्त (क) पूरी करता है; तथा

(ख) यह एक ऐसा समवाय नहीं है जैसा कि आय कर अधिनियम की धारा १०८ में निर्दिष्ट है; ।"] (२०३)

(२५) पृष्ठ ६१, पंक्ति ४ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

"increasing the paid-up capital except where such bonus shares or bonus have been issued wholly out of the share premium account of the company after the 31st day of March, 1964; and".

["ऐसे मामलों को छोड़ कर जहां कि बोनस अंश या बोनस ३१ मार्च, १९६४ के पश्चात् पूर्ण-रूप से समवाय के शेयर प्रीमियम लेखे से जारी किये गये हैं; प्रण पूंजी बढ़ा कर; तथा"] (२०४)

(२६) पृष्ठ ६१, पंक्ति ४३ के बाद निम्नलिखित रखा जाये :—

"Provided further that the super-tax payable by a company, which is wholly or mainly engaged in the manufacture or processing of goods or in mining or in the generation or distribution of electricity or any other form of power and which is not such a company as is referred to in section 108 of the Income-tax Act and the total income of which exceeds rupees five lakhs, shall not exceed the aggregate of—

(a) the super-tax which would have been payable by the company if its total income had been rupees five lakhs (the income of rupees five lakhs for this purpose being computed as if such income included income from various sources in the same proportion as the total income of the company); and

(b) fifty-five per cent. of the amount by which its total income exceeds rupees five lakhs.

Explanation 1.—For t e purposes of this Paragraph, a company shall be deemed to be mainly engaged in the manufacture or processing of goods or in mining or in the generation or distribution of electricity or any other form of power, if the income attributable to any of the aforesaid activities included in its total income for the previous year is not less than fifty-one per cent of such total income.".

["परन्तु यह भी कि किसी समवाय द्वारा देय अधिकर, जो पूर्ण अथवा मुख्य रूप से सामान के निर्माण या परिष्करण अथवा खनन अथवा बिजली या किसी अन्य शक्ति के उत्पादन या वितरण के काम में लगा हुआ है और जो आय कर अधिनियम की धारा १०८ में निर्दिष्ट में कोई समवाय नहीं है और जिस की कुल आय पांच लाख रु० से अधिक है, के कुल योग से अधिक नहीं होगा—

(क) अधिकर जो समवाय द्वारा देय होता है यदि उस की कुल आय पांच लाख रुपये होती है (इस प्रयोजन के लिये पांच लाख रुपये की आय की गणना ऐसे रूप में की जायेगी कि ऐसी आय में विभिन्न स्रोतों से होने वाली आय उसी अनुपात में जिस अनुपात में समवाय की कुल आय हो सम्मिलित है); और

(ख) उस की कुल आय पांच लाख रुपये से जितनी अधिक होगी उस राशि का ५५ प्रतिशत।

व्याख्या १—इस कंडिका के लिये, समवाय मुख्यतया वस्तुओं के उत्पादन अथवा परिष्करण अथवा खनन के कार्य अथवा बिजली या किसी अन्य प्रकार की शक्ति के पैदा करने या वितरण के काम में लगा समझा जायेगा; यदि किसी उपरोक्त कार्य से प्राप्त आय जो गत वर्ष की उस की कुल आय में सम्मिलित है ऐसी कुल आय के ५१ प्रतिशत से कम नहीं है।"] (२०५)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २३ और १९६ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

Amendments nos. 23 and 126 were put and negatived

संशोधन संख्या १२५, १७५, १७६, १७८, १७७, १९७, १९८ और १९९ सभा की अनुमति से वापस ले लिये गये ।

Amendments Nos. 125, 175, 176, 178, 177, 197, 198 and 199 were by leave withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि प्रथम अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

प्रथम अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दी गई ।

The First Schedule, as amended was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि दूसरी और तीसरी अनुसूचियां विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

दूसरी और तीसरी अनुसूचियां विधेयक में जोड़ दी गईं ।

The Second and Third Schedules were added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १ अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयग का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

श्री रंगा : मैं यह देखता हूं कि यह विधेयक और संपूर्ण सरकारी नीति किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, उद्योगपतियों, और प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिये, किन्तु नौकरशाही व सरकार और सत्तारूढ़ दल को छोड़ कर, सभी के लिए प्रतिकूल है । देश के सामने अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन का उत्तर नहीं में है । जैसे कीमतों को नीचे करना, मजदूरों के शिए न्यूनतम मजूरी, मुद्रास्फीति, प्रशासन व्यय को कम करना, भ्रष्टाचार को दूर करना, अपव्यय को रोकना, करों के बोझ को कम करना, देहाती इलाकों में मकान बनाना, अध्यापकों और गैरराजपत्रघोषित पदाधिकारियों की हैसियत

बढ़ाना, सुनारों को रोजगार दिलाना, आदि। ये सारे प्रश्न सरकार को तबाह कर देंगे। प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों को जनता के सामने इन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। हर जगह और हर गांव की जनता को उन्हें इन प्रश्नों का उत्तर देना होगा।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : चूंकि वित्त मंत्री द्वारा इतने सारे संशोधन दिये गये हैं, क्या इस से यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि वित्त विधेयक को जल्दी में पास किया जा रहा है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इस बारे में सरकार की नीति कई अवसरों पर स्पष्ट की जा चुकी है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम जिस नीति का अनुसरण कर रहे हैं वह ठीक है और लोगों की भलाई उसी में है।

{ **अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये
Mr. Speaker *in the Chair* }

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये"

लोक सभा में विभाजन हुआ, पक्ष में १२५; विपक्ष में १७

The Lok Sabha divided, Ayes 125, Noes 17

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

कार्य मंत्रणा समिति

छब्बीसवां प्रतिवेदन

श्री राने (बुलडाणा) : श्रीमान्, मैं कार्य मंत्रणा समिति का छब्बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

इसके पश्चात् लोकसभा मंगलवार, २२ अप्रैल, १९६४/२ वैशाख, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई :

The Lok Sabha adjourned till Eleven of the clock on Tuesday the 2nd April, 1964 / Vaisakha 2, 1886 (Saka)

GMGIPND—LS III—630 (Ai) LS 7-7-64—600.